GS WORLD

IAS PCS

Committed To Excellence

प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों का हिन्दी भावानुवाद

संदर्भित तथ्य एवं संभावित प्रश्नों सहित

(फरवरी, 2018)

Head Office

629, Ground Floor, Main Road, Dr, Mukherjee Nagar, Delhi - 110009

Ph. : 011-27658013, 9868365322

INDEX

	आर्टिकल	प्रश्न-पत्र	पेपर	दिनांक
1.	इन-हाउस तंत्र का महत्व	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	1 फरवरी
2.	बजट-2018	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	इंडियन एक्सप्रेस/द हिन्दू	2 फरवरी
3.	भारत के स्वास्थ्य का बजट	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	इंडियन एक्सप्रेस/द हिन्दू	3 फरवरी
4.	माले का राजनीतिक संकट	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	इंडियन एक्सप्रेस/द हिन्दू	5 फरवरी
5.	दीर्घकालिक पूँजी लाभ कर	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	द हिन्दू/फाइनेंसियल एक्सप्रेस	6 फरवरी
6.	शहरी अपशिष्ट प्रबंधन एवं ग्लोबल वार्मिंग	पेपर-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)	इंडियन एक्सप्रेस	7 फरवरी
7.	भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	द हिन्दू/लाइव मिंट	8 फरवरी
8.	क्या राज्यों के अपने झण्डे होने चाहिए	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	9 फरवरी
9.	भारत-फिलिस्तीन संबंध	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	टाइम्स नॉउ/इंडियन एक्सप्रेस	10 फरवरी
10.	नीति आयोग की पहली स्वास्थ्य सूचकांक	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	पायनियर/द हिन्दू	12 फरवरी
11.	क्षितिज का विस्तार	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	द हिन्दू	13 फरवरी
12.	भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2017	पेपर-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)	पायनियर/द हिन्दू	14 फरवरी
13.	कल्याणकारी योजनाओं के संसाधनों का त्रुटिपूर्ण आवंटन	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	लाइव मिंट	15 फरवरी
14.	पी.एन.बी. घोटाला	पेपर-III (अर्थव्यवस्था)	द हिन्दू/इकॉनामिक टाइम्स	16 फरवरी
15.	कावेरी जल-विवाद	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	17 फरवरी
16.	इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य	पेपर-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)	लाइव मिंट/पायनियर	19 फरवरी
17.	भारतीय वनों को बचानें का सही तरीका	पेपर-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)	लाइव मिंट	20 फरवरी
18.	एक स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	21 फरवरी
19.	द गेम ऑफ चिकेन इन द अरेबीयन सी	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	लाइव मिंट	22 फरवरी
20.	क्या कावेरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्यायोचित है?	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	23 फरवरी
21.	एक सुधारात्मक पहल	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	24 फरवरी
22.	भारत-कनाडा संबंध	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	26 फरवरी
23.	कृषि संकट पर रोक लगाना	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	द हिन्दू	27 फरवरी
24.	अ गुड रोलबैक	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	इंडियन एक्सप्रेस	28 फरवरी

* * *

GS World Committed To Excellence

इन-हाउस तंत्र का महत्व

(01 फरवरी, 2018)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

''अभी सुप्रीम कोर्ट ''जज विवाद'' का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रिश्वत घोटाला (एमसीआई घोटाला) सुर्खियों में आ गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस मामले में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ एक नई शिकायत की है।'' इस मामलें के संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द हिन्दू'' एवं 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी. एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''द हिन्दू''
(निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए : इन-हाउस तंत्र का महत्व)

''न्यायमूर्ति शुक्ला को हटाने की प्रक्रिया इन-हाउस तंत्रों के महत्व को दर्शाती है।''

एक इन-हाउस समिति के इस निष्कर्ष के साथ कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने न्यायिक अनैतिकता का अपराध किया है और यह उन्हें निष्काषित किये जाने के लिए काफी है, उच्च न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को दर्शाता है। न्यायमूर्ति श्री नारायण शुक्ला पिछले साल भारत के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष प्रतिकूल सूचना के तहत सामने आये थे।

इस मामले में पीठ ने पाया था कि उन्होंने छात्रों को प्रवेश देने के लिए जीसीआरजी मेमोरियल ट्रस्ट, लखनऊ को अनुमति देकर सर्वोच्च न्यायालय के रोकथाम के आदेश का उल्लंघन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि न्यायमूर्ति शुक्ला की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायिक औचित्य का उल्लंघन किया है।

जिसके बाद, सीजेआई ने तीन सदस्यीय समिति बनाई जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.के. अग्निहोत्री और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल शामिल है। समिति को अब कुछ ऐसे तथ्य प्राप्त हुए है जिसके बाद उन्हें लगता है कि सचमुच न्यायाधीश 'न्यायिक जीवन के मूल्यों' से भटक गए थे।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायमूर्ति शुक्ला को इन हाउस जजों की जांच रिपोर्ट के बाद अपनी मर्जी से रियारमेंट लेने का विकल्प दिया था, लेकिन उन्होंने इसे नहीं माना। उनकी स्थिति ने सीजेआई को हटाने का सुझाव देने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

उनके खिलाफ आरोपों को सीबीआई द्वारा एक अन्य मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट और उड़ीसा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सहित कथित बिचौलियों के खिलाफ दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट में दावों के अनुरूप दिखता है, जिसमें अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को प्रभावित करने के लिए योजना बनाई गयी थी।

इन आरोपों ने न्यायपालिका में एक तूफान का निर्माण कर दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों से संबंधित कुछ आदेश उच्चतम न्यायालयों द्वारा पारित किए गए थे, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश श्री मिश्रा ने की थी।

इससे पहली घटना अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला मामला था, जिसमें चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने आरोप लगाया था कि सीजेआई ने रोस्टर बनाने के लिए अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था। संस्थान के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यायमूर्ति शुक्ला के खिलाफ आरोप सही तरीके से जांच किए जाए।

इससे उन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है जो चाहते हैं कि संस्था को शुद्ध किया जाए और जो लोग यह मानते हैं कि इस पर एक अनुचित हमले होते रहते हैं। एक न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बहुत विस्तृत है और कुछ हद तक कठिन है।

हालांकि, इन-हाउस की बड़े मामलों से निपटने में तेजी आ सकती है। एक सेवानिवृत न्यायाधीश को हटाया जाना निस्संदेह दुखद है, लेकिन यह आंतरिक तंत्र संस्थागत अखंडता के संबंध में काम करते हैं, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए।

''इंडियन एक्सप्रेस''
(मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मामला)

''इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 4 सितंबर, 2017 को अपने स्वयं के खंडपीठ के 1 सितम्बर के आदेश में हस्त-लिखित सुधार किए जाने के बाद विवादों में घिर गये है।''

इंडिया मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा द्वारा स्थापित आतंरिक जांच समिति ने उनके खिलाफ कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं।

जस्टिस शुक्ला का आरोप है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने 2017-18 के शैक्षणिक वर्ष में छात्रों को प्रवेश देने के लिए निजी कॉलेजों को अनुमति दे दी थी। उनका यह कदम सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ के पारित आदेश का उल्लंघन था। इस संबंध में जस्टिस शुक्ला के खिलाफ दो शिकायतें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से की गई।

सीजीआई को सौंपे गए इन-हाउस जांच समिति की रिपोर्ट में जस्टिस शुक्ला के खिलाफ 'प्रतिकूल टिप्पणियां' शामिल हैं, जिन्हें पिछले सितंबर में सीबीआई द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में भी उल्लेख किया गया था। सीबीआई ने न्यायमूर्ति शुक्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सीजेआई की मंजूरी मांगने के लिए उत्सुक है।

इन-हाउस जांच समिति में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.के अग्निहोत्री और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी.के जायसवाल शामिल है। समिति ने एक गैर-न्यायिक तथ्य-जांच को संचालित किया, जहां न्यायमूर्ति शुक्ला को खुद का बचाव करने का पूरा मौका दिया गया था, लेकिन किसी भी गवाह की कोई जांच या पारस्परिक जांच की अनुमति नहीं दी गयी थी।

केवल मुख्य न्यायाधीश आमतौर पर इन-हाउस जांच समिति की रिपोर्ट की जानकारी होती है। लेकिन जैसा कि जांच की शुरुआत में स्पष्ट रूप से कहा था कि 'निष्पक्ष और उचित जांच होगी जो उन सभी को आश्वस्त करेगी कि न्याय सब के लिए बराबर है और बड़े पैमाने पर जनता को आश्वस्त किया जाएगा कि जांच का परिणाम पूरी तरह से निष्पक्ष है', साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जा सकता है या कम से कम सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के साथ साझा किया जा सकता है।

प्रशांत भूषण (वरिष्ठ वकील) ने अपनी शिकायत में ओडिशा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आई एम कुद्दुसी, बिचौलिए विश्वनाथ अग्रवाल और प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के बी पी यादव के बीच हुई बातचीत का भी जिक्र किया है, जिसे टैप किया गया था। कुद्दुसी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह जमानत पर हैं।

प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट को भारतीय चिकित्सा परिषद यानी मेडिकल काउंसिल ने मेडिकल के छात्रों का प्रवेश लेने से रोक दिया था, और उसके बाद संस्थान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रशांत ने प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस नारायण शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज करने की सीबीआई को अनुमति न देने के जस्टिस मिश्रा के कदम पर भी अपनी शिकायत में सवाल उठाया है।

24 पृष्ठों की शिकायत में कहा गया है, 'उपरोक्त दर्ज मामलों ने न्यायालय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है और न्यायपालिका को बदनाम किया है। यह एक ऐसा मामला है, जिसे तत्काल देखने की जरूरत है।'

अंत में, 18 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एमसीआई मामले में कॉलेजों की मान्यता के नवीनीकरण के लिए 2017-18 के शैक्षणिक सत्र के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा, यह एमसीआई को निर्देश दिया कि वे 2018-19 सत्र के लिए छात्रों के पात्रता का आकलन करने के लिए महाविद्यालयों में एक नई निरीक्षण टीम भेजे।

GS World टीम...

भारतीय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया

- भारतीय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को 1934 में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1933 के तहत स्थापित किया गया था, अब इसे निरस्त कर दिया गया है, जिसमें भारत में और विदेशों में चिकित्सा योग्यताओं की उच्च योग्यता के समान मानकों की पहचान करने और मान्यता प्राप्त करने के मुख्य कार्य हैं। आजादी के बाद के वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ गई थी। यह महसूस किया गया था कि बहुत तेजी से हो रहे विकास और देश में चिकित्सा शिक्षा की प्रगति से उत्पन्न चुनौतियों के सामने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के प्रावधान पर्याप्त नहीं थे । नतीजतन, 1956 में, पुराने कानून निरस्त कर दिया गया और एक नया अधिनियमित किया गया। इसे 1964, 1993 और 2001 में संशोधित किया गया था।

परिषद के उद्देश्य निम्नानुसार हैं-

1. मेडिकल शिक्षा स्नातक और स्नातकोत्तर के स्तर पर एक समान मानक को बनाना
2. भारत या विदेशी देशों के चिकित्सा संस्थानों की मेडिकल योग्यता मान्यता/मान्यता के लिए सिफारिश।
3. मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता वाले चिकित्सकों के स्थायी पंजीकरण/अनंतिम पंजीकरण।
4. चिकित्सा योग्यता की पारस्परिक मान्यता के मामले में विदेशी देशों के साथ पारस्परिकता

विधेयक पर आईएमए का पक्ष

- आईएमए के अनुसार चिकित्सा पेशे को पूरी तरह से नौकरशाही और गैर-चिकित्सा प्रशासकों के प्रति जवाबदेह बनाकर एनएमसी चिकित्सा पेशे की कार्य पद्धति को आशक्त बना देगा।
- डा. अग्रवाल ने कहा, नियामकों को स्वायत्त और प्रशासकों से स्वतंत्र रहने की जरूरत है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग प्रशासकों द्वारा सीधे अपने नियंत्रण के तहत नियुक्त एक नियामक होगा।
- उन्होंने दावा किया कि यह मसौदा विधेयक भारतीय चिकित्सा परिषद को समाप्त कर देगा और संभवत: आईएमए अधिनियम की धारा 15 भी समाप्त हो जाएगी। इस धारा के अनुसार आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में डॉक्टर बनने की न्यूनतम योग्यता एमबीबीएस है।
- डा. अग्रवाल ने कहा, लोकतांत्रिक संस्थान को खत्म करके एक इकाई बनाना पीछे जाने वाला कदम है, क्योंकि इस इकाई में ज्यादातर लोगों को सरकार नामित करेगी।

***

भारतीय चिकित्सा परिषद् का संस्थागत ढांचा

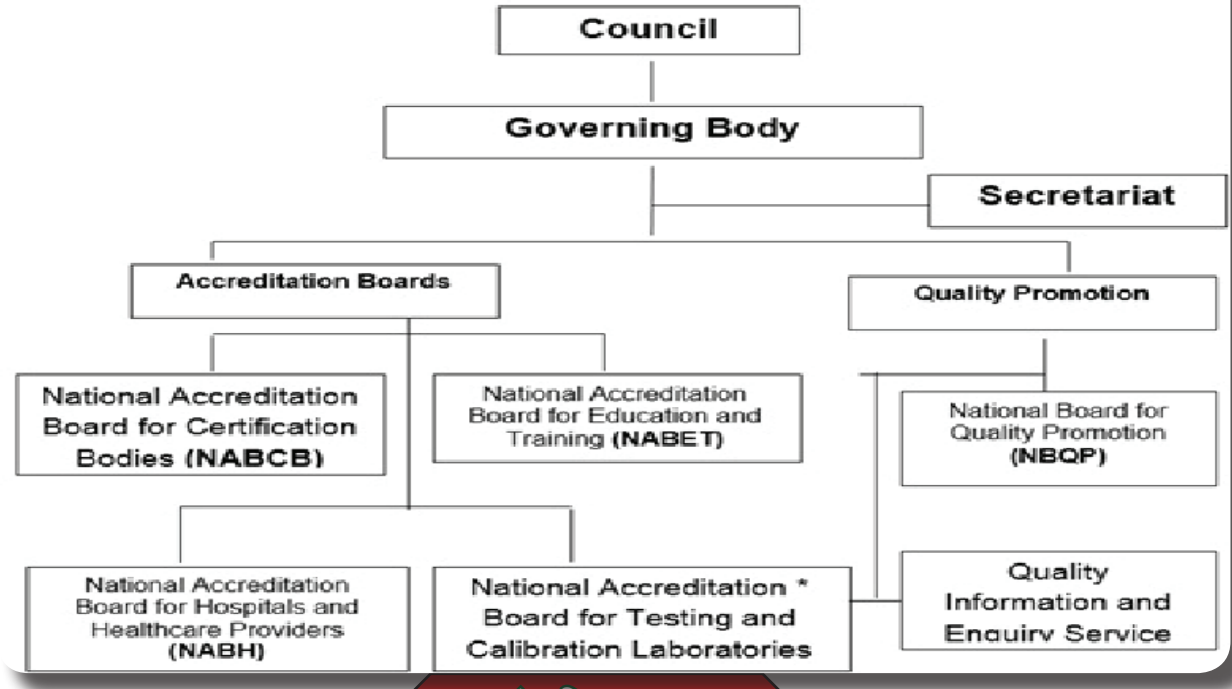

संभावित प्रश्न

भारतीय संविधान में न्यायाधीशों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है ताकि न्यायपालिका की गरिमा बनी रहे। किन्तु हाल ही की घटना ने जहाँ न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़ा कर दिया है वहीं न्यायाधीशों के आचरण पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Special protection has been provided to the judges in the Indian constitution so that the dignity of the judiciary remains intact. But the recent incident has raised questions on the functioning of the judiciary and has questioned the behavior of the judges. Discuss. (250 Words)

बजट : 2018

(02 फरवरी, 2018)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

''वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साल 2018-19 का बजट पेश कर दिया है। जिसमें मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दो गुनी करने को लेकर प्रतिबद्ध है और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश के किसानों के लिए बड़े तोहफे की घोषणा की है।'' इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''इंडियन एक्सप्रेस' एवं 'द हिन्दू' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी. एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''इंडियन एक्सप्रेस''
(केंद्रीय बजट, 2018 : सही फोकस, धुंधला दृष्टिकोण)

''2018-19 बजट कॉर्पोरेट घाटे में कटौती नहीं करते हुए, घाटे के लक्ष्य को कम करने में विफल रही है। साथ ही यहाँ स्वास्थ्य देखभाल योजना के वित्तपोषण पर स्पष्टता की कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है।''

एक ऐसी सरकार जो अगले साल राष्ट्रीय चुनावों के लिए जोर शोर से लगी हुई है, उससे एक सुधारवादी बजट की अपेक्षा करना शायद बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन फिर भी निराशाजनक बात यह है कि नरेन्द्र मोदी सरकार एक ऐसे बजट के साथ सामने आई है जो अपने पूर्व के घाटे के लक्ष्य से भटकती हुई दिख रही है।

यह एक ऐसी सरकार है जिसे राजकोषीय विवेक पर समझौता नहीं करने का श्रेय दिया जा सकता है, जो पिछले यूपीए शासन के विपरीत है। हालांकि, यह ट्रैक रिकॉर्ड, केंद्रीय वित्त वर्ष 2017-18 के लिए केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे के अनुमान के मुताबिक जीडीपी का 3.5 फीसदी अनुमान है, जो मूल रूप से 3.2 फीसदी है, के साथ अब कुछ हद तक खराब हो गया है। आने वाले वित्त वर्ष के लिए, 3.2 प्रतिशत का बजट अनुमान पिछले वर्षों के समान है। एक साल पहले जब वैश्विक ब्याज दरें और तेल की कीमतें कम थीं, तो इस तरह की राजकोषीय गिरावट संतोषजनक थी, लेकिन अब समय काफी बदल चुका है, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए था।

लेकिन आज के परिदृश्य में, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत करीब 70 डॉलर प्रति बैरल हो चुकी है और केंद्रीय बैंक 2008 के वित्तीय संकट के बाद मौद्रिक प्रोत्साहन उपायों को वापस लिया जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि यह अपने लक्ष्य पर केन्द्रित नहीं है जो कि आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकता है। और यह गुरुवार को साफ तौर पर देखा गया कि 10 साल के सरकारी बांडों की पैदावार 7.43 प्रतिशत से बढ़कर 7.61 प्रतिशत हो गई जो एक दिन में एक महत्वपूर्ण छलांग है। इसलिए अब 7 फरवरी को मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया देखना दिलचस्प होगा। स्पष्ट रूप से, घाटे के लक्ष्यों को नजरंदाज करने के प्रभाव को और अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करके आंका गया है।

''द हिन्दू''
(प्रॉमिस एण्ड डिलीवरी : ऑन यूनियन बजट, 2018)

''अरुण जेटली के बजट का फैसला इस आधार पर किया जाना चाहिए कि क्या इसने व्याप्त अंतर को पाटने में कुछ योगदान दिया है या नहीं।''

अगर केंद्रीय बजट को लोकलुभावनवाद और राजकोषीय विवेक के बीच एक वार्षिक रस्साकशी युद्ध कहा जाये, तो यकीनन यह एनडीए द्वारा पेश किए गए पिछले चार बजटों में सबसे प्रचलित है। हालांकि, लोकलुभावनवाद ने अरुण जेटली के नवीनतम प्रयास में प्रमुखता हासिल की है। प्रत्यक्ष कर राजस्व (वित्त वर्ष 18 में 18.7% की वृद्धि) और रिकॉर्ड विनिवेश आय (1 लाख करोड़) में असाधारण उछाल के बावजूद, जीएसटी के मुद्दे और लाभांश रसीदों में कमी ने एफआरबीएम अधिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से वित्त मंत्री को राजकोषीय समेकन पर कम करने के लिए मजबूर किया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में कतिपय परिस्थितियों के कारण राजकोषीय घाटा बजट अनुमान से थोड़ा बढ़कर 3.5 प्रतिशत रहेगा। बजट 2017-18 में इसको सकल घरेलू उत्पाद के 3.2 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य था। वित्त वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.3 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य तय किया गया है। हालांकि, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन कानून (एमआरबीएम) के तहत प्रस्तावित मध्यावधिक योजना के तहत यह लक्ष्य 3 प्रतिशत तक होना चाहिए था।

हालांकि उनका इरादा स्पष्ट रूप से कल्याणकारी है, संसाधन बाधाओं ने उसे कई प्रस्तावों को जीवन देने के लिए अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों और बाहरी एजेंसियों पर काफी निर्भर रहने के लिए मजबूर किया है। इन्होने जोर देते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सभी फसलों को कवर करेगा और खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना किया गया है, वित्त वर्ष 2011 के लिए खाद्य सब्सिडी आवंटन को अपेक्षाकृत 29,041 करोड़ रूपए से बढ़ाया गया है।

बाजार मूल्य की कीमतों में एमएसपी से नीचे आने से बचने के लिए एक 'बेस्ट प्रूफ' तंत्र का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके रूप रेखा को तैयार करने का जिम्मा नीति आयोग पर छोड़ दिया गया है। कृषि उत्पाद बाजार समितियों (एपीएमसी) के अत्याचार से छोटे किसानों को मुक्त करने के लिए अर्थात कृषि बाजार का विकास एक अच्छा पहल है, लेकिन इस परियोजना को केवल 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन ही मिला है।

वैश्विक वास्तविकताओं की मान्यता में समान कमी कॉर्पोरेट टैक्स दर में कटौती नहीं किये जाने के बाद देखा जा सकता है जैसा कि 2015-16 बजट में वादा किया गया था। उच्च दर प्रतिकूल हो सकती है क्योंकि अन्य देशों ने अपने घरेलू अधिकार क्षेत्र में व्यापार करने के लिए माहौल को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से बड़ी कर कटौती की है, उदहारण के रूप में अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन द्वारा।

यह शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिटों पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ को लागू करने के साथ आता है। इस बात की व्याख्या करने का एक तरीका यह है कि शेयर बाजार में निवेशकों ने पिछले दो सालों में अपना उल्लू सीधा कर लिया है और इसलिए उनके मुनाफे के एक हिस्से पर ही कर लगाना उचित होगा। इसी तरह, बड़ी कंपनियों को तर्क दिया जा सकता है, वे उच्च कर दर का भुगतान कर सकते हैं।

लेकिन यह एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। कॉर्पोरेट्स, अंततः, आर्थिक गतिविधि के चालक हैं, जबकि बाजार व्यापार मनोभाव का बैरोमीटर है। एक ऐसे देश के लिए, जो पिछले कुछ वर्षों में निवेश से वंचित हो गया है, मौजूदा उपाय नुकसानदेह होगा। हां, पूंजीगत लाभ पर कर लगाया जाना चाहिए, लेकिन क्या यह उचित समय है?

इसके बावजूद, यह बजट अच्छी तरह से कई सकारात्मक चीजे भी प्रदान करता है। 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती के लिए 5 लाख तक के बीमा कवर वाले एक योजना प्रदान करने का प्रस्ताव निश्चित रूप से स्वागत योग्य पहल है। हांलाकि, इस योजना पर प्रीमियम की सब्सिडी की वित्तीय लागत, जिसके बिना कोई भी बीमाकर्ता इसे लेने के लिए तैयार नहीं होगा, ज्ञात नहीं है।

लेकिन यह कुछ ऐसा है जो निधिकरण के लायक है। केंद्र को प्रीमियम के बोझ के एक हिस्से के लिए राज्यों को तैयार करना चाहिए और लक्षित लाभार्थियों को इसकी पहुँच सुनिश्चित हो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस संख्या में शामिल होने के लिए योजना की समग्र लागत को कम करना संभव है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के रूप में बताया गया है।

इस बात पर भी स्पष्टता की कमी है कि कैसे मोदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) को तय करते हुए किसानों को उत्पादन लागत पर 50 फीसदी रिटर्न देने की योजना बना रही है और कैसे यह सुनिश्चित होगा कि उन्हें इसका लाभ मिल रहा है या नहीं। आदर्श रूप से, यह एक बेहतर प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसमें एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच का अंतर सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो जाये।

मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही 'भावान्तर' मूल्य न्यून योजना को लागू कर रही है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर 50 : 50 अर्थात् केंद्र : राज्य निधि के रूप में दोहराया जा सकता है। ऐसी योजना को मौजूदा भौतिक खरीद कार्यक्रम के बदले लाना चाहिए, क्योंकि यह दोनों तरह से अधिक महंगा है और केवल चुनिंदा राज्यों में चावल और गेहूं के किसानों को लाभ प्रदान करता है। यह अच्छा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों के लिए मूल्य न्यून योजना की रूपरेखा को लागू करने के मुद्दे को नीति आयोग पर छोड़ दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण ने बड़े पैमाने पर सुधार के बजाय विकास को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक वृद्धिशीलता की आवश्यकता का उल्लेख किया है। जिस पर सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए।

***

इस बजट में महत्वाकांक्षी ग्रामीण पैकेज के तहत तीन करोड़ नए घरों के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन, चार करोड़ घरों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत दो करोड़ नए शौचालय, उच्च सूक्ष्म सिंचाई कवरेज और भी बहुत कुछ। लेकिन इन विशाल और भव्य योजनाओं को वित्तीय सहायता 14.34 लाख करोड़ रुपये के भारी परिव्यय के साथ-साथ, 11.98 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों से मिलने की संभावना है।

सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में एक समान टेम्पलेट का उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिसका उद्देश्य 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख के स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है, एक बहुत जरूरी सामाजिक सुरक्षा हस्तक्षेप है जो उन गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाती है जो निजी स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक निर्भर करते हैं। लेकिन रूपरेखा पर थोड़ा स्पष्टता अभी बाकी है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध कराने और पीड़ित अल्पसंख्यकों और छोटी आयु की लड़कियों के लिए आबंटन में मात्र 16,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के जरिए 1.38 लाख करोड़ के लिए वित्त पोषित होने की संभावना है। इन्फ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसे क्षेत्रों में से एक है जहां वित्त पोषण की समस्या को संबोधित किया गया है, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने वित्त वर्ष 19 के लिए 5.97 लाख करोड़ रुपये के बड़े हिस्से का समर्थन दिया गया है।

ग्रामीण भारत के लिए अपनी घोषणाओं में उदार होने के बावजूद, बजट मध्यवर्गीय और कॉर्पोरेट क्षेत्र में अपने योगदान में मितव्ययी रहा है। आयकर पर मूल छूट सीमा में वृद्धि की उम्मीद झूठा साबित हुआ, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव किए गए जो कि आपके रोजमर्रा लाइफस्टाइल में असर डाल सकता है। बुजुर्गों के लिए भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। मेडीक्लेम में 50 हजार रुपए तक की छूट दी गई है। जेटली ने यह भी बताया कि नौकरीपेशा को टैक्स में कोई छूट नहीं।

हालांकि यह केवल निष्पक्ष है कि वेतनभोगियों को अपनी शुद्ध आय (व्यय के बाद) के रूप में स्वयं-नियोजित कर पर, यह कटौती (जो परिवहन और चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जगह भी है) असली समानता स्थापित करने के लिए बहुत छोटी है। 30 से 25% तक की मूल कॉरपोरेट टैक्स दर में कटौती पर भी ध्यान नहीं दिया गया है, जो कट-ऑफ कंपनियों के साथ सीमित (250 करोड़ रुपये तक की टर्नओवर तक) है।

यद्यपि इससे कॉरपोरेट टैक्स भरने वालों की भारी संख्या में लाभ होगा, लेकिन यह वैश्विक संदर्भ में भारत की सबसे बड़ी कंपनियों के प्रतिस्पर्धात्मक छोर पर कैसे असर डालेगा, यह अभी चर्चा का विषय है। क्योंकि यू.एस. ने हाल ही में अपने कॉर्पोरेट टैक्स दर को 21% और यूरोपीय देशों में औसत 20% घटा दिया है। वेतनभोगी वर्ग और कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए, शिक्षा उपकरों में वृद्धि इन करों में कटौती से कुछ फायदे की भरपाई करेगी।

वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से बैंक जमाओं और डाक घर की योजनाओं से ब्याज पर कर राहत से लाभ हुआ है, जो कि प्रति वर्ष 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक बढ़ा है। इन ब्याज भुगतानों को भी तंग टीडीएस प्रावधानों से छूट दी गई है।

शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंडों के मुनाफे पर 10% दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लगाने से निकट अवधि में बाजार की भावना को कम करना पड़ सकता है, लेकिन घरेलू इक्विटी प्रवाह पर कोई संरचनात्मक प्रभाव होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा, पिछले दो सालों में भारतीय इक्विटी में आने वाले नए आवंटन थोक खुदरा निवेशकों से आए हैं, उनमें से ज्यादातर लंबी अवधि के लिए बचत कर रहे हैं।

कुल मिलाकर, बजट सकारात्मक मालूम पड़ता है जहाँ गलती मिलने की संभावना थोड़ी कम है। यदि कोई प्रस्ताव अधूरे या असरदार नहीं मालूम पड़ते है या उनके तार्किक अंत तक नहीं नजर आते है, तो यह राजस्व की कमी का परिणाम हो सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्व आधार में सुधार और जीएसटी संग्रह स्थिर होने के कारण, भविष्य के बजट कल्याण के प्रस्तावों पर अंतिम रूप दे सकते हैं।

***

बजट : 2018

बजट में पेश की गयी नयी-नयी योजनायें

- **किफायती आवास निधि :** केंद्र सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ मिलकर एक समर्पित किफायती आवास निधि बनाएगी। सरकार की योजना है कि 2022 तक सभी के पास अपना एक घर हो। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मौजूदा और अगले वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया जा रहा है।
- **मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड :** वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर मछुआरों और पशुपालकों को भी कार्ड दिए जाने का ऐलान किया है। इससे उन्हें कर्ज मिलने में आसानी होगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन का कारोबार करने वालों को मदद मिलेगी। इसके अलावा मत्स्य पालन से जुड़े लोगों की भी आर्थिक सहायता हो सकेगी।
- **आयुष्मान भारत योजना :** देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये के बीमा कवर की योजना का भी ऐलान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर साल में मिलेंगे। अब तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत साल में 30,000 रुपये का बीमा कवर ही मिलता था। इस लिहाज से यह बड़ा इजाफा है।
- **गोबर-धन योजना :** सरकार ने ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के अपने प्रयासों के तहत एक नई योजना गोबर-धन की घोषणा की। जेटली ने आम बजट पेश करते हुए गोबर-धन (गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायॉ-एग्रो रिसोर्स धन) योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायॉ-गैस और बायॉ-सीएनजी में बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि समावेशी समाज निर्माण के दृष्टिकोण के तहत सरकार ने विकास के लिए 115 जिलों की पहचान की है।
- **उज्ज्वला योजना का विस्तार :** मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मिलने वाले मुफ्त एलीपीजी कनेक्शनों की संख्या को 8 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
- **राष्ट्रीय बांस मिशन :** वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राष्ट्रीय बांस मिशन का प्रस्ताव भी पेश किया है। इस स्कीम के तहत 1,290 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। इससे बांस की पैदावार को एक उद्योग के तौर पर विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लोगों को मदद मिल सकेगी।
- **सौभाग्य योजना :** इसके साथ ही सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बिजली कनेक्शनों की संख्या को 4 करोड़ परिवारों तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यह स्कीम पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है।
- **उड़ान योजना का विस्तार :** क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत क्षमता से कम उपयोग हो रहे 56 हवाईअड्डों और 31 हेलीपैड को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सरकार सालाना एक अरब यात्राओं के लिए हवाईअड्डों की क्षमता पांच गुना बढ़ाएगी।
- **एकलव्य स्कूल :** अरुण जेटली कहा कि नवोदय स्कूलों की तर्ज पर 2022 तक अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य स्कूलों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि 50 फीसदी से अधिक जनजाति वाले क्षेत्रों और 20,000 आदिवासी लोगों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। ये विद्यालय नवोदय विद्यालयों का हिस्सा होंगे और यहां खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण देने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण की भी विशेष सुविधाएं होंगी।
- **प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना :** वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट के दौरान पीएम फेलोशिप योजना का भी ऐलान किया। इसके तहत एक हजार बी.टेक छात्रों को आइईआईटी और आईआईएससी में पीएचडी करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

कृषि क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित घोषणाएं की गई

- वित्त मंत्री ने खेती की संभावनाओं और उपलब्धियों की सूची पेश की। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य **(MSP)** लागत का 150% देने का फैसला किया।
- कृषि उपज के लिए जिला स्तर पर औद्योगिक कलस्टर जैसा सिस्टम बनाया जाएगा।
- 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य।
- 22 हजार हाट कृषि बाजार में बदले जाएंगे।
- लघु, कुटीर उद्योगों को 200 करोड़ की सहायता राशि दिया जायेगा।
- ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन्सज शुरू किए जाने की घोषणा की गई। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा।
- मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कोष। 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे।
- केंद्र सरकार ऑपरेशन ग्रीन शुरू करेगी।
- कृषि प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपये।
- जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
- 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 5750 करोड़ का प्रावधान।
- कृषि कर्ज को 1 लाख करोड़ बढ़ाकर 11 लाख करोड़ किया गया। उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य पांच करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ किया गया।
- चिकित्सा संबंधी कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जायेगा।
- कम लागत में अधिक फसल उगाने पर जोर।
- किसानों को उनकी उपज का अधिक दाम दिलाने पर फोकस।
- लघु और सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास किया जाएगा।
- खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना किया गया है।
- मछुआरों और पशुपालकों को भी किसानों की तरह क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे।
- कृषि बाजार के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
- ऑर्गेनिक खेती को और बढ़ावा दिया जायेगा। महिला समूहों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
- मछली पालन और पशुपालन व्यवसाय में 10000 करोड़ रुपये देकर ग्रामीण क्षेत्रो में जनता की आय बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।
- सौभाग्य योजना के तहत चार करोड़ गरीब घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी।
- साल 2022 तक हर गरीब के पास उसका अपना घर होगा।
- गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

टैक्स से जुड़ी कई अहम बातें

- इनकम टैक्स के दरों में कोई भी बदलाव नहीं।
- नौकरीपेशा को टैक्स में कोई छूट नहीं।
- वरिष्ठ नागरिकों को 50 हजार तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं। कुछ खास बीमारियों में बुजुर्गों की छूट बढ़ी।
- मेडीक्लेम पर 50 हजार तक की छूट।
- स्टैंडर्ड डिडेक्शन 40,000 रुपए किया।
- मेडिकल खर्च पर छूट 15 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए किया।
- कॉर्पोरेट टैक्स में कंपनियों को भारी छूट।
- एक लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल पर 10 लाख की छूट।
- टैक्स देने वालों की संख्या 19.25 लाख बढ़ी, 90 हजार करोड़ ज्यादा कलेक्शन।
- 250 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों को राहत देना होगा, सिर्फ 25% टैक्स।
- इस साल डायरेक्ट टैक्स 12.6 प्रतिशत बढ़ा।
- काले धन के खिलाफ मुहिम से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा।
- बजट के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस भी अब टैक्स नेट में, एक लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 10% कर।
- ईपीएफ में नए कर्मचारियों का 12% सरकार देगी, अब तक 8.33% सरकार देती रही है।
- 2 बीमा कंपनियों सहित 14 सरकारी कंपनियां शेयर बाजार से जुड़ेंगी।

शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी अहम बातें

1. आदिवासी आबादी के लिए सरकार पूरे देश में एकलव्य स्कूल खोलने जा रही है।
2. बीएड करने वालों के लिए इंटिग्रेटेड प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।
3. देश भर में 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, साथ ही चल रहे कॉलेजों को भी अपग्रेड किया जाएगा।
4. 1000 बीटेक छात्रों के लिए पहली बार शुरू की जाएगी प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप।
5. प्लानिंग और आर्किटेक्चर के लिए दो नए स्कूल खोले जाएंगे।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- बजट 2018 में गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है। इसके तहत देश 10 करोड़ परिवार अर्थात 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये प्रति परिवार कैशलेस मेडिकल बीमा कवर दिया जाएगा। टीबी के मरीजों के लिए 600 करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है।
- देश के हर गरीब के पास अपना घर होगा. वर्ष 2022 तक सरकार ने 51 लाख नये घरों का निर्माण किए जाने की घोषणा की है।
- उज्ज्वला योजना के तहत अब 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाने की घोषणा की गई है।
- व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2016-17 में 85.51 लाख नये करदाता जुड़े हैं जिसके कारण प्रत्यक्ष कर में पिछले साल 12.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।
- सभी वेतनभोगियों को 40 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की घोषणा की गई है।
- देश में हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकेंगे। 'उड़ान योजना' के तहत देशभर में 56 हवाई अड्डों और 31 हेलीपैडों में कनेक्टिविटी सुविधा की घोषणा की गई।
- 'उड़ान योजना' को आमलोगों से जोड़ने की पहल के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई।
- बिटक्वाइन जैसी करेंसी भारत में मान्य नहीं होगी। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानती है।
- जीएसटी लागू करने से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली आसान हुई। इसके कारण 41 फीसदी अधिक आयकर रिटर्न भरे गए। टैक्स् चोरी रोकने के लिए उठाए गए कदमों से 90 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त टैक्सं मिला।
- रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित रक्षा खर्च के नए आंकड़े जारी किए, इसके अनुसार अगले वित्त वर्ष का रक्षा बजट 2.95 लाख करोड़ रुपये का होगा।
- डिजिटल इंडिया प्लावन के लिए इस बजट में 3073 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट एक्सेस के लिए 5 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए जाने की घोषणा की गई है।
- रेलवे के लिए सरकार ने 1.48 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किए जाने की घोषणा की है। 3600 किलोमीटर रेल पटरियों के नवीनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर आदिवासी बहुल ब्लॉकों में 'एकलव्य' मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। 2022 तक शिक्षा में आधारभूत सुधार के लिए 'राइज' नामक पहल का प्रस्ताव किया गया है।
- शिक्षकों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम शुरू किए जाने की घोषणा हुई है। स्कूलों को आधुनिक बनाए जाने की घोषणा हुई है, जिसके तहत स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे। अगले 4 सालों में एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाने की घोषणा हुई।
- हर तीन लोकसभा सीटों पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना है। इस वर्ष 24 नये मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है।
- सौभाग्य योजना के जरिए 4 करोड़ गरीबों को बिजली कनेक्शन दिए जाने की घोषणा की गई है। अगले वित्त वर्ष में 2 करोड़ शौचालय बनाए जाने की भी बात कही गई है।
- देश में कई अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की व्यवस्था लागू होने के चलते केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) कर दिया गया है।
- साल 2018-19 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर पांच लाख रुपये, उपराष्ट्रपति का चार लाख रुपये और राज्यों के राज्यपालों का वेतन बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये किया जाएगा। इसी के साथ हर पांच साल में महंगाई दर के आधार पर सांसदों के वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी।
- सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से चूकी, 2017-18 में 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।
- घरेलू स्मार्टफोन निर्माताओं की मदद के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया।
- सरकार ने इस साल 70 लाख नौकरियों का लक्ष्य के साथ-साथ 50 लाख युवाओं को नौकरी के लिए सरकार ट्रेनिंग भी देगी। रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

***

संभावित प्रश्न

ग्रामीण भारत के लिए अपनी घोषणाओं में उदार होने के बावजूद, बजट मध्यवर्गीय और कॉर्पोरेट क्षेत्र में अपने योगदान में मितव्ययी रहा है। इस कथन के संदर्भ में बजट के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

Despite being generous in its announcements to rural India, the budget has been economical in its contribution to the middle-class and corporate sector. Critically analysis of some important features of the budget in relation to this statement. (250 words)

भारत के स्वास्थ्य का बजट

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है। (03 फरवरी, 2018)

''केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आम बजट में घोषित विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सा बीमा योजना कैशलेस होगी और इसमें इलाज खर्च अपनी तरफ से करने के बाद भुगतान के लिए दावा करने की जरूरत नहीं होगी।'' इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र 'इंडियन एक्सप्रेस' एवं 'द हिन्दू' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी. एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''इंडियन एक्सप्रेस''
(खराब निदान, गलत औषधि)

''केन्द्रीय बजट में प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल की लागत पर तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चत करने की घोषणा दोषपूर्ण है। सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना कोई विकल्प नहीं है।''

यदि पिछले तीन केंद्रीय बजट में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के संकेत दिए गये थे, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बजट के दृष्टिकोण पर किसी को भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए।

नेशनल हेल्थ पॉलिसी (एनएचपी) 2017 में सरकार के (केंद्र और राज्यों को एक साथ) स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाने के लिए जीडीपी के मौजूदा 1.15 प्रतिशत से 2025 तक 2.5 प्रतिशत तक का खर्च इस बजट में महत्वपूर्ण नहीं मालूम पड़ता है। एनएचपी के मसौदे में प्रस्तावित सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम एक प्रतिशत खर्च करने के बजाय, गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य के प्रावधान में पिछले वर्ष 0.32 प्रतिशत से सकल घरेलू उत्पाद का 0.29 प्रतिशत आवंटन घटा दिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पिछले साल के 53,294 करोड़ रुपये के खर्च का मुकाबले में कुल नाममात्र आबंटन 54,600 करोड़ रुपये रहा है। मुद्रास्फीति के लिए लेखांकन, वास्तविक शब्दों में बजटीय आवंटन में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

कुल आवंटन में किसी भी वृद्धि के बिना, प्राथमिक देखभाल से तृतीयक देखभाल की प्राथमिकता में एक और बदलाव है। शहरी/शहर-आधारित संस्थानों को बजट में भी अधिक प्राथमिकता प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एम्स की तरह संस्थानों का निर्माण, सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन आदि) के लिए आवंटन मुद्रास्फीति के समायोजन के बाद मामूली शर्तों में 650 करोड़ रुपये या वास्तविक शब्दों में 18 फीसदी की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, पिछले वर्ष की तुलना में, जिला अस्पतालों के उन्नयन के लिए धन वास्तविक शर्तों में 14.5 फीसदी कम कर दिया गया था।

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतें, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया हैं। कुल स्वास्थ्य व्यय में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का हिस्सा 2015-16 में 52 प्रतिशत से घटकर इस साल 44 प्रतिशत हो गया है। इसकी निधियां भी कम से कम 1200 करोड़ रूपए से मामूली रकम में कटौती की गई थीं। एनआरएचएम के भीतर, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवा (2291 करोड़ रुपए में मामूली रूप में या 32 प्रतिशत वास्तविक शब्दों में) और संचारी रोगों की सावधानी के लिए कटौती (वास्तविक संदर्भ में 720 करोड़ रुपए, मामूली शर्तों में 28 प्रतिशत) में काफी कठोर थी। एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में 1,356 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। तो अब यहाँ कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि इसमें से 1200 करोड़ रुपये वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में दिए गए 1.5 लाख 'स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों' की स्थापना के लिए उपयोग में लाये जायेंगे।

''द हिन्दू''
(मोदीकेयर के कार्यान्वयन पर)

''नई स्वास्थ्य योजना के लिए केंद्र को कार्यान्वयन का एक रोडमैप तैयार करना चाहिए।''

एनडीए सरकार ने एक स्वास्थ्य योजना शुरू करने में अपने पहले तीन वर्षों का अनमोल समय खो दिया है जो सार्वभौमिक कवरेज को प्राप्त करने और उच्च स्वास्थ्य देखभाल लागत से लोगों को बचाने के दो उद्देश्यों से संबंधित है। यह बजट में दो साल पहले घोषित किया गया था कि स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में प्रति परिवार 1 लाख प्रति परिवार का कवर होता है, लेकिन आखिरकार यह 30,000 से ज्यादा संभव नहीं हो पाया था।

2018 के बजट में आयुषमान भारत की घोषणा के साथ नई आशाएं बढ़ी हैं। इस योजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एनएचपीएस) की कल्पना के अनुसार आवश्यक दवाओं के निदान, देखभाल और वितरण के लिए स्वास्थ्य केंद्र खोलने के घटक हैं। अस्पताल में भर्ती के लिए 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों के लिए 5 लाख रुपये तक का कवर प्रदान करना शामिल है।

ये भारत के स्वास्थ्य प्रणाली के खंडित प्रकृति को देखते हुए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हैं। कुछ राज्य पहले ही गरीबों के लिए स्वास्थ्य कवर खरीदे हैं, लेकिन निजी माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं या उपचार लागत को विनियमित नहीं करते हैं। केंद्र के सामने यह कार्य है, जिसने कार्यक्रम क्षेत्रों के लिए 3,200 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं, अब एक कार्यान्वयन रोडमैप तैयार करना है।

हालांकि, यह 80,000 रुपये प्रति केंद्र की औसत से काम करेगा। लेकिन एक मजबूत सहायक संरचना के अभाव में उनकी प्रभावशीलता संदिग्ध मालूम पड़ती है। दूसरी ओर, एनआरएचएम के तहत बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए निवेश नहीं बढ़ाया गया है। इनमें से सभी का मतलब है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं में मौजूदा कमी – स्वास्थ्य उप-केंद्रों की 20 प्रतिशत कमी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की 22 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की कमी (ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी के अनुसार) 2016 को संबोधित करने की संभावना नहीं है। एनआरएचएम के तहत सार्वजनिक व्यय की यह कमी एक पहले से मरे हुए ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी सुविधाओं के लिए मौत की सजा है।

एनआरएचएम के शहरी समकक्ष, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) को केवल 875 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लिए केंद्रीय अनुमान से अनुमानित औसत वार्षिक बजटीय आवश्यकता 3,391 करोड़ रुपये थी।

संबद्ध क्षेत्रों में, कोर आईसीडीएस के लिए आवंटन मुद्रास्फीति के समायोजन के बाद वास्तविक रूप में 4.7 प्रतिशत तक- पिछले वर्ष की तुलना में केवल थोड़ा सा बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और मातृत्व लाभ ने पिछले साल के खर्च के मुकाबले इस साल के बजट में आवंटन घटा दिया गया है। टीबी रोगियों के लिए पोषण सहायता की शुरुआत एक सकारात्मक कदम है, भले ही यह प्रति मरीज 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से कम है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना की निरन्तर उपेक्षा करना और खराब प्राथमिक स्वास्थ्य से विशिष्ट तृतीयक देखभाल की ओर ध्यान केन्द्रित, केवल स्वास्थ्य सेवाओं के निचले स्तर पर रोकथाम योग्य या इलाज के साथ माध्यमिक और तृतीयक सार्वजनिक अस्पतालों को रोकना होगा। हांलाकि, तृतीयक देखभाल में सार्वजनिक अस्पतालों का विस्तार करने की आवश्यकता है, प्राथमिक देखभाल की लागत पर इसे नहीं बनाया जा सकता। प्राथमिक देखभाल सेवाओं की अनुपलब्ध ता के कारण गरीबों का बहुत खर्च हो जाता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य में संकट का प्रमुख कारण है। हाई-एंड अस्पताल का एकतरफा विस्तार इस समस्या का समाधान नहीं करेगा।

स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य की समग्र उपेक्षा के बीच, सरकार ने सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा के लिए एक विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया है। हालांकि, आरएसबीवाई के तहत स्वास्थ्य बीमा के लिए 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन 10 करोड़ परिवारों के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक के कवरेज के साथ एक व्यापक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के वादे से मेल नहीं खाता। एक परिवार के प्रति एक लाख रुपये की कवरेज के लिए पहले के एक अनुमान के मुताबिक प्रति वर्ष 4,800 करोड़ रुपये ज्यादा का प्रस्ताव था।

सार्वजनिक अवसंरचना के विकल्प के रूप में बीमा प्रति-उत्पादक हो सकता है। अनियमित निजी क्षेत्र के लिए एक बढ़ती भूमिका स्वास्थ्य देखभाल की लागत में वृद्धि कर सकती है और बीमा प्रीमियम को बढ़ा सकती है, जिसे सरकार द्व ारा भुगतान किया जाना है।

कुल मिलाकर, एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र की अनुपस्थिति में, एक सार्वजनिक-वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा मुख्य रूप से निजी मुनाफा को बढ़ा सकता है। यह बजट अधिकांश भारतीयों की स्वास्थ्य जरूरतों के प्रति एक दोषपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है।

***

ऐसे विकासशील देश जिन्होंने एक दशक पहले सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजनाएं शुरू कीं, जैसे कि मेक्सिको, उन्हें भी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इसमें प्रान्तों को संसाधनों का हस्तांतरण, स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती और चुने हुए इकाइयों को दवाओं की खरीद और वितरण जैसी समस्याएं शामिल है।

निश्चित रूप से ये सभी समस्याएं भारत पर भी लागू होते हैं। इसके अलावा, गैर-लाभकारी तृतीयक देखभाल क्षेत्र की लगातार वृद्धि ने उन लोगों के लिए बुनियादी देखभाल पैकेज में आने की अतिरिक्त चुनौती पेश की है जो उचित लागत पर एनएचपीएस द्वारा कवर किए गए हैं। एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली को सभी मौजूदा राज्य-वित्त पोषित बीमा योजनाओं को भी शामिल करना होगा।

यह लाभार्थियों को एक विशेष राज्य के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे देश में सूचीबद्ध अस्पताल में प्रवेश प्रदान करेगा। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों के मामले में, जो आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत योजनाबद्ध हैं, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे गैर-संचारी रोगों के प्रभाव को कम करके एक निवारक भूमिका निभाने के लिए काफी संभावनाएं दर्शाता हैं। इस तरह के केंद्र सभी पंजीकृत डॉक्टरों द्वारा निरुपित निशुल्क अनिवार्य दवाएं बांट सकते हैं और एक केंद्रीकृत एजेंसी के माध्यम से खरीद सकते हैं।

लेकिन एक बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य प्रणाली की दक्षता सख्त विनियमन पर निर्भर करती है। गरीबों के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषित बीमा के शुरुआती अनुभव से पता चलता है कि कुछ निजी अस्पताल दावों को बढ़ाने के लिए अनावश्यक परीक्षण और उपचार का सहारा ले सकते हैं।

इसलिए सरकार द्वारा इलाज की लागत का निर्धारण महत्वपूर्ण है। यह निजी स्वास्थ्य बीमा के साथ भी सहायता करेगा, क्योंकि यह सूचना विषमता को समाप्त कर देता है और एक तुलनात्मक बिंदु प्रदान करता है। केंद्र को अगले चरण के विवरण को साझा करना चाहिए।

***

GS World टीम...

मोदीकेयर क्या है?

'मोदीकेयर' के रूप में चर्चित राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत कुल आबादी के 40 प्रतिशत यानी 10 करोड़ परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आने पर पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा बीमा सुरक्षा दी जाएगी।

किन्हें कवर किया जाएगा?

- 2011 के सोशियो-इकनॉमिक कास्ट सेन्सस में 'वंचित' के तौर पर वर्गीकृत 10 करोड़ परिवार। प्रति परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवरेज।
- एक बार जब योजना लॉन्च हो जाएगी तो ये परिवार खुद-ब-खुद इसके दायरे में आ जाएंगे। परिवार के आकार पर कोई सीमा नहीं है, यानी परिवार में चाहे जितने सदस्य हों, सबको कवरेज मिलेगा।

स्कीम को लागू करने की टाइमलाइन

- मार्च तक स्कीम को मंजूरी
- मार्च तक इससे जुड़े स्टेकहोल्डर्स स्कीम को लेकर मंथन करेंगे।
- अप्रैल में इससे जुड़े डेटा को तैयार किया जाएगा तो जून तक आईटी सिस्टम की तैयारी हो जाएगी।
- जून में ही स्कीम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
- जुलाई तक इसके लिए राज्य अपनी तैयारियां कर लेंगे और उसी महीने इसके लिए टेंडर निकाला जा सकता है।
- इस योजना की शुरूआत इस साल 2 अक्टूबर से होगी।

ओबामाकेयर क्या है?

अमेरिकी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के मकसद से बाराक ओबामा ने जो हेल्थकेयर प्लान शुरू किया, उसे ही ओबामाकेयर के नाम से जाना जाता है। इसका आधिकारिक नाम द पेशंट प्रोटेक्शन एंड अफोर्डेबल केयर एक्ट (पीपीएसीए) है और 23 मार्च, 2010 को इस बारे में कानून बना था।

- इस कानून का मकसद अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस की क्वॉलिटी और अफोर्डिबिलिटी को बढ़ाना और स्वास्थ्य मामलों पर लोगों द्वारा खर्च की जानेवाली रकम को कम करना है। क्वांटिटी के ऊपर क्वॉलिटी को तरजीह देकर ऐसा किए जाने की योजना है।
- इस कानून के तहत जिन लोगों के पास इंश्योरेंस कवर नहीं है, वह ओबामाकेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओबामाकेयर इंश्योरेंस के तहत चार कैटिगरी है। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। हालांकि, इनमें से हर कैटिगरी के तहत इंश्योरेंस लेने वालों को बेसिक सुविधाएं मिलती हैं जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा, इमरजेंसी केयर, एंबुलेंस की सेवा, मैटरनिटी केयर आदि खास हैं।

व्याप्त चिंताएं

- दो साल पहले घोषित एक लाख रुपये के कवरेज का फायदा अब तक किसी को नहीं मिला।
- पांच लाख रुपये के बीमा कवरेज के लिए 12000 रुपये की किस्त।
- बीमा योजनाओं का फायदा मरीज से अधिक बीमा कंपनियों को।
- सरकार 50 करोड़ लोगों को पांच साल सालाना हेल्थ बीमा का सब्जबाग दिखा रही है। 30 हजार रुपये की बीमा योजना के लिए सरकार को 750 रुपये प्रीमियम देना होता है और इस हिसाब से पांच लाख रुपये बीमा कवरेज के लिए 12000 रुपये की किस्त जमा करनी होगी।
- जानकारों के मुताबिक इतना बीमा देने के लिए सरकार को हर साल कुल सवा लाख करोड़ रुपये का प्रीमियम देना होगा जो केंद्र और राज्य सरकारों के सम्मिलित हेल्थ बजट से अधिक है।
- नेशनल हेल्थ मिशन जो कि केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत बच्चों और महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य सेवा भी मुहैया कराई जाती हैं। उसमें 770 करोड़ की कटौती हुई है।
- इससे बच्चों और माताओं की मृत्यु दर बढ़ने का डर है, दूसरी ओर सरकार ने जो सरकारी बीमा योजना के विस्तार का ऐलान किया है उसका प्रीमियम ही अगर देखें तो केंद्र सरकार के पिछले साल के कुल स्वास्थ्य बजट का तीन गुना बनता है।
- सरकार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के वक्त प्रचलित हुई 'ओबामा केयर' की तरह 'मोदी केयर' शुरू करना चाहती है लेकिन सरकार के मौजूदा आंकड़े को सही भी मानें तो अभी देश की 25 प्रतिशत आबादी ही आज सरकारी बीमा कवरेज में है।

अन्य संबंधित तथ्य

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में हर एक लाख लोगों के लिए औसतन 79.7 डॉक्टर होते हैं।
- चंडीगढ़ में प्रति एक लाख लोगों के लिए डॉक्टरों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसमें 279.9 डॉक्टर शामिल हैं। मेघालय में जनसंख्या के प्रति लाख में 27.5 लाख डॉक्टर मौजूद हैं।
- सभी उत्तर-पूर्वी राज्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की संख्या में राष्ट्रीय औसत से पीछे है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में क्रमशः 32.5 और 35.6 डॉक्टर प्रति लाख नागरिक हैं।
- विश्व बैंक द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक, भारत में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 2014 में 267 डॉलर था, जो विश्व औसत 1,271 डॉलर से काफी नीचे था।
- भारत में स्वास्थ्य देखभाल पर प्रति व्यक्ति खर्च इंडोनेशिया जैसे अन्य विकासशील देशों और जिबूती और गैबन जैसे अफ्रीकी देशों की तुलना में कम है, जहां औसत नागरिक स्वास्थ्य देखभाल पर 338 डॉलर और 599 डॉलर खर्च करता है।

***

नोट : इस आलेख से जुड़ा हुआ **'माइंड मैप'** देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज ***GS World*** पे जाएं तथा ऐसे माइंड मैप रोज पाने के लिए पेज लाइक करें।

संभावित प्रश्न

एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र की अनुपस्थिति में, एक सार्वजनिक-वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा मुख्य रूप से निजी मुनाफा को बढ़ा सकता है। यह बजट अधिकांश भारतीयों की स्वास्थ्य जरूरतों के प्रति एक दोषपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

In the absence of a strong public sector, a public-funded health insurance can mainly increase private profits. This budget shows a flawed approach to the health needs of most Indians. Analyze this statement. (250 words)

माले का राजनीतिक संकट

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अन्तर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है। *(05 फरवरी, 2018)*

''मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिया और सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई का आदेश दिया है। जिसके बाद वहां राजनीतिक संकट के बादल मंडराने लगे है।'' इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र 'इंडियन एक्सप्रेस' एवं 'द हिन्दू' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी. एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''इंडियन एक्सप्रेस''
(माले में व्याप्त अशांति)

राष्ट्रपति यमीन के लिए आसन्न खतरा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और यहाँ भारत ने भी न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है।

मालदीव में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक गाथा ने नाटकीय रूप से नया मोड़ ले लिया है जिसने लोकतांत्रिक राजनीति के लिए फिर से नए रस्ते का निर्माण कर दिया है, जिसमें राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन पर निश्चित रूप से हमला किया जाता रहेगा। पिछले हफ्ते, यामीन के सत्तावादी शासन को झटका देते हुए, अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को तत्काल जारी करने का आदेश दे दिया, जिन्हें वर्ष 2012 में आतंकवाद के आरोप लगा कर तख्तापलट कर राष्ट्रपति पद से अपदस्थ कर दिया गया था।

अदालत ने आठ अन्य लोगों की रिहाई का आदेश दिया है, यह फैसला करते हुए कि सभी परीक्षण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन में थे। जेल में कुछ महीनों बाद नशीद ने चिकित्सा उपचार के लिए देश छोड़ दिया था, तब से वह लंदन में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

गौरतलब है कि अदालत ने संसद के 12 विपक्षी सदस्यों को दोबारा बहाल किया है, जिन्हें एक संयुक्त विपक्षी ने 2016 में यमीन का विरोध करने के प्रयास में अयोग्य घोषित कर दिया था। इस साल के राष्ट्रपति चुनाव से पहले, इस फैसले ने नशीद और विपक्ष को एक मौका दिया है।

अब तक एक तरफा लड़ाई इस आदेश के जवाब में एक विपक्षी अदालत ने यामीन की बर्खास्तगी के लिए अपील की थी। लेकिन अभी अफसोस की बात यह है कि राष्ट्रपति ने अभी तक फैसले को लागू नहीं किया है। ऊपर से सरकार ने पुलिस प्रमुख को ही बर्खास्त कर दिया, जिन्होंने कहा था कि उनकी सेना इसे लागू करेगी और सोमवार को शुरू होने के कारण मजलिस के नियोजित सत्र को भी बंद कर दिया है।

यहाँ इस बात का भी डर है कि यमीन आपातकाल भी घोषित कर सकते हैं। लेकिन, विरोधियों ने माले की सड़कों पर उनकी इस्तीफे की मांग की है, जिसके बाद उन पर खतरा मंडराने लगा है। राष्ट्रपति ने कहा है कि वह शुरुआती चुनावों के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके द्वारा किया जा रहा है, कार्य यह विश्वास पैदा नहीं करता हैं कि वे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने देंगे। अभी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने की तलाश में है, जो यह मालदीव के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है।

''द हिन्दू''
(माले में अशांति)

ताजा चुनाव, विपक्षी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, मालदीव के पास अब सबसे अच्छा विकल्प मौजूद हैं।

मालदीव में मामला गंभीर हो चुका हैं, जहाँ राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन की सरकार न्यायपालिका, राजनीति और नौकरशाही के वर्गों के खिलाफ खड़ा है। यमीन वर्ष 2013 से शासन में है, जब उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की, जिसके परिणाम अभी भी विवादास्पद हैं। इन्होने मोहम्मद नशीद को हराया था, जिन्हें वर्ष 2012 में अपदस्थ कर दिया था और 2015 में, आतंकवादी के आरोप में 13 साल की सजा सुनाई गई थी।

श्री नाशीद अभी निर्वासन में हैं। 1 फरवरी को एक आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कारावास की अवधि को रद्द कर दिया था। अदालत ने संसद के 12 विपक्षी सदस्यों को दोबारा बहाल किया है, जिन्हें एक संयुक्त विपक्षी ने 2016 में यमीन का विरोध करने के प्रयास में अयोग्य घोषित कर दिया था।

लेकिन 2 फरवरी को एक आधिकारिक बयान के बावजूद कि उनकी सरकार 'सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बनाए रखने और पालन करने की प्रतिबद्ध' है, यमीन ने अभी आदेश का अनुपालन नहीं किया है।

सरकार की सबसे अधिक असफलता 9 नेताओं की कारावास को रद्द करने के फैसले से दिख जाती है, जिनमें से श्री यमीन के पूर्व उपाध्यक्ष और उनके पूर्व रक्षा मंत्री, संसद के सदस्य और प्रमुख विपक्षी दल के नेता शामिल हैं, जिसमें नशीद भी शामिल हैं। सांसदों ने संसद को निलंबित करने के सप्ताहांत के एक आदेश की अवज्ञा में एक बैठक करने की कोशिश की, लेकिन सशस्त्र बलों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया, जिसके चलते उसके महासचिव का इस्तीफा हो गया है।

ऐसी परिस्थितियों में यमीन के लिए सबसे बुद्धिमान काम यह करना चाहिए कि वह अदालत के फैसले को माने, जिससे नशीद को देश में वापसी के बाद जेल में जाने का डर खत्म हो जाये। साथ ही सिर्फ कुछ महीने के अंत तक राष्ट्रपति चुनाव के साथ, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक वोटिंग के शर्तों को पूरा करने के लिए यमीन के लिए पद छोड़ना सबसे अच्छा उपाय होगा।

भारत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है और कहा कि मालदीव सरकार को इसका पालन करना चाहिए, इसे 'लोकतंत्र की भावना और कानून के शासन' के लिए 'अनिवार्य' कहते हैं। अस्वाभाविक रूप से, नई दिल्ली खुलेआम नशीद और मालदीव विपक्ष के साथ खड़ा हो रहा है। हांलाकि, यह आश्चर्यजनक बात नहीं है।

क्योंकि भारत विशेष रूप से यमीन सरकार से परेशान रहा है, जिसमें पहला कारण है, जब एक भारतीय निजी कंपनी को निष्कासित कर दिया गया जो माले हवाई अड्डे के विकास से जुड़ा हुआ था, उसके बाद दूसरा कारण यह है कि मालदीव के राष्ट्रपति और चीन के बीच बढ़ता संबंध। चीन ने मालदीव को बड़ी मात्रा में कर्ज और आर्थिक सहायता देकर अपनी ओर खींचने का प्रयास किया है।

दो साल पहले, मालदीव ने कानून के माध्यम से विदेशियों को संपत्ति के फ्रीहोल्ड के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रयास किया। नशीद, जो खुले तौर पर राजनीतिक समर्थन के लिए भारत के पक्ष में है, यमन से ज्यादा भारत के अनुकूल हो सकता है। लेकिन, जैसा कि श्रीलंका के साथ, जिसने 'भारत के समर्थक' सरकार के तहत भी चीन के साथ अपने संबंध बनाए रखा हैं, इसलिए नई दिल्ली को इस वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि यदि नाशीद सत्ता में वापस आ जाते हैं तो शायद वो भी श्रीलंका जैसा कर सकते हैं।

क्योंकि हर देश अपने हित में कार्य करते हैं। दक्षिण एशिया में, छोटे राष्ट्रों ने चीन के खिलाफ इसे निभाकर अपनी आशंका और भारत की छाया में रहने की असुरक्षाओं को संतुलित करने की कोशिश की है और पाकिस्तान के मुकाबले कम हद तक अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए दोनों पक्षों का लाभ उठाने का उपयोग किया है।

चीन की चाल भारत को इस खेल में एक स्तर का खेल नहीं देते, लेकिन गहरे ऐतिहासिक और राजनीतिक संबंधों से यह एक अलग तरह का लाभ देता है। यमीन या नशीद, दीर्घकालिक रूप से, भारत को चीन के साथ कोई खेल बिना मालदीव तक पहुंचना चाहिए।

***

वास्तव में, सरकार ने हवाईअड्डे पर दो सांसदों को गिरफ्तार करने के अलावा, सांसदों को परिसर में प्रवेश करने से रोकने के लिए सेना में भेज दिया। इस बीच, दो पुलिस प्रमुखों और जेल प्रमुख सहित कई अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है या बर्खास्त कर दिया गया है, कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग के लिए।

अब अटॉर्नी जनरल ने घोषणा की है कि केवल संविधान सत्य है, न कि अदालत से प्राप्त हुए अवैध आदेश। संक्षेप में, मालदीव एक संवैधानिक संकट का सामना कर रहा हैं। चुनाव होने वाले हैं, जिसकी संभावना इस साल के अंत होने की जा रही है।

इस उथल-पुथल के बीच, भारत भी यू.एस., यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों के समान उस श्रेणी में शामिल हो गया है जो चाहते हैं कि यमिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे। नई दिल्ली ने एक बयान में कहा कि वह माले में व्याप्त 'संकट' की निगरानी बहुत बारीकी से कर रहा है।

लेकिन फिलहाल, मालदीव में दिल्ली का लाभ थोड़ा कम हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन साल पहले अपनी यात्रा को रद्द करने का फैसला, यह दर्शाता है, कि उन्होंने दक्षिण एशियाई और हिंद महासागर क्षेत्र में एकमात्र देश मालदीव की यात्रा अभी तक नहीं की है।

यह देखते हुए कि मालदीव ने खुद को राष्ट्रमंडल से अलग कर लिया है और वर्तमान में सार्क में भी उसका झलक नाम मात्र ही मालूम पड़ता है तो इसलिए शायद भारत की माले में दिलचस्पी सीमित है। इसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ठोस कार्रवाई की आवश्यकता होगी, ताकि यमीन को इस संकट से मालदीव को चलाने के लिए मजबूर किया जा सके, बिना सहकारी तरीकों का सहारा लिए।

***

चर्चा में क्यों?

- मालदीव में सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। हालात ये हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। जबकि राष्ट्रपति ने कोर्ट का आदेश मानने से इनकार कर दिया है। मालदीव की सेना ने रविवार को संसद परिसर को घेर लिया। इस सियासी तूफान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भारत समेत दूसरे लोकतांत्रिक देशों से मदद की गुहार लगाई है।

क्यों हुआ विवाद?

- दरअसल, मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद समेत जेल में बंद अन्य कैदियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था। मगर, राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने कोर्ट का ये ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया।
- कोर्ट ने नशीद समेत 9 राजनीतिक बंदियों को रिहा करने और 12 संसद सदस्यों को बहाल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था असंतुष्टों को अवश्य रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा राजनीति से प्रेरित और गलत था।

कोर्ट ने क्या कहा

- कोर्ट ने कहा है, 'आदेश का पालन हो जाने और कैदियों को रिहा कर दिए जाने के बाद उनके खिलाफ दोबारा मुकदमा चलाने से महाभियोजक को कुछ भी नहीं रोकता है।'

यामीन की कुर्सी को खतरा

- दरअसल, 12 सांसदों को बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की पार्टी अल्पमत में आ जाएगी। जिसके बाद उनपर महाभियोग का खतरा मंडरा सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि ये सांसद सत्ता पक्ष से अलग होकर विपक्ष में शामिल हो गए थे।

विपक्ष का बयान

मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) ने कहा है कि उन्हें बैठक तक नहीं करने दी गई। सरकार ने सुरक्षाबलों का इस्तेमाल कर उन्हें मीटिंग नहीं करने दी।

संसद के अंदर फोर्स तैनात

- मालदीव में लंबे समय से टकराव की स्थिति है। यहां की संसद 'पीपुल्स मजलिस' के अंदर पिछले साल मार्च से सशस्त्र बल तैनात हैं, जब यामीन ने उन्हें असंतुष्ट सांसदों को निकालने का आदेश दिया था।

क्या है सरकार का पक्ष

- सरकार की तरफ से कहा गया है कि, 'राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने का सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला असंवैधानिक और अवैध होगा। इसलिए पुलिस और सेना से कहा गया है कि किसी भी असंवैधानिक आदेश का अनुपालन न करें।'

पुराना है विवाद

- मौजूदा विपक्षी नेता मोहम्मद नशीद मालदीव के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। मार्च 2015 में उन्हें आतंक के आरोपों में 13 साल जेल की सजा सुनाई गई। जिसके बाद अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति बन गए। बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नशीद के खिलाफ केस को राजनीति से प्रेरित बताया और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही यामीन की पार्टी से अलग होकर विपक्ष के खेमे में जाने वाले 12 सांसदों की बहाली के आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए। अगर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होता है तो मौजूदा राष्ट्रपति की कुर्सी जा सकती है। यही वजह है कि वो आदेश मानने से इनकार कर रहे हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने भारत से लोकतंत्र और संविधान को बचाने में मदद की गुहार लगाई है।

कूटनीतिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण

- हिंद महासागर में स्थित मालदीव भारत के लिए कूटनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण देश है। नशीद और उनकी पार्टी मालदीव डेमोक्रैटिक पार्टी (MDP) को भारत समर्थक माना जाता है, जबकि मौजूदा सरकार का झुकाव चीन की ओर है। चीन ने मालदीव को बड़ी मात्रा में कर्ज और आर्थिक सहायता देकर अपनी ओर खींचने का प्रयास किया है।

नोट : इस आलेख से जुड़ा हुआ **'माइंड मैप'** देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज ***GS World*** पे जाएं तथा ऐसे माइंड मैप रोज पाने के लिए पेज को लाइक करें।

संभावित प्रश्न

मालदीव में जारी राजनीतिक गतिरोध की संक्षिप्त चर्चा करते हुए न्यायालय के पक्ष को स्पष्ट करे, साथ ही यह भी बताये कि यह भारत की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने में किस प्रकार सहायक है? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Explain the stand of the court while briefly discussing the political deadlock in the Maldives, and also show how it is helpful in fulfilling India's territorial ambition? Discuss. (250 Worls)

दीर्घकालिक पूंजी लाभ कर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है। *(06 फरवरी, 2018)*

''हाल ही में बजट में लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एलटीसीजी) का एलान किया गया, जिससे म्यूचुअल फंड्स के निवेशक निराश हैं। अब म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपनी इक्विटी स्कीमों पर एलटीसीजी चुकाना होगा। इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र 'द हिन्दू' एवं 'फाइनेंसियल एक्सप्रेस' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी. एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''द हिन्दू''
(अधिक इक्विटी : दीर्घकालिक पूंजी लाभ कर)

''फाइनेंसियल एक्सप्रेस''
(इक्विटी पर एलटीसीजी टैक्स का पुनःपरिचय)

''सूचीकरण की अनुमति देकर 10% दीर्घकालिक पूंजी लाभ कर को संशोधित किया जाना चाहिए।''

इक्विटी पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) को वापस लाने का केंद्र सरकार का फैसला 2004-05 में खत्म हो गया था, लेकिन चुनाव वर्ष से पहले राजकोषीय घाटे को विस्तृत करने के लिए जल्दबाजी की बात लगती है। पिछले कुछ सालों में शानदार रिटर्न देने वाले इक्विटी में निवेशकों के साथ, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि वे अतिरिक्त राजस्व हासिल करने के लिए सरकार के लिए लक्ष्य बन गए हैं।

सूचीबद्ध इक्विटी और म्यूचुअल फंड में एक वर्ष से ज्यादा की अवधि वाले निवेश के साथ किसी भी प्रकार के निवेश पर 1 लाख रुपये के लाभ पर 10% कर लगाने की घोषणा करने का निर्णय, औसत मध्यमवर्गीय निवेशक को नुकसान पहुँचायेगा।

यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बजट के बाद दोनों निफ्टी और सेंसेक्स में तेज गिरावट दर्ज की गयी जो नए टैक्स से संबंधित है, साथ ही सरकार ने राजकोषीय लक्ष्यों को भी छोड़ दिया है। केंद्र ने नए कर वादों को उचित ठहराया है कि यह अपने कर आधार की कटौती और वित्तीय परिसंपत्तियों और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के बीच के खेल के स्तर से बचने में मदद करता है।

एक वैध चिंता यह है कि वैकल्पिक परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए टैक्स और अन्य अवरोधों को कम करने के बजाय इक्विटी पर टैक्स का बोझ बढ़ाना, करों के विकृत प्रभाव को संबोधित करने का सही तरीका है।

''बजट 2018 : इक्विटी पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर का पुनःपरिचय, कुछ समस्याओं को कम कर सकता है, लेकिन अगर वास्तविक अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है, तो टैक्स का असर सरकार के लिए थोड़ा अतिरिक्त राजस्व के साथ हो सकता है।''

हाल के वर्षों में बैंकों द्वारा खराब ऋण से निपटने की चुनौती, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत और विमुद्रीकरण के दंश के साथ एक वर्ष के संदर्भ में इस नवीनतम बजट को तैयार किया गया। देखा जाये तो कई राज्यों में होने वाले चुनाव और सबसे शीर्ष पर अगले साल होने वाले एक राष्ट्रीय चुनाव काफी महत्वपूर्ण है।

इन कारकों को देखते हुए, ऐसा लगता है कि पेश किया जा चुका बजट खराब नहीं है। कई टिप्पणीकारों ने राजकोषीय अनुशासन पर सरकार द्वारा दिखाई गयी अनदेखी के संदर्भ में चिंता व्यक्त की है। यहाँ इस सन्दर्भ में चिंता यह है कि संख्याएं निराधार हो सकती हैं और राजकोषीय परिणाम बजट से भी बदतर हो सकते हैं।

लेकिन यह दोनों मामलों पर एक परिचित कहानी है और भारत लंबे समय से इस आपदा से बचा हुआ है। यहाँ लेखक का मानना है कि वर्तमान स्तर पर राजकोषीय घाटे के मुद्दे को दूसरे क्रम पर रखना चाहिए।

अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मात्रात्मक मॉडल के अभाव में, कर व्यवस्था में विभिन्न परिवर्तनों के प्रभावों का आकलन करना भी मुश्किल है। इस साल, कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा है और जहाँ तक लेखक का मानना है कि इक्विटी पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर का पुनः परिचय समस्याओं को कम कर सकता है, लेकिन अगर वास्तविक अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो टैक्स का असर सरकार के लिए थोड़ा अतिरिक्त राजस्व के साथ हो सकता है। कुछ घरेलू फर्मों या उद्योगों की सुरक्षा करते हुए कस्टम शुल्क में कुछ बढ़ोतरी भी कुछ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के रूप में दिखता हैं।

बजट में कृषि क्षेत्र और छोटी कंपनियों की दक्षता और प्रदर्शन में वृद्धि के लिए कई अपेक्षाकृत छोटी पहल हुई है। बजट में छोटी फर्मों की 'औपचारिकता' बढ़ी है, जिससे अधिक से अधिक बेहतर आंकड़े आते हैं और ऐसे फर्मों को वित्त के संभावित रूप से बेहतर आवंटन, वित्तीय रूप से विवश होने के लिए प्रसिद्ध हैं।

इन मामलों में और दूसरों में, सरकारी खर्चों में वृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, जिससे संस्थानों में भी सुधार होगा, जिसमें नए तंत्र (जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म), संगठनों का नया स्वरूप (जैसे कि कृषि उत्पादन के विपणन के लिए) और संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं जो प्रवेश और प्रतियोगिता को बढ़ावा देते हैं।

इसके अलावा, लघु और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर के बीच छोटे अंतर अल्पकालिक व्यापारिक गतिविधियों के पक्ष में दीर्घकालिक होल्डिंग को हतोत्साहित करेगा। हालांकि यह भारतीय बाजारों में तरलता में सुधार करने और सरकार के राजस्व में वृद्धि करने के लिए काम कर सकता है, लेकिन यह भी कुछ हद तक लंबी अवधि के लिए इक्विटी में निवेश की बढ़ती संस्कृति को हतोत्साहित कर सकता है।

इसके अलावा, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी), जिसे 2004 में एलटीसीजी के एवज में पेश किया गया था इंट्रा-डे ट्रेडिंग के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए शेयरों की खरीद को दंडित करता है, जिसे सरकार ने अछूता नहीं छोड़ा है।

एसटीटी और एलटीसीजी की दोहरी बाधा लंबी अवधि के निवेश पर शेयरों में अल्पकालिक व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त करेंगे। एसटीटी और एलटीसीजी दोनों को लागू करने के लिए दुनिया का एकमात्र देश होने के नाते, भारत विदेशी निवेशकों के लिए भी कम आकर्षक हो सकता है।

कई बाधाओं के बावजूद, सरकार कम से कम सूचीकरण की अनुमति देकर (इक्विटी निवेश पर एसटीटी को हटाकर) और पूंजीगत लाभों की मुद्रास्फीति की दर के आधार पर अनुमति देकर नए टैक्स के नकारात्मक प्रभाव को नरम कर सकती है। निश्चितरूप से वैश्विक मुद्रा बाजार में भारत को विश्वसनीयता बनाए रखने के बारे में सावधान रहना महत्वपूर्ण है।

***

ऐसी संस्थागत नवाचारों का एक महत्वपूर्ण पहलू सफलता के लिए आवश्यक उपाय है जो भौगोलिक (एक दूसरे के पास फर्मों या खेतों को प्रभावित कर सकता है), या आपूर्ति श्रृंखला (किसानों और मध्यस्थों, या बड़ी कंपनियों और उनके उपठेकेदार) हो सकता है।

बजट भाषण में विभिन्न व्यय प्रतिबद्धताओं और नीतिगत परिवर्तनों की सूची शामिल है, लेकिन यह टेक्नोक्रेट्स (जैसे कि नीति आयोग में) और नौकरशाहों को सफल कार्यान्वयन के लिए तैयार किया जाएगा। यह सामान्य बात स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर भी लागू होती है, जहां पिछले कई वर्षों से बजट में भारत के गंभीर घाटे की समस्या से निपटने पर जोर दिया जा रहा है।

इन विचारों के संदर्भ में, आर्थिक सर्वेक्षण भी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है- हालांकि ये जरूरी नहीं कि बजट में (लेकिन अभी भी शामिल हो) यह अच्छी तरह से परिलक्षित हो। इस वर्ष, 10 नए तथ्यों में आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े सकारात्मकता शामिल हैं, बचत बनाम निवेश बढ़ाने का अधिक महत्व, आर्थिक क्षेत्र में न्यायिक अनिश्चितता और लंबितता, निर्यात के लिए छोटी कंपनियों के महत्व, और अर्थव्यवस्था के 'औपचारिकरण' में वृद्धि के संकेतों के कारण हुई क्षति। अन्य 'नए' तथ्यों में से एक, भारत का निम्न कर-जीडीपी अनुपात, कुछ समय के लिए जाना जाता है, लेकिन इसे पुनः पता करने के लिए चोट नहीं पहुंचाई जाती है।

अगले साल की चुनौती यह होगी कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर निरंतर चुनावी प्रचार वास्तविक प्रशासन और कार्यान्वयन से दूर होगा। भारत में टेक्नोक्रेट्स और नौकरशाहों की एक बड़ी जिम्मेदारी और एक राजनीतिक वातावरण में अपनी नौकरी को प्रभावी ढंग से पूरा करने की चुनौती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि छोटे फर्म वित्त और विकास की कमी, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग, कृषि ऋण और अन्य विषयों पर कैसे प्रभावी ढंग से कार्य किया जायेगा।

***

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- बजट में लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एलटीसीजी) के एलान से म्यूचुअल फंड्स के निवेशक निराश हैं। अब म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपनी इक्विटी स्कीमों पर एलटीसीजी चुकाना होगा।
- एक वर्ष से अधिक समय तक रोककर रखे गए शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंडों की बिक्री पर निवेशकों को एक लाख रुपए से अधिक के लाभ पर 10% की दर से एलटीसीजी कर का भुगतान करना होगा।
- इससे ऐसी स्कीम में निवेश करने वाले लोगों का रिटर्न घट जाएगा। जानकारों का मानना है कि इस वजह से ऐसे निवेशकों का बड़ा वर्ग यूलिप स्कीमों की तरफ जा सकता है।

बजट में क्या है प्रावधान?

- इस बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एलटीसीजी को फिर से लागू किया है जिसके बाद शेयर बाजार में इसको लेकर आशंकाएं बन गईं और मार्केट बुरी तरह टूट गया। जिन निवेशकों ने शेयरों या म्यूचुअल फंड को एक साल से ज्यादा समय तक रखने के बाद 1 लाख रुपये से ज्यादा का मुनाफा कमाया है, उन्हें 10 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा। अभी तक शेयरों, म्यूचुअल फंड की कमाई एलटीसीजी टैक्स से मुक्त थी। टैक्स के नजरिए से देखा जाए तो 1 साल से ज्यादा के निवेशकों को लॉन्ग टर्म इंवेस्टर कहा जाता है। साल 2004-2005 में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने हटा लिया था।

कब से लागू हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन?

- बजट में प्रस्ताव किया गया है कि एलटीसीजी 31 मार्च के बाद से बुक किए गए मुनाफे पर लगाया जाए। इसका मतलब है कि मार्च तक बेचे गए शेयरों के ऊपर आपको कोई एलटीसीजी नहीं देना होगा। इसका साफ मतलब है कि अगर मार्च तक आप 1 साल के रखे हुए शेयर बेचते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही एक वित्त वर्ष में अगर एलटीसीजी लगेगा तो वो 1 लाख रुपये से ऊपर के मुनाफे पर लगेगा। तो अगर एक निवेशक ने 1.5 लाख रुपये का लॉन्ग टर्म गेन कमाया है तो एलटीसीजी केवल 50,000 रुपये पर लगेगा। (1.5 लाख- 1 लाख रुपये = 50 हजार रुपये)

31 जनवरी तक कैसे मिलेगा एलटीसीजी पर टैक्स?

- अगर कोई निवेशक 1 अप्रैल के बाद अपने लॉन्ग टर्म शेयर बेचता है तो एलटीसीजी या तो 1 जनवरी के क्लोजिंग प्राइस पर लगेगा या जिस समय खरीदे गए थे, उस समय के प्राइस पर लगेगा। (दोनो में से जो भी ज्यादा हो) उदाहरण के लिए देखें तो अगर एक शेयर 15 जनवरी, 2017 को 100 रुपये की कीमत पर खरीदा गया है जो कि 31 जनवरी, 2018 को 200 रुपये पर बंद हुआ है और 31 मार्च के बाद बेचा जा रहा है तो इस पर टैक्स का निर्धारण 31 जनवरी के प्राइस के आधार पर होगी जो कि लिए गए समय से ज्यादा है।

लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है?

- एलटीसीजी उन शेयरों या इक्विटी फंडों की बिक्री से अर्जित लाभ पर लिया गया कर है, जिन्हें किसी निवेशक द्वारा अपने पास 1 वर्ष से अधिक समय तक रखा हुआ है।
- वर्तमान में स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार करने वालों को शेयरों की बिक्री से अर्जित लाभ पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर नहीं देना होता है, जबकि अल्पकालिक पूंजीगत लाभ अर्थात् 1 वर्ष से कम रोककर रखे गए शेयरों की बिक्री से अर्जित लाभ पर 15% की दर से कर का भुगतान करना होता है।
- दूसरे शब्दों में, अगर शेयर खरीदे जाते हैं और बिक्री से पहले एक वर्ष से अधिक समय तक रोककर रखे जाते हैं और उसके बाद जब उनकी बिक्री के दौरान कोई लाभ हो तो उसे दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ कहा जाता है और इस पर लगने वाले कर को LTCG कर के रूप में संदर्भित किया जाता है।

यूलिप स्कीम क्या है?

- यूलिप स्कीम को यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान को कहा जाता है। यूलिप ऐसी बीमा योजना है, जो निवेश के कई विकल्प देती है। इन विकल्पों में इक्विटी बाजार में निवेश का विकल्प भी शामिल है। इसके अलावा बीमा योजना होने के कारण इनकी मेच्योरिटी पर टैक्स भी नहीं देना होगा।

प्रतिभूति लेन-देन कर क्या है?

- सेक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स? (एसटीटी) यानी की प्रतिभूति लेन-देन कर भारत में कुछ साल पहले ही प्रस्तावित किया गया है। यह एक ऐसा टैक्स है जो कि उन पूंजी लाभ कर को चुराने से बचाता है जो बहुत से लोगों के द्वारा शेयर्स की बिक्री पर अपने मुनाफे की घोषणा नहीं करते थे। ऐसे लोग कैपिटल गेन्स टैक्स यानी कि पूंजी लाभ कर का भुगतान नहीं करते थे, सरकार केवल उन टैक्सों का लाभ ले सकती थी जिन्हें लोगों द्वारा घोषित किया जाता था। लेकिन STT के आने के बाद से स्थिति में काफी बदलाव हुआ है।

***

Committed to

संभावित प्रश्न

दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर से आप क्या समझते है? इस पहल के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करते हुए बताये की सरकार की यह पहल अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाये रखने के उद्देश्य से कितनी कारगर साबित हो सकती है? अपने मत के पक्ष में तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत कीजिये। (250 शब्द)

What do you think of long-term capital gains tax? Due to this initiative, discussing the impacts on the Indian economy, how can this government initiative be proven to be effective with the aim of stabilizing the economy? (250 Words)

शहरी अपशिष्ट प्रबंधन एवं ग्लोबल वार्मिंग

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

(07 फरवरी, 2018)

''इस आलेख में, भारतीय शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं के सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी निहितार्थ पेश किये जा रहे हैं। इसमें यह बताया जा रहा हैं कि कैसे निम्नलिखित सुधारों के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हुए अतिरिक्त लाभांश प्राप्त किया जा सकता है।''

''इंडियन एक्सप्रेस''

लेखक- इशर जज अहलूवालिया (अध्यक्ष, आईसीआरआईआर, दिल्ली), उत्कर्ष पटेल (आईसीआरआईआर में अनुसंधान सहायक)

''रीसाइक्लिंग, कंपोस्टिंग और बायोमीथेनेशन न केवल अपशिष्ट भरावक्षेत्र को अनावश्यक बना देगा, बल्कि यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को भी कम करने में मदद करेगा।''

ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) पृथ्वी की वायुमंडल के चारों ओर एक प्राकृतिक परत का निर्माण करता हैं जो सूरज की कुछ ऊर्जा को अंतरिक्ष में जाने से रोकती है, इस प्रकार पृथ्वी गर्म हो जाती है। पिछले सदी तक, मानव गतिविधियों ने वातावरण में जीएचजी को काफी बढ़ा दिया है और यह ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप अभी तक जारी है। ठोस अपशिष्ट उत्पादन के प्रबंधन में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गतिविधियां शामिल है। मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता 25 गुना ज्यादा है और नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 298 गुना ज्यादा है, लंबे समय से (100 वर्ष)।

वर्ष 2015/16 में यूएनएफसीसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ठोस अपशिष्ट निपटान से जीएचजी उत्सर्जन भारत में वर्ष 2000 और 2010 के बीच 3.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई और चीन द्वारा 2005 और 2012 के बीच 4.6 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई है। हालांकि, यहाँ भारत और चीन दोनों के लिए दिए गये आंकड़ों पर विश्वास करने का कारण यह है कि अपशिष्ट क्षेत्र से उत्सर्जन के अनुमान को कम करके आंका जाता है।

बड़ी समस्या इसलिए बनती है, क्योंकि उस बिंदु पर, जहां कचरा उत्पन्न होता है, वहां हम अन्य कचरे के साथ बायोडिग्रेडबल कचरे का मिश्रण कर देते हैं।

अपशिष्ट भरावक्षेत्र पर भेजी जाने वाली कचरे की मात्रा कम हो सकती है, अगर खाद या कार्बनिक पदार्थ बनाने के लिए बायोडिग्रेडबल अपशिष्ट सूक्ष्मजीवों या केंचुआ खाद (वर्मीकंपोस्टिंग) की सहायता से वायुजीवी अपघटन के माध्यम से स्थानीय रूप से संसोधित किया जाता है तो। खाद मिट्टी में कार्बन को वापस स्टोर करने में मदद करता है। इसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम कर देता है जो बड़ी मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन करता है (दोनों उत्पादन और अनुप्रयोग के दौरान) और इस प्रकार उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। खाद मिट्टी में नमी को बनाए रखने में भी सहायक होता है।

2006 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उर्वरक कंपनियों को रासायनिक खाद के साथ सह-बाजार में शहरी खाद के लिए निर्देशित किया गया था। हालांकि, उर्वरक कंपनियों को 1,500 रुपये प्रति टन के लिए शहरी के खाद के लिए बाजार विकास सहायता का प्रोत्साहन रासायनिक उर्वरकों को प्रदान की जाने वाली पूंजीगत सब्सिडी और परिवहन सब्सिडी से मेल नहीं खाता है, जो कंपोस्ट को रासायनिक उर्वरकों की तुलना में अप्रतिस्पर्धी बनाता है।

बायोडिग्रेडबल अपशिष्ट के लिए खाद बनाने का एक विकल्प बायोमीथेनेशन या अवायवीय अपघटन है। बायोमीथेनेशन बायोगैस उत्पन्न करता है जो जीवाश्म ईंधन के लिए एक विकल्प है और घोल पैदा करता है जो एक उत्कृष्ट जैविक उर्वरक है, जहाँ दोनों ही ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करते हैं। स्थानीय प्रसंस्करण का भी मतलब है कि बायोमीथेनेशन परिवहन बचाता है। बहुत कम भारतीय शहरों बायोमीथेनेशन के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि साधन पर अलगाव और समय पर पौधों को बायोडिग्रेडेबल कचरे को खिलाना एक बड़ी चुनौती होती है।

कचरे का पुनर्चक्रण भी जीएचजी उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है, क्योंकि पुनर्चक्रण सामग्री का उपयोग करते समय नए सामग्री का उपयोग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन करना अधिक होता है। जबकि भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के संबंध के साथ रीसाइक्लिंग पेपर, कांच, धातु आदि की परंपरा रही है, अलगाव की कमी रीसाइक्लिंग की पूरी क्षमता को महसूस करने के रास्ते में आती है। एक परिणाम के रूप में, जापान में 60 फीसदी और जर्मनी में 73 फीसदी (सीपीपीआरआई, 2013) की तुलना में भारत में केवल 27 फीसदी कागज का पुनर्चक्रण किया गया है। लकड़ी के लुगदी के आधार पर कागज के उत्पादन के मुकाबले रीसाइक्लिंग को 50 प्रतिशत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह पेड़ों को काटने से बचाती है।

खतरनाक अपशिष्ट (बैटरी, सीएफएल आदि) के अलावा गैर-बायोडिग्रेडेबल और गैर-रीसाइक्लेबल कचरे को उच्च-तापमान भट्टियों में उपयोग के लिए कचरा उत्पन्न ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, सीमेंट भट्टों और बिजली संयंत्रों में। इस अपशिष्ट से ऊर्जा वसूली के लिए नियंत्रित उत्खनन और/या गैसीकरण के लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध हैं। इन्हें आमतौर पर 'अपशिष्ट-से-ऊर्जा' पौधों के रूप में जाना जाता है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2016) ने स्वीकार्य उत्सर्जन मानदंडों पर स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। मानदंडों को लागू करने के लिए वास्तविक समय की निगरानी और उत्सर्जन के आंकड़ों तक पहुंच की आवश्यकता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल दोनों इन लक्ष्यों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर विनियामक ढांचे को काफी मजबूत नहीं किया जाता है, तो ऐसे संयंत्र केवल ठोस अपशिष्ट को वायु प्रदूषण में परिवर्तित करने और एक बड़ा कार्बन पदचिह्न छोड़कर समाप्त होगा।

यदि अपशिष्ट को जलाए जाना वांछनीय या स्वीकार्य नहीं है, तो लैंडफिल साइटों पर अनुपचारित मिश्रित कचरे को डालने से भी समाधान नहीं निकलेगा। भारत में लैंडफिल न तो वैज्ञानिक रूप से हैं और न ही वैज्ञानिक रूप से बंद किये जाते हैं। वे खुले अपशिष्ट स्थल के रूप में काम करते हैं। मिश्रित कचरे में छोड़े गए प्लास्टिक अपशिष्ट स्थल पर आग लगने के लिए सबसे प्रमुख कारक है। इन अपशिष्ट स्थल में बायोडिग्रेडेबल पदार्थ सहित मिश्रित कचरे का निपटान मीथेन और लीचेट उत्पन्न करने के लिए एक आदर्श अवायवीय अपघटन वातावरण प्रदान करता है। एक टन बायोडिग्रेडबल अपशिष्ट 0.84 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन करता है यदि अवायवीय अपघटन को छोड़ दिया जाता है तो।

लैंडफिल साइट्स में मिश्रित नगरपालिका ठोस अपशिष्टों का अनुपचारित निपटान मुंबई और चेन्नई के लिए लगभग 80 प्रतिशत है, दिल्ली और बेंगलुरु के लिए 50-60 प्रतिशत और पुणे का 35 प्रतिशत हिस्सा है। इसका मतलब है कि मुंबई ने 2016 में लैंडफिल साइटों से 921 हजार टन कार्बन डाइऑक्साइड जीएचजी गैस के बराबर उत्सर्जित किया, जो कि 1,96,000 विशिष्टकारों के वार्षिक उत्सर्जन के बराबर है। दिल्ली के लिए यह अनुमान 137,000 कारों के बराबर है।

भारत को अन्य देशों से सीखने की आवश्यकता हैं। जर्मनी और जापान में ठोस कचरे से जीएचजी उत्सर्जन घट रही है। जर्मनी में गैर-पूर्व उपचारित कचरे के लैंडफिलिंग पर प्रतिबंध ने 47% कचरे का पुनर्चक्रण और 36% जलाया गया है। जापान में, कचरे का 75 प्रतिशत जला दिया जाता है, जबकि 21 प्रतिशत पुनर्चक्रण होता है। दोनों देशों के नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि अत्याधुनिक उत्सर्जन नियंत्रण प्रौद्योगिकियां है।

भारत को संसाधनों की वसूली के तीन उद्देश्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार और मानव-प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े जोखिमों को कम करने के साथ-साथ अपने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

* * *

'ठोस कचरा प्रबंधन (SWM) नियम, 2016'

- 5 अप्रैल, 2016 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रकाश जावड़ेकर ने संशोधित 'ठोस कचरा प्रबंधन (SWM) नियम, 2016' की घोषणा की थी।
- ठोस कचरा प्रबंधन के नियम को 16 वर्ष बाद संशोधित किया गया था।
- ठोस कचरा प्रबंधन (SWM) नियम, 2016 की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

1. ये नियम अब नगर निगम क्षेत्रों से बाहर भी लागू हो गए हैं। ये नियम अब शहर संबंधी समूहों, जनगणना वाले कस्बों, अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप, भारतीय रेल के नियंत्रण वाले क्षेत्रों, हवाई अड्डों, एयर बेस, बंदरगाह, रक्षा प्रतिष्ठानों, विशेष आर्थिक क्षेत्र, केंद्र एवं राज्य सरकारों के संगठनों, तीर्थ स्थलों और धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर भी लागू माने जाएंगे।
2. कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा उत्पन्न ठोस कचरे को अपने परिसर के बाहर सड़कों, खुले सार्वजनिक स्थलों पर, या नाली में, या जलीय क्षेत्रों में न तो फेंकेगा, न जलाएगा अथवा दफनाएगा।
3. ठोस कचरा उत्पन्न करने वालों को 'उपयोग कर्ता शुल्क' अदा करना होगा, जो कचरा एकत्र करने वालों को प्राप्त होगा।
4. निर्माण और तोड़-फोड़ से उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे को 'निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016' के अनुसार संग्रहित करने के बाद निपटाया जाना चाहिए।
5. केंद्र सरकार ने इन नियमों के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक केंद्रीय निगरानी समिति का भी गठन किया है।
6. वर्तमान में देश भर में प्रति वर्ष 62 लाख टन कचरा उत्पन्न होता है।
7. जिनमें से 5.6 लाख टन प्लास्टिक कचरा, 0.17 लाख टन जैव चिकित्सा अपशिष्ट, 7.90 लाख टन खतरनाक अपशिष्ट और 15 लाख टन ई-कचरा है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता

- भारत में बढ़ते शहरीकरण के कारण शहरों में रोजाना भारी मात्रा में ठोस कचरा पैदा हो रहा है। परंतु शहरों के पास इनके समुचित निपटारे की व्यवस्था नहीं है।
- जो भी थोड़ी-बहुत व्यवस्था है, वह धीमी है जिसके कारण देश के लगभग सभी शहरों में अपशिष्ट के पहाड़ बनते जा रहे हैं। ये पहाड़ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरें पैदा कर रहे हैं। इसलिये ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की आवश्यकता है।

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट

- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW), जिसे शहरी ठोस अपशिष्ट भी कहा जाता है, एक अपशिष्ट प्रकार है जिसमें मुख्य रूप से घर का कचरा (घरेलू अपशिष्ट) और कभी-कभी वाणिज्यिक अपशिष्ट भी शामिल होता है जिसे एक दिए गए क्षेत्र से नगरपालिका एकत्रित करती है। वे या तो ठोस रूप में होते हैं या अर्ध-ठोस रूप में और आम तौर पर इसमें औद्योगिक घातक अपशिष्ट शामिल नहीं होता।

* * *

संभावित प्रश्न

एक अनुमान के अनुसार 2030 तक भारत की आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही होंगी। ऐसे में शहरी क्षेत्रों में बढ़ रही ठोस अपशिष्ट की समस्या काफी गंभीर है। इस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं के गंभीर परिणामों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में आने वाली चुनौतियों के समाधान हेतु क्या अपेक्षित कदम उठाये जाने चाहिए? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

According to an estimate, by 2030 half of India's population will be living in urban areas. In such a situation, the problem of solid waste growing in urban areas is quite serious. Explaining the serious consequences of the environmental problems generated by this solid waste management or waste management process, what steps should be taken to address future challenges? Discuss. (250 Words)

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है। *(08 फरवरी, 2018)*

''भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार द्वैमासिक मौद्रिक समीक्षा में मुख्य नीतिगत दर (रेपो रेट) को छह प्रतिशत पर कायम रखा है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि सरकार के ऊंचे खर्च से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। इसके साथ ही उसने राजकोषीय घाटे के जोखिमों को लेकर भी चिंता जताई है।'' इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र 'द हिन्दू' एवं 'लाइव मिंट' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे "GS World" टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''द हिन्दू''
(मुद्रास्फीति की छाया)

''भारतीय रिजर्व बैंक ने नई अनिश्चितताओं के बीच मूल्य स्थिरता पर सतर्कता की आवश्यकता पर बल दिया है।''

भारतीय रिजर्व बैंक का रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का निर्णय आश्चर्यचकित करने वाला नहीं था। यहाँ बस मौद्रिक नीति समिति के अधिदेश का पालन किया गया है, जिसमें मुद्रास्फीति की जांच करते रहने का सुझाव दिया गया था।

मूल्य लाभ के प्रासंगिक उपाय के साथ, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दिसंबर में एक छमाही महीने के लिए मुद्रास्फीति में एक त्वरण को दर्शाता है जो 17 महीनों में सबसे तेज गति से बढ़ा है, इसलिए बैंक के दर-निर्धारण पैनल के लिए दर को कायम रखने का फैसला थोड़ा मुश्किल भरा रहा होगा। गवर्नर उर्जित पटेल की अगुवाई में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने द्वैमासिक समीक्षा में रेपो रेट को छह प्रतिशत पर कायम रखा है।

ऐसा एमपीसी ने 'तटस्थ रुख' बनाए रखने के दौरान किया था, जो इसे किसी भी दिशा में जाने के लिए लचीलापन प्रदान करता है। रिजर्व बैंक के तीन सदस्यों में से एक माइकल पात्रा ने वास्तव में नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी के चलते शुरुआती कीमत के दबावों के लिए मतदान किया था।

अपने फैसले को सूचित करने वाले कारकों को निर्धारित करते हुए, आरबीआई कीमत स्थिरता के लिए दृष्टिकोण को आश्वस्त करने के सन्दर्भ में एक बार फिर से कम आश्वस्त दिखाई दिया। दिसंबर में आरबीआई ने मार्च, 2018 तक छह महीनों में 4.3-4.7% की रेंज में मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया था। जनवरी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी के साथ, आरबीआई अब 2017-18 की चौथी तिमाही के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया है।

मौजूदा वित्तीय वर्ष से परे समय का विस्तार करने पर, मुद्रास्फीति की स्थिति अधिक चिंताजनक मालूम पड़ती है। यहाँ कई अनिश्चितताएं व्याप्त हैं। इनमें विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एचआरए को बढ़ाने वाले प्रभाव शामिल हैं जो कीमतों पर दूसरे आदेश के प्रभाव को प्रेरित कर सकते हैं; वैश्विक विकास में बढ़त, एक ऐसा कारक है जिसे आरबीआई भी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है, यह दुनिया भर में कच्चे तेल और कमोडिटी कीमतों को आगे बढ़ा सकते हैं; इसके साथ ही फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मानदंडों के साथ-साथ वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाने के प्रस्तावों में बजट का प्रस्तावित परिवर्तन; और राजकोषीय गिरावट, जो न केवल मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा बल्कि उधार लेने की लागत में भी वृद्धि के जोखिम को बढ़ा सकता है।

''लाइव मिंट''
(रिजर्व बैंक को दरों में वृद्धी करने की जल्दी नहीं)

''भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ऐसे समय में दर बढ़ाने में जल्दबाजी नहीं कर रहा है, जब भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के पथ पर है और निवेश गतिविधि के पुनरुद्धार के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं।''

राजकोषीय गिसवट, बढ़ते तेल की कीमतें,और मुद्रास्फीति पर दबाव की पृष्ठभूमि के साथ कोई भी बुधवार को भारतीय केंद्रीय बैंक की तुलना में बेहतर मौद्रिक नीति की अपेक्षा नहीं कर सकता था। इसने अपनी पॉलिसी दर 6% पर अपरिवर्तित छोड़ दिया है, भले ही रुख तटस्थ रहा। नीति का स्वर सावधानी बरतने पर अधिक है।

मौद्रिक नीति समिति के दृष्टिकोण के अनुसार हुए कि 'शुरुआत हुई सुधार को सावधानीपूर्वक संगठित और विकास की आवश्यकता है साथ ही इसे अनुकूल और स्थिर मैक्रो-वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से एक स्थायी रूप से उच्च मार्ग पर ले जाना चाहिए।'

लेकिन स्पष्ट रूप से, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ऐसे समय में दर बढ़ाने में जल्दबाजी नहीं कर रहा है, जब भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के पथ पर है और निवेश गतिविधि के पुनरुद्धार के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं।

अपेक्षित मुद्दों पर, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019 के लिए मुद्रास्फीति की अनुमानित वृद्धि को बढ़ाया है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 4.3% -4.7% से, साथ ही अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ ही गैर-तेल औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018-19 के पहले छमाही में इसे बढ़ाकर 5.1-5.6% कर दिया गया है।

हालांकि, मजबूत अनुकूल आधार प्रभावों और खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी की संभावना के कारण अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति के घटकर 4.5 से 4.6 प्रतिशत पर आने का अनुमान लगाया गया है।

दरअसल, अनुमानित मुद्रास्फीति में भारी जोखिम है, लेकिन कम से कम सैद्धांतिक रूप से, आरबीआई दरों में वृद्धि के पक्ष में नहीं है, भले ही मुद्रास्फीति पहले छमाही में 5.6% तक पहुंच जाए; चूंकि दूसरी छमाही में इसके नीचे जाने की उम्मीद है, इस साल दर में वृद्धि की संभावना कमजोर लग रही है।

बेशक, चीजें विश्व स्तर पर और साथ ही घरेलू मोर्चे पर भी

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मौद्रिक नीति का सामान्यीकरण वैश्विक 'इजी मनी' शर्तों के लिए निर्णायक बन सकता है और भारत सहित कई उभरते बाजारों से पूंजी को बढ़ा सकता है।

इसका नतीजा यह है कि अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में इसका 5.1 से 5.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, हालांकि, अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति के घटकर 4.5 से 4.6 प्रतिशत पर आने का अनुमान लगाया गया है। मुद्रास्फीति संबंधी जोखिमों की उभरती छाया के तहत, आरबीआई ने कीमत स्थिरता के मोर्चे पर असुरक्षित सतर्कता की आवश्यकता को फिर से दोहराया है।

* * *

बदल सकती हैं, लेकिन एक बात यह सुनिश्चित है कि आरबीआई को नीति दर में वृद्धि करने की जल्दी नहीं है। हालांकि, उप-गवर्नर विरल आचार्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय बैंक बांड की उपज को कम करने में हस्तक्षेप नहीं करेगा और बाजार में कोई तरलता की कमी नहीं है, नो-एक्शन पॉलिसी का रुख और शैली बांड बाजार को स्थिर करेगी।

इस नीति की भाषा से, ऐसा लगता है कि भारतीय केंद्रीय बैंक कम से कम अगले दो मौद्रिक नीति समिति बैठकों तक वर्तमान नीति दर को कायम रखेगा। यह दर दूसरी छमाही में बढ़ सकती है अगर मुद्रास्फीति की प्रक्षेपण को संशोधित किया जाता है तो।

* * *

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- महंगाई बढ़ने की आशंका और राजकोषीय घाटा के जोखिमों को लेकर चिंता के बीच रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को नीतिगदर दरों (रेपो) में कोई बदलवा नहीं किया। गवर्नर उर्जित पटेल की अगुवाई में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने द्वैमासिक समीक्षा में रेपो रेट को 6% पर कायम रखा है।
- इसके अलावा समिति ने जीएसटी के क्रियान्वयन पर भी नाखुशी जताई थी। आरबीआई ने विकास दर के अपने पिछले अनुमान को भी घटा दिया। आरबीआई ने विकास दर के अनुमान को 7.3 फीसदी से घटाकर 6.7 फीसदी कर दिया था। बजट के बाद हो रही इस बैठक में इस पर भी नजर रहेगी कि आरबीआई विकास दर के अनुमान में भी कोई बदलाव करना है या नहीं।
- सरकार ने 2018-19 में वृद्धि दर सात से 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

महंगाई और ब्याज दरों में नाता

- रिजर्व बैंक जब ब्याज दरें घटाता है तो बैंक भी कर्ज पर दरें कम करते हैं। इससे होम और ऑटो लोन सहित सभी तरह के कर्ज सस्ते हो जाते हैं। जब कर्ज सस्ता होता है तो बाजार में मांग बढ़ती है इससे महंगाई में थोड़ा इजाफा होता है। महंगाई कम रहने या उसमें गिरावट का रुख होने की स्थिति में रिजर्व बैंक के लिए दरें घटाने का फैसला करना आसान होता है।
- वहीं जब महंगाई में बढ़ोतरी का रुख होता है तो रिजर्व बैंक के लिए दरों में कटौती का फैसला बेहद मुश्किल होता है क्योंकि इससे महंगाई के और बढ़ने की आशंका रहती है। दिसंबर में मुद्रास्फीति बढ़कर 5.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है जो इससे पिछले महीने पांच प्रतिशत रही थी। रिजर्व बैंक का लक्ष्य मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत पर (दो प्रतिशत अंक ऊपर या नीचे) रखने का है।

क्या है रेपो रेट

- रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार द्वैमासिक समीक्षा में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट वह दर है जिसपर केंद्रीय बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंक को फौरी जरूरत के लिए उधार देता है। जबकि रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस दर पर रिजर्व बैंक बैंकों से फौरी उधार लेता है। रिवर्स रेपो दर 5.75 प्रतिशत पर कायम रखा गया है। दरअसल रिजर्व बैंक बैंकों की अतिरिक्त नकदी घटाने के लिए रिवर्स रेपो का उपयोग करता है।

रिवर्स रेपो रेट

- जैसा कि नाम से ही लगता है, रिवर्स रेपो रेट ऊपर बताए गए रेपो रेट से उल्टा हुआ। इसे ऐसे समझिए : बैंकों के पास दिन भर के कामकाज के बाद बहुत बार एक बड़ी रकम शेष बच जाती है। बैंक वह रकम अपने पास रखने के बजाय रिजर्व बैंक में रख सकते हैं, जिस पर उन्हें आरबीआई से ब्याज भी मिलता है। जिस दर पर यह ब्याज उन्हें मिलता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। वैसे कई बार रिजर्व बैंक को लगता है कि बाजार में बहुत ज्यादा नकदी हो गई है, तब वह रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी कर देता है। इससे होता यह है कि बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास रखने लगते हैं।

MPC में शामिल सदस्य

- अधिकारप्राप्त छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति में आरबीआई गवर्नर- पदेन अध्यक्ष, मौद्रिक नीति के प्रभारी आरबीआई के डेप्युटी गवर्नर- पदेन सदस्य, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित आरबीआई के एक अधिकारी- पदेन सदस्य, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के प्रोफेसर चेतन घाटे- सदस्य, दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स की निदेशक प्रोफेसर पामी दुआ- सदस्य और IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया- सदस्य के रूप में शामिल हैं।
- गौरतलब है कि मौद्रिक नीति का मुख्य मकसद वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, क्योंकि मूल्य स्थिरता टिकाऊ वृद्धि की आवश्यक शर्त है।

* * *

संभावित प्रश्न

महंगाई बढ़ने की आशंका और राजकोषीय घाटा के जोखिमों को लेकर चिंता के बीच रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों (रेपो रेट) में कोई बदलवा नहीं किया है। क्या केंद्रीय बैंक का यह निर्णय मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे के जोखिमों से निपटने में कारगर साबित होगी? इस सन्दर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। (250 शब्द)

Reserve Bank has not made any changes in the Repo Rate amid the fear of price rise and the risk of Financial Deficit. Does this decision of Central Bank would be effective in tackling the Financial Deficit Risk and Inflation? Give your views in this regard. (250 Words)

क्या राज्यों के अपने झण्डे होने चाहिए?

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

(09 फरवरी, 2018)

''द हिन्दू''

पक्ष

लेखक- रवि वर्मा कुमार (कर्नाटक के पूर्व एडवोकेट जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता)

''यह संघीय संरचना को मजबूत करेगा और एक अधिक विशिष्ट पहचान के लिए एक प्रतीक के रूप में सेवा प्रदान करेगा।''

राज्य के लिए ध्वज तैयार करने के लिए कर्नाटक में गठित समिति ने एक डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया है। झंडा कथित तौर पर तीन रंगों का है, जो राज्य में देखे जाने वाले लोकप्रिय पीले और लाल रंग का संशोधित रूप है। चूंकि प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा इस तरह के एक अभ्यास की कानूनी पवित्रता पर सवाल पूछने के लिए जगह दी गई है, इसलिए यह पूछना उचित है: क्या मौजूदा कानून को इसे रोकना चाहिए? जवाब यहाँ नहीं है।

संविधान के तहत, सातवीं अनुसूची में एक ध्वज का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि, अनुच्छेद 51 A ने में निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करेगा और अपने आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करेगा। राज्यों या जनता द्वारा झंडे के उत्थान का कोई अन्य प्रावधान नहीं है, यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय ध्वज के अलावा कोई झंडा फहराए जाने के लिए संविधान के तहत कोई निषेध नहीं है।

संसद ने भी राष्ट्रीय ध्वज के उत्थान को विनियमित करने वाले कानून तैयार किए हैं। जो प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 के रूप में मौजूद है। दूसरा, राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 के अपमान की रोकथाम है। पूर्व में, वैधानिक निषेध केवल 'किसी भी व्यापार, व्यवसाय या किसी भी पेटेंट के शीर्षक में, या किसी भी ट्रेडमार्क में, किसी भी नाम या अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतीक' के खिलाफ है। 1971 के अधिनियम के तहत, किसी भी राज्य के खिलाफ अपना झंडा रखने पर कोई निषेध नहीं है। इस अधिनियम के तहत इसे जलाना, इसे विकृत करना, इसे अवरोधन आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना निषिद्ध है।

कानून में कोई प्रतिबंध नहीं है

यहां तक कि भारत का ध्वज संहिता, 2002 एक राज्य ध्वज पर प्रतिबंध लागू नहीं करता है। इसके विपरीत, राष्ट्रीय जनता, निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय झंडे के फहराने के प्रावधानों में, संहिता स्पष्ट रूप से अन्य झंडे को फहराने के लिए इस शर्त के तहत अधिकृत करता है कि उन्हें राष्ट्रीय ध्वज या इसके मुकाबले अधिक ऊँचे स्थान से फहराया नहीं जाना चाहिए। निहितार्थ के अनुसार, संहिता राज्य ध्वज के लिए स्थान प्रदान करता है, जब तक कि यह राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और गरिमा का अपमान नहीं करता है। इसी प्रकार, संहिता स्पष्ट रूप से अन्य देशों के झंडे और संयुक्त राष्ट्र के झंडे को भी अधिकृत करता है (प्रतिबंधों के साथ)। जब अन्य देशों के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराए जाने की इजाजत होती है, तो उपरोक्त प्रावधानों को राज्य ध्वज रखने या फहराए जाने पर प्रतिबंध लगाने के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

भारत में, राज्य की सीमाएं भाषाई एकरूपता के आधार पर सीमांकित होती हैं। इसने स्वाभाविक रूप से अपनी भाषाओं और संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में आकांक्षाओं को जन्म दिया है। इसलिए, प्राकृतिक रूप से उन्हें अपनी खुद की भाषाओं और संस्कृतियों को पहचानने, उनकी रक्षा करने और बढ़ावा देने का हक हैं। एक ध्वज, जो दोनों आशीर्वाद और एक संकेत है, किसी भी अन्य प्रतीक से बेहतर इस उद्देश्य को पूरा करता है।

एक अलग झंडा होने पर राष्ट्रीय एकता का अपमान नहीं होगा। इसके विपरीत, प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग ध्वज संघीय ढांचे को मजबूत करेगा और अधिक विशिष्ट पहचान के लिए एक प्रतीक के रूप में सेवा प्रदान करेगा।

भारत में सेना, नौसेना, वायु सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए भी अलग झंडे हैं। वे नियमित रूप से इसे सभी आधिकारिक कार्यों में, राष्ट्रीय परेड में और गणतंत्र दिवस पर इनका इस्तेमाल करते हैं।

एक लोकतांत्रिक अधिकार

यू.एस. के सभी 50 राज्यों के पास राष्ट्रीय ध्वज के अलावा और अलग झंडे हैं। यूके में भी, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड की राजनीतिक इकाइयां यू.के. की अखंडता को प्रभावित करने या प्रभावित किये बिना अपने स्वयं के झंडे हैं। इसलिए कर्नाटक राज्य भी अपनी जगह उचित है और कानून का उल्लंघन किए बिना राज्य के गौरव को बनाए रखने के लिए अपने स्वयं के ध्वज को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से सशक्त है। लोकतंत्र और संघवाद संविधान की आवश्यक विशेषताएं हैं और साथ ही इसके बुनियादी ढांचे का हिस्सा भी हैं। यह कर्नाटक का लोकतांत्रिक अधिकार है जिसके तहत वह अपना नाम, अलग पहचान, प्रतीक और ध्वज रख सकता है।

विपक्ष

लेखक- रवि के. मिश्रा (नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय के उप निदेशक)

''संघीय इकाइयों को विशिष्ट प्रतीकों का आकांक्षा नहीं है जो राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है।''

संविधान सभा ने संघीय इकाइयों के प्रतीकात्मक विविधताओं सहित, महान विस्तार में संघीय प्रश्न पर चर्चा की है। संस्थापकों पर जोर दिया गया था कि वे विविधता के उन चिन्हों को निरंतर और प्रोत्साहित करे जो एक जैविक एकता की अवधारणा के साथ समकालीन किए गए थे, जिन्हें नवप्रस्थापित गणराज्य के आदर्श के रूप में माना जाता था। वास्तव में, यहां तक कि भाषाई विविध ता, जो अंतत: आंतरिक सीमाओं को चित्रित करने का निर्णायक मार्कर के रूप में उभरा है, अंत में आंतरिक रूप से कमजोर पड़ गया- उदाहरण के तौर पर कर्नाटक के मराठी भाषी क्षेत्रों में असंतुष्ट थे। इसलिए, एक राज्य के लिए एक अलग ध्वज की कल्पना इसे और अधिक जटिल बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है। यह ज्यादातर राज्यों में उपमहाद्वीप के लिए मांग की संभावना पैदा करेगा। इसने बिरादरी के विचार को कमजोर कर दिया, जो कि संविधान में निहित है और नागरिकता के विचार के दिल में है।

भारत एक संघ नहीं है

लोगों का तर्क है कि अन्य देशों के अलग झंडे हैं, यहां क्या ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक राजनीति के रूप में भारत की गति अन्य देशों से अलग है, इस अर्थ में कि संघीय गणराज्य होने के बावजूद, भारत को राज्यों के संघ के रूप में माना जाता है, न कि एक संघ के रूप में। इसलिए, ये संघीय इकाइयां अलग-अलग राजनीतिक प्रतीकों का आकांक्षा नहीं कर सकती हैं जो राष्ट्रीय राजनीतिक प्रतीकों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं; सांस्कृतिक विविधता के चिन्हों को पहले से ही उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। राजनीतिक प्रतीकवाद के उद्देश्य की एकता है जिसने पिछले 70 वर्षों में भारत को अच्छी तरह से सेवा प्रदान की है। इसे बदलने के पक्ष में कोई मजबूत तर्क मौजूद नहीं है। इसलिए, अलग झंडे की मांग गणतंत्र के मूलभूत मूल्यों के साथ छेड़छाड़ करने के समान है।

विदित हो कि वर्ष 1994 के एस. आर. में बोम्मई बनाम भारतीय संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि संघवाद संविधान का मौलिक लक्षण है। संवैधानिक स्थिति यह है कि राज्यों द्वारा स्वयं का क्षेत्रीय ध्वज रखने पर संविधान में कोई निषेध नहीं है। इसे संविधान में निहित मूल्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जब तक कि कोई विशेष मामला न हो, जो मौलिक रूप से उचित हो गया हो। जम्मू और कश्मीर एक अपवाद है; यहाँ एक नियम नहीं बनाया जा सकता।

उन देशों में अलग-अलग राजनीतिक पहचान जैसे झंडे, दोहरी नागरिकता और राज्य संविधानों ने भारत के अलग-अलग विविधताओं का पालन किया है। यू.एस. में, जैसा कि एक संघ गठन करने का निर्णय लेने से पहले घटकों के अलग-अलग संस्था थे, यह समझ में आता है कि उन्हें अपनी राजनीतिक पहचान की अनुमति दी गई थी। एक गणराज्य के रूप में यू.एस. का उद्भव, इस प्रकार सभी संघीय इकाइयों की सामूहिक सौदेबाजी का नतीजा था।

एक मजबूत केंद्र के लिए

भारत के मामले में, संस्थापक पिता इस मॉडल की कमजोरियों के प्रति जागरूक थे। इस पहलू पर विचार-विमर्श किया गया था और व्यापक सहमति के साथ एक सचेत निर्णय के साथ भारत सरकार अधिनियम, 1935 से प्रस्थान करने के लिए लिया गया था। बेशक, विभाजन, जिसने कई विवादों को जन्म दिया, ने भी संस्थापकों को यह समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि भारत को एक मजबूत केंद्र की जरूरत है।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, किसी भी राज्य के लिए एक अलग ध्वज रखने की मांग एक सैद्धांतिक और सुविख्यात तर्क के बजाय चुनावी प्रोत्साहनों के तर्क पर आधारित है। यह न केवल संवैधानिक दृष्टि के खिलाफ है, बल्कि भारत के विचार के खिलाफ भी है।

तटस्थ

लेखक- नरेंद्र पानी (प्रोफेसर, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज)

''चुनौती, अन्य पहचान नहीं निकालना है, बल्कि वफादारी की पदानुक्रम बनाने में मदद करने से सम्बंधित है।''

अपने स्वयं के झंडे वाले राज्यों के विचारों के समान कट्टर समर्थन के बारे में मजबूत और न्यायसंगत आक्रोश, भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण करने के तरीके की दो अलग-अलग धारणाओं को इंगित करता है। और कर्नाटक सरकार का यह प्रयास कि अपने राज्य को अपना झंडा प्रदान कि जाए, उससे पहले भारतीय राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए इस बड़े बहस पर विचार करना चाहिए।

आक्रोश पर ध्यान दे तो ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्रीय वफादारी प्रकृति में एकजुट हैं और राज्यों के आस-पास एक क्षेत्रीय पहचान का विकास अन्य प्रादेशिक पहचानों को नष्ट कर देगा, विशेष रूप से जो देश भर में बनाए गए हैं। इस दृष्टिकोण में, राष्ट्रीयता रोजमर्रा की जिंदगी से अलग है और उसे अलग-अलग रूप से बेहतर बनाना चाहिए। इसे स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए और कानून द्वारा लागू किया जाना चाहिए। इस तरह के राष्ट्रवाद को जरूरी है कि क्षेत्रवाद को खतरे के रूप में देखा जाए, खासकर तब, जब वह अपने स्वयं के झंडे को अपनाने की बात आती है।

राष्ट्रवाद का अर्थ

राष्ट्रवाद का यह दृश्य विरोधाभासों से भरा हुआ है। यह मांग करता है कि बहुमत राष्ट्रवाद को निर्धारित करता जो हमे सिखाया भी जाता है, लेकिन उम्मीद अल्पसंख्यकों द्वारा इसके प्रति वफादार होने की जाती है। यह एक तरफ भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जयजयकार के लिए भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ भारत में किसी भी अन्य टीम के जयकार करने से भी मना करते हैं।

भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए दूसरा दृष्टिकोण रोजमर्रा की जिंदगी से अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। यह दृश्य यह स्वीकार करता है कि किसी व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी में, वह उन संगठनों का विकास करेगी जो उससे दूर जाती है। यह उसके परिवार के प्रति निष्ठा के साथ शुरू हो सकता है, लेकिन वह जल्द ही उसके समुदाय, राज्य और राष्ट्र तक विस्तार कर सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि व्यक्तियों को राष्ट्रवाद की आवश्यकता देश के हित में तत्काल आत्म-लाभ से परे हट कर देखने की जरूरत है। और अपने स्वार्थ से परे देखने का कोई भी प्रयास राष्ट्र के बारे में सोचने के लिए एक कदम है। सभी सामाजिक निष्ठा का जश्न मनाते हुए एक व्यक्ति अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीता है, वह निस्वार्थता के लिए तैयार करने का एक तरीका है, जिसकी मांग राष्ट्रवाद कर सकता है। तब जाकर एक राज्य द्वारा ध्वज की मांग राष्ट्रवाद के निर्माण की दिशा में एक कदम है, न कि इससे दूर जाकर इसकी मांग करने से।

कोई विरोधाभास नहीं

सभी पहचानों के शिखर के रूप में राष्ट्रवाद की यह अवधारणा, हमारे चारों ओर हर रोज की घटनाओं में हम क्या देखते हैं, उससे जुड़ा होता है। यह पहचानता है कि कर्नाटक क्रिकेट टीम के प्रशंसक पहले इसका समर्थन करेंगे और फिर भारतीय टीम का, जिसके बीच कोई विरोधाभास नहीं होनी चाहिए। वास्तव में, इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान, वे अन्य देशों के खिलाड़ियों के लिए वफादारी का निर्माण कर सकते हैं जो कि उनके शहर की क्रिकेट टीम से संबंधित हैं, लेकिन यह समर्थन अंतरराष्ट्रीय टीमों तक नहीं जा सकता जो इन खिलाड़ियों का हिस्सा हैं।

फिर चुनौती अन्य पहचानों को खत्म नहीं करना है, बल्कि वफादारी की पदानुक्रम बनाने में मदद करना है जो भारतीय राष्ट्र को मजबूत करने में मदद करेगा। इस तरह के दृष्टिकोण से हमें राज्य की पहचान ही नहीं बल्कि उप-राज्य स्तर पर भी विकसित करने की आवश्यकता होगी। कर्नाटक ध्वज को केवल प्रमुख कन्नड़ पहचान नहीं, बल्कि राज्यों में अन्य छोटी पहचान जैसे कि कोडवा या तुलुस के रूप में भी पहचान देना होगा।

* * *

GS World टीम...

क्या है मामला

- कर्नाटक अपना अलग ध्वज बनाने को लेकर चर्चा में है। हालाँकि वह इसे वैधानिक दर्जा देने पर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। इस पर वह कानूनी विशेषज्ञों की राय लेना चाहता है। विदित हो कि कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित अलग ध्वज बनाने पर विचार करने के लिये एक समिति भी गठित की गई है।

प्रमुख बिंदु

- कर्नाटक ने कहा है कि उसके द्वारा प्रस्तावित अलग ध्वज बनाने पर विचार करने के लिये उसने एक समिति गठित की है। समिति इस मुद्दे के सभी पहलुओं की जाँच करेगी।
- राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तीन अलग-अलग अधिनियम हैं, परन्तु इनमें से कोई भी कर्नाटक को ऐसा करने से नहीं रोकता है।
- कर्नाटक के प्रस्तावित ध्वज में लाल एवं पीला रंग है।
- इस ध्वज को लेखक एवं कन्नड़ कार्यकर्त्ता मा. रामामूर्ति ने 1966 में तैयार किया था। उनका जन्म 11 मार्च, 1918 को हुआ था। उनका उपनाम 'कन्नड़ वीर सेनानी' है।
- राज्यों द्वारा अलग ध्वज रखने का मामला एक नीतिगत विषय है, इसके फायदे और नुकसान पर विचार करके ही कोई फैसला लिया जाना चाहिये।

क्या राज्य अपना अलग ध्वज रख सकते हैं ?

- राज्यों को अलग गान (एंथम) की तरह अपने अलग ध्वज रखने पर कोई वैधानिक रोक नहीं है। संविधान में इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है।

राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ प्रावधान

- भारत का राष्ट्र-ध्वज यहाँ की धरती और लोगों का प्रतीक है।
- भारत का राष्ट्रीय ध्वज तीन रंगों का बना है, इसलिये इसे तिरंगा भी कहते हैं। इसके तीन रंगों के क्षैतिज पट्टियों के मध्य नीले रंग का एक चक्र भी है।
- पूरा ध्वज आयताकार है जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 : 2 है।
- इसे 22 जुलाई, 1947 को संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था।
- ध्वज की मर्यादा और सम्मान के अनुकूल, जो भारतीय राष्ट्र-ध्वज संहिता में विस्तार से लिखा हुआ है, कोई भी राष्ट्र-ध्वज को सभी दिन, समारोह या अन्य अवसरों पर फहरा सकता है।
- इसे किसी भी तरह के विज्ञापन में उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- राष्ट्र-ध्वज का निरादर करना दंडनीय अपराध है।

अलग ध्वज का प्रस्ताव चिंताजनक क्यों?

- हालाँकि क्षेत्रीय ध्वज को महत्त्व देने का अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा कम हो गई है और कर्नाटक ने भी कहा है कि उसके इस कदम का राष्ट्रीय ध्वज की महत्ता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- दरअसल, अमेरिका, जर्मनी तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे संघीय व्यवस्था वाले अनेक देशों में राज्यों को अलग क्षेत्रीय पहचान बनाए रखने की छूट दी गई है।
- फिर राज्य सरकार को यह बताना चाहिये कि क्षेत्रीय ध्वज की मौजूदगी के बीच वह कैसे राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को पूर्ववत बनाए रहेगी?

कर्नाटक को एक अलग क्षेत्रीय ध्वज क्यों चाहिये?

- देखा जाए तो कानूनी प्रावधानों को संज्ञान में लिये बिना ही कर्नाटक सरकार के इस कदम को देशद्रोह बताया जा रहा है, जबकि सोचने वाली बात यह है कि आखिर दक्षिण भारतीय राज्य इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं?
- दरअसल, आज जिस तरह से हिंदी को लेकर आक्रामकता दिख रही है उससे दक्षिण भारत के लोगों को लग रहा है कि उनकी भाषायी पहचान खतरे में है।
- हाल ही में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट बनवाने के लिये दिया जाने वाला विवरण अंग्रेजी के साथ-साथ अब हिंदी में भी दिया जा सकता है। कर्नाटक सहित दक्षिण भारत के कई राज्यों की मांग है कि इसमें हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं के भी विकल्प दिये जाएँ।
- हालाँकि, दक्षिण भारतीय राज्यों द्वारा दिखाई जा रही इस आक्रामकता का कारण राजनीति से प्रेरित कुछ बयान और कदम भी हैं।

संभावित प्रश्न

राज्यों को स्वयं का अलग ध्वज बनाने की अनुमति देना हमारे राष्ट्रीय ध्वज के महत्त्व को कम करना है। क्या इस प्रकार के कदमों से लोगों में प्रांतवाद की भावना बढ़ेगी? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Is it to reduce the importance of our national flag to allow the states to create a separate flag of their own. Do such steps will increase the feeling of provincialism among the people? Discuss. (250 Words)

भारत-फिलिस्तीन संबंध

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है। *(10 फरवरी, 2018)*

*''गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलस्तीन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गये हैं। चार दिन की पश्चिमी एशिया की यात्रा पर निकले पीएम मोदी सबसे पहले शुक्रवार को जार्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात की थी। भारत के विदेश संबंध में खाड़ी क्षेत्र और पश्चिम एशिया क्षेत्र को हमेशा महत्वपूर्ण माना गया है।'' इस संदर्भ में अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट 'टाइम्स नाउ' एवं अंग्रेजी समाचार-पत्र 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे "**GS World**" टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

''टाइम्स नाउ''
(प्रधानमंत्री की फिलिस्तीन यात्रा)

''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फिलिस्तीन की एक दिवसीय यात्रा की शुरूआत करेंगे, जो कि दोनों देशों के बीच संबंधों में महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होगा।''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा फिलिस्तीन की पहली यात्रा होगी। वर्ष 2015 में, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फिलिस्तीन का दौरा किया था।

प्रधानमंत्री मोदी 9-12 फरवरी तक फिलिस्तीन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे।

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री जॉर्डन के जरिए, फिलिस्तीन की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी रामल्लाह की यात्रा करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले दिवंगत यासिर अराफात संग्रहालय जाएंगे और वहां पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी का फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिलेंगे। साथ ही वहां के नेतृत्व के साथ आपसी संबंधों के विभिन्न आयामों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री के रामल्लाह की यात्रा के दौरान भारत और फिलिस्तीन के बीच पांच-छह अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

यह 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान और पेरिस के जलवायु सम्मेलन में उस साल और फिलीस्तीनी राष्ट्रपति की पिछले वर्ष भारत की यात्रा के दौरान बैठक के बाद मोदी और अब्बास के बीच चौथी बैठक होगी।

इस यात्रा से फिलीस्तीनी और भारतीय लोगों के बीच दोस्ती के बंधन को मजबूत होगा और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।

इसके अलावा, यात्रा, स्वास्थ्य, आईटी, पर्यटन, युवा मामलों, खेल और कृषि के क्षेत्रों में सहयोग सहित विशाल द्विपक्षीय एजेंडा को गहरा बनाने के उद्देश्य भी है।

''इंडियन एक्सप्रेस''
(नो जीरो-सम गेम)

''प्रधानमंत्री का फिलिस्तीन यात्रा इस बात की ओर संकेत करता है कि यह इजराइल के साथ बेहतर संबंध को प्रभावित किये बिना फिलिस्तीन के साथ भी अच्छे संबंध कायम रख सकता है।''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलिस्तीन यात्रा, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली यात्रा है, ने पिछले वर्ष इजराइल यात्रा के साथ शुरू होने वाले त्रिकोण को पूरा किया है। लेकिन यह भी रेखांकित करता है कि भारत ने पश्चिम एशिया में अपनी नीति को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है।

यह यात्रा इतनी व्यवस्थित है कि मोदी इजरायल के बजाय जॉर्डन के माध्यम से फिलिस्तीनी राज्य की वास्तविक राजधानी रामल्लाह में प्रवेश करेंगे। भारतीय पक्ष ने जोर देकर कहा है कि इस नीति से और इजराइल के साथ बढ़ते संबंधों का मतलब यह नहीं है कि फिलिस्तीनी के लिए नई दिल्ली का समर्थन कम हो गया है।

हांलाकि, यह कुछ हद तक अजीब है, इसलिए, भारतीय पक्ष को अपने इस बात का वर्णन करना चाहिए। भारत 100-बिस्तरों वाली सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना, रामल्लाह में स्कूलों की स्थापना और क्षमता निर्माण परियोजनाओं की घोषणा कर सकता है।

दिसंबर में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक विकल्प का निर्माण किया था, जहाँ इसनें फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन किया था। प्रधानमंत्री मोदी को इस यात्रा के दौरान दो राज्यों के समर्थन का साथ एक मजबूत बयान देना चाहिए।

ऐसा बयान, जो फिलिस्तीनी क्षेत्र में फिलिस्तीनी नेतृत्व तक पहुँचे, जिससे प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा वास्तव में ऐतिहासिक यात्रा बन जाये और मोदी सरकार की स्थिति के बारे में व्याप्त संदेह पूरी तरह से हट जाये। यह अच्छी दोस्ती को साबित करने का एक उपयुक्त तरीका होगा, जो भारत की आजादी के एक वर्ष बाद शुरू हुआ और जिसे दुनिया की राजनीति के उतार-चढ़ाव के माध्यम से नई दिल्ली में विभिन्न सरकार द्वारा विकसित किया जाता रहा है।

पिछले कुछ सालों में, इस रिश्ते को कुछ ज्यादा महत्व नहीं दिया गया हैं, लेकिन फिर भी यह एक ऐतिहासिक क्षण है। भारत ने शीत युद्ध के वर्षों के बाद इजराइल के साथ अपने संबंधों को लगातार विकसित करने में काफी यथार्थवाद स्पष्टता प्रदर्शित की है।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि फिलिस्तीन को हमारा योगदान तीन तरफा है। पहला, राजनीतिक तौर पर, दूसरा वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में और फिर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी हम फिलिस्तीन का सहयोग करते रहे हैं। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र में भी उसके पक्ष में हमने वोट दिया था। भारत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है। नई दिल्ली ने पिछले साल दिसंबर में यू.एस. महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ यरूशलेम की एकतरफा मान्यता के खिलाफ मतदान किया था जो इजरायल की राजधानी थी।

भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता निर्माण सहित फिलिस्तीन के राष्ट्र निर्माण प्रयासों के लिए बेहद योगदान दिया है।

विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका) ने कहा, 'आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फिलिस्तीन भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है।' उन्होंने कहा, वे हमारे लिए कुल समर्थन का विस्तार करते हैं। हमारे पास फिलिस्तीनी पक्ष के साथ एक बहुत अच्छा सुरक्षा सहयोग है।

* * *

जिन लोगों ने कुछ वक्त पहले यह चिंता जताई थी कि भारत का जेरुसलम वोट इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा को सफल नहीं बनाएगा, अब शायद उन्हें जवाब मिल चुका होगा।

प्रधानमंत्री इस क्षेत्र के दो अन्य देशों, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान का दौरा करेंगे, जो भारत के आर्थिक और सामरिक हितों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। दोनों देशों में भारतीय प्रवासी समुदाय के अलावा जो कि आवक प्रेषणों में महत्वपूर्ण योगदान देता है, प्रधानमंत्री मोदी बुनियादी ढांचे और आवास के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के प्रयास कर सकते हैं।

भारत संयुक्त अरब अमीरात से अपनी तेल की लगभग 8 प्रतिशत जरूरतों का आयात करता है। लेकिन द्विपक्षीय तेल साझेदारी को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जयाद अल-नहयान की गणतंत्र दिवस के दौरान यात्रा को एक समझौते के साथ बढ़ावा मिला, जिसके तहत यूएई भारत के आपातकालीन तेल भंडार के कुछ हिस्से की आपूर्ति करेगा। भारत और ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का संचालन करते हैं। फिलिस्तीन की यात्रा के साथ इन दो देशों के संयोजन से अरब दुनिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।

* * *

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की विदेश यात्रा पर हैं। फिलिस्तीन, यूएइ और ओमान की यह यात्रा चार दिन की होगी। पीएम की यात्रा के दौरान भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार, निवेश, सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, ऊर्जा समेत कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया जाएगा। पीएम की यह यात्रा 9 फरवरी से 12 फरवरी तक होगी।

क्यों अहम है प्रधानमंत्री मोदी का फिलिस्तीन दौरा?

- भारत ने फिलीस्तीन को बुनियादी क्षेत्र में विकास के लिए मदद की है। 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी फिलीस्तीन की यात्रा पर गए थे। प्रणब मुखर्जी की यात्रा के बाद से फिलीस्तीन में तीन करोड़ डॉलर की परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है।
- मोदी की यात्रा के दौरान स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, खेल और कृषि के क्षेत्र में बातचीत होगी। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार फिलीस्तीन का समर्थन करता रहा है। भारत ने ट्रंप के येरुशलम को इजरायल की राजधानी के एलान के खिलाफ भारत ने UN में वोटिंग की थी।

यूएई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को करेंगे संबोधित

- इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा के बाद एक महीने के अंदर ही मोदी की फिलिस्तीन यात्रा हो रही है। दोनों नेताओं ने फिलिस्तीन मुद्दे पर चर्चा की थी। यूएई की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री रक्षा, सुरक्षा और व्यापार के अहम मुद्दों पर वार्ता करने के अलावा छठे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को भी संबोधित करेंगे।

द्विपक्षीय व्यापार

- भारत और फिलिस्तीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 400 लाख डॉलर का है। फिलिस्तीन में ऑटो सेक्टर, पर्यटन, कृषि, कपड़े और दवाइयों कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां भारतीय व्यापारी और निर्यातकों की रूचि है। भारत में फिलिस्तीन मुद्दे पर द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत राजनीतिक समर्थन दिया है।
- इसके साथ ही भारत फिलिस्तीन को विभिन्न रूप से आर्थिक सहायता भी देता है। भारत ने अब तक फिलिस्तीन को 600 लाख डॉलर की परियोजना मदद दी है। इसके अलावा भारतीय कला, संस्कृति और बॉलीवुड की फिल्में यहां काफी पंसद की जाती हैं।
- इजरायल और फिलस्तीन के संबंधों में तनाव के बीच भारत और इजरायल के संबंध गहरे हो रहे हैं। यहां अधिकारियों ने कहा कि हमने दोनों देशों के साथ रिश्तों को अलग-अलग खांचों में रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल और फिलिस्तीन के मतभेद सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पहल चल रही है। हम चाहते हैं कि इनका नतीजा निकले।

संभावित प्रश्न

चार दिन की पश्चिम एशियाई देशों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत-इजरायल के बढ़ते सहयोग के साथ ही फिलिस्तीन के साथ भी संबंधों को मजबूत और संतुलित करना चाहता है। इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

Prime Minister Narendra Modi has become the first Indian Prime Minister to visit Palestine on a four day visit to West Asian countries. India wants to strengthen and balance relations with Palestine as well as with the growing support of Israel. Analyze this statement. (250 Words)

''नीति आयोग की पहली स्वास्थ्य सूचकांक''

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है। *(12 फरवरी, 2018)*

*''हाल ही में नीति आयोग के द्वारा 'स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत' शीर्षक से स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है। इससे विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति तथा प्रगति का आकलन किया जा सकेगा।'' इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''पायनियर'' एवं ''द हिन्दू'' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे "**GS World**" टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

''पायनियर''
(कार्यसूची पर स्वास्थ्य)

''नीति आयोग का हेल्थकेयर सूचकांक महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ नीति निर्माताओं को बेहतर नीतियों का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है।''

नीति आयोग द्वारा जारी की गयी स्वास्थ्य सूचकांक, जो राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक तुलनात्मक आकलन है, यह ऐसे समय में आया है जब सरकार 50 करोड़ लोगों के लिए अपनी सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवर योजना शुरू करने की तैयारी में है।

यह एक सामान्य नक्शे का निर्माण करता है और जीवन के वांछित गुणवत्ता के साथ सभी को समान बनाने के लिए क्षेत्रीय निधि आवंटन और योजनाओं को कार्यान्वित करने में मदद करता है। उच्च स्थान प्राप्त करने वाले पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं हैं, क्योंकि केरल, पंजाब, तमिलनाडु और गुजरात लगातार अपनी मजबूती बनाए हुए हैं।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश जैसे राज्य इस सन्दर्भ में सुस्त पड़े हुए है। हालांकि यह कहानी अप्रत्याशित और बढ़ी हुई सुधारों या इसके परिणाम की मात्रा में निहित है जो प्रत्येक राज्य द्वारा आधार वर्ष 2014-2015 में हुई वृद्धि पर केन्द्रित है।

जहाँ झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी-प्रभुत्व वाले राज्यों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कि चिकित्सा बीमा और बुनियादी स्वास्थ्य अधिकारों की सीमा में बेहतर करने में सफल रहे हैं। उनका तेजी से उदगम यह साबित करता है कि सुधार अगर प्रतिबद्धता के साथ किया जाए, तो वास्तव में जिलों के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में विकास कर सकता है।

इसके अलावा, आश्चर्यजनक रूप से जम्मू और कश्मीर ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए दूर-दराज के क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य नेटवर्क को मजबूत करने और बेहतर माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के साथ समर्थन करने के लिए बेहतर कार्य किया है। इसने दुनिया भर से अपने चिकित्सकीय विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हुए कल्याण में योगदान और वरिष्ठ नागरिकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कई प्रयास किये हैं।

वास्तव में, वृद्धिशील प्रदर्शन के उपाय के कारण, उत्तर प्रदेश ने भी अपने कार्य में सुधार किया है, लेकिन 21वीं सदी में निराशाजनक स्थिति से खुद को बचाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है।

''द हिन्दू''
(स्वास्थ्य की स्थिति : नीति आयोग की पहली स्वास्थ्य सूचकांक)

''नीति आयोग की स्वास्थ्य सूचकांक पर व्यापक रूप से सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए।''

साक्षरता, पोषण और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश के बेहतर रिकॉर्ड वाले राज्यों ने नीति आयोग के पहले स्वास्थ्य सूचकांक में उच्च अंक हासिल किए हैं। जहाँ एक तरफ केरल, पंजाब और तमिलनाडु सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले बड़े राज्य हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ओडिशा और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों को कम अंक प्राप्त हुआ हैं।

स्वास्थ्य देखभाल वितरण राज्यों की जिम्मेदारी है; केंद्र वित्तीय और नीति समर्थन प्रदान करता है। आने वाले दशक में सशक्त विकास लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होने के नाते राज्यों के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है।

फिर भी, भारत में स्वास्थ्य देखभाल राजनीतिक का मुख्य मुद्दा नहीं है और न ही यह चुनावी परिणाम को प्रभावित करता है। यह सूचकांक, असमान डेटा उपलब्धता के साथ अपनी सारी सीमाओं के साथ, संभावित बेहतर परिणामों के लिए प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करके एक अंतर का निर्माण करता है।

उदाहरण के लिए, राजनीतिक इच्छा के साथ, ओडिशा के लिए अपनी नवजात मृत्यु दर को कम करना संभव है, जो 35 प्रति हजार जन्म लेने वाले नवजात के आंकड़ों के साथ सबसे अधिक है (उत्तर प्रदेश से भी बदतर)। एक दर्जन से अधिक राज्यों में शर्मनाक रूप से पांच वर्ष के बच्चों की मृत्यु दर 35 प्रति 1000 है, जो उपचारी कार्यक्रमों की आवश्यकता को दर्शाता है।

यह सूचकांक केरल और तमिलनाडु जैसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए यह दर्शाता है कि इनके सुधार में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन यहाँ अंतर राज्य असमानताओं को संबोधित करने की जरूरत है।

केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की घोषणा के तुरंत बाद, यह सूचकांक, संस्थागत प्रसव, टीबी के व्यवस्थित रिपोर्टिंग, एचआईवी/एड्स वाले लोगों के लिए दवाओं तक पहुंच, प्रतिरक्षण स्तर जैसे महत्वपूर्ण कारकों का जिक्र करता है।

मिजोरम, मणिपुर और गोवा जैसे छोटे राज्यों ने संसाधन चुनौतियों के बावजूद बड़ी प्रगति की है। लेकिन, चिंताजनक कहानी यह है कि उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अपने आखिरी लक्ष्य हासिल करने वाले पांच बड़े राज्यों में विफल रहे हैं। जबकि प्रतियोगी संघवाद पिरामिड के निचले भाग में कल्याणकारी लाभों को चलाने के लिए साबित हुआ है।

नीति आयोग ने स्पष्ट किया कि यह संख्या के लिए एक दौड़ नहीं थी, बल्कि क्रॉस लर्निंग और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हर किसी को मस्तिष्क से बाहर खींचने के लिए। उदाहरण के लिए, संघशासित प्रदेश लक्षद्वीप ने सबसे अच्छा समग्र प्रदर्शन और बढ़ते हुए प्रदर्शन को दिखाया, एक उच्च आदेश जो कि अनुकरण किया जा सकता है। रैंकिंग का पूरा मुद्दा यह सुनिश्चित करना है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करते हैं।

* * *

दोहरी अनिवार्यता यह है कि ये और अन्य मापदंडों पर सुविधाओं और उपचारों के पहुंच में सुधार करना है और कठोर मूल्यांकन को सक्षम बनाने के लिए निजी क्षेत्र से, डेटा की गुणवत्ता बढ़ानी है। दोनों केंद्र और राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे अपने बजट के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर अपना निवेश बढ़ाएं।

जबकि एनएचपीएस बीमार-स्वास्थ्य से जुड़े कुछ वित्तीय जोखिमों से निपटने में सक्षम हो सकता है, लेकिन सूचकांक में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए यह निवारक और प्राथमिक देखभाल में व्यवस्थित सुधार लाएगा।

पश्चिमी के देशों और अब भी अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव से पता चलता है कि बुनियादी कार्यक्रमों के लिए कराधान पर निर्भरता के साथ दवाओं का समाजीकरण एक अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली का आधार है। यदि नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक इन उपायों के साथ स्वास्थ्य की मुख्य धारा को संबोधित करता है, तो यह सकारात्मक परिणाम साबित होगा।

* * *

GS World टीम...

नीति आयोग ने 'स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत' रिपोर्ट जारी की

- नीति आयोग ने 'स्वस्थ्य राज्य, प्रगतिशील भारत' शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट 9 फरवरी, 2018 को देश की राजधानी में जारी की। यह अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्वास्थ्य व्यवस्था का विश्लेषण किया गया है।
- इस रिपोर्ट को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक के तकनीक सहयोग से तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में प्रामाणिक परिणामों और नीतिगत कदमों के प्रभाव की दृष्टि से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति पर व्यापक रोशनी डाली गई है।

रिपोर्ट के बारे में -

- नवजात मृत्यु दर (आइएमआर) और मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट (एमएमआर) जैसे स्वास्थ्य संकेतकों के वर्ष 2015-16 के आंकड़ों के आधार पर बनायी गयी। इस इंडेक्स पर 21 बड़े राज्यों, आठ छोटे राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों की तीन अलग-अलग श्रेणियों में रैंकिंग की गयी है।
- रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ इंडेक्स पर 80 अंकों के स्कोर के साथ बड़े राज्यों में केरल का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ है, जबकि 33.69 अंकों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी है। यूपी का यह स्कोर बड़े व छोटे राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम है।
- हालांकि संतोष की बात यह है कि वर्ष 2014-15 में इस इंडेक्स पर यूपी का स्कोर 28.14 था जो 2015-16 में 5.55 अंक सुधर कर 33.69 अंक हो गया है। इसके बावजूद यह देश में न्यूनतम है। बड़े राज्यों में हेल्थ इंडेक्स पर 65.21 अंकों के साथ दूसरा नंबर पंजाब का है।
- वहीं 62.12 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश 5वें पायदान पर है। जम्मू कश्मीर 60.35 अंकों के साथ सातवें नंबर पर है और 2014-15 के इसके 53.52 अंक के स्कोर में 6.83 अंक का सुधार भी आया है। इस सूचकांक पर 52.02 अंकों के साथ छत्तीसगढ़ 12वें और 49.87 अंकों के साथ हरियाणा 13वें नंबर पर है।
- हेल्थ इंडेक्स पर 45.33 अंक के साथ झारखंड 14वें नंबर पर है। खास बात यह है कि राज्य ने हाल के वर्षो में इस मामले में अपना प्रदर्शन सबसे तेजी से सुधारा है।
- 2014-15 में झारखंड का स्कोर मात्र 38.46 था जो 2015-16 में 6.87 अंक सुधरकर 45.33 हो गया है जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। इसका मतलब यह है कि स्वास्थ्य सूचकांक पर सर्वाधिक तेजी से प्रदर्शन सुधारने के मामले में झारखंड अन्य राज्यों की तुलना में सबसे आगे है।
- स्वास्थ्य सूचकांक पर उत्तराखंड 45.22 अंकों के साथ 15वें नंबर है और हाल के वर्षो में राज्य का प्रदर्शन सुधरने के बजाय खराब हुआ है। हेल्थ इंडेक्स पर मात्र 38.46 अंकों के साथ बिहार 19वें नंबर पर है और राज्य के प्रदर्शन में कुछ खास सुधार नहीं आया है।

ऐसा सूचकांक बनाने वाला भारत पहला देश-

- विश्व बैंक के भारत निदेशक जुनैद अहमद ने कहा कि दुनिया में भारत पहला ऐसा देश है जिसने राज्यों के स्तर पर इस तरह का इंडेक्स तैयार किया है। अन्य किसी भी देश में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। इससे सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।

नीति आयोग 730 सरकारी अस्पतालों की रैंकिंग भी जारी करेगा

- नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि इस साल जून तक आयोग देश के 730 सरकारी अस्पतालों की रैंकिंग भी जारी करेगा, ताकि अच्छा और खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों का नाम सार्वजनिक किया जा सके।

संभावित प्रश्न

"हाल ही में नीति आयोग द्वारा 'हेल्थकेयर सूचकांक' जारी की गयी है जिसके अनुसार एक-तिहाई से अधिक राज्यों में स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय है। इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए इस समस्या के समाधान हेतु अपने विचार प्रस्तुत कीजिये। (250 शब्द)

"Recently, Healthcare Index has been released by the NITI Aayog, according to which health conditions in more than one-third of the states are pathetic. Putting light on its causes, present your thoughts for solutions to this problem. (250 Words)

क्षितिज का विस्तार

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

(13 फरवरी, 2018)

''द हिन्दू''

''पश्चिम एशिया में भारत की भागीदारी को आर्थिक और सुरक्षा सहयोगी के रूप में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।''

भारत पश्चिम एशिया के साथ बहु-आयामी संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवीनतम यात्रा भारतीय विदेश नीति के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। हालांकि अक्सर भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को ज्यादा ध्यान दिया जाता रहा है, लेकिन अब भारत की 'लुक वेस्ट' नीति भी तेजी से विकसित हो रही है।

देखा जाये तो पिछले साढ़े तीन वर्षों में प्रधानमंत्री की पश्चिम एशिया की पांचवीं यात्रा है और इस उच्च स्तरीय रिश्ते ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत की आवाज एक ऐसे क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जिससे यह प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है।

श्री मोदी की फिलिस्तीन यात्रा (एक भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा) इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत की उच्च प्रोफाइल यात्रा के कुछ ही हफ्तों में आने के बाद, इसे महत्वपूर्ण हित के साथ देखा जा रहा है।

राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'बहुत ही सम्मानित देश' के रूप में भारत की पहचान को रेखांकित किया है और साथ ही यह भी कहा है कि पश्चिम एशियाई शांति प्रक्रिया में संभावित भारतीय भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।

मोदी की यात्रा से पहले उन्होंने सुझाव दिया था, हम एक संभव भारतीय भूमिका के महत्व पर विश्वास करते हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहमति और प्रस्तावों के आधार पर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए, उन्होंने मोदी के दौरे से पहले सुझाव दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे स्पष्ट करने का फैसला किया, क्योंकि इस क्षेत्र की जटिलताओं को स्पष्ट रूप से फिलिस्तीनी प्राधिकरण के रामाल्लाह के राष्ट्रपति मुख्यालय में उतरने के तरीके से स्पष्ट किया गया था।

फिलिस्तीन की क्षमता बढ़ने के लिए नई दिल्ली की नीति के अनुसार भारत ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ लगभग 50 मिलियन डॉलर के छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें बेथलेहम के बेत सहौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना, साथ ही महिलाओं को सशक्तीकरण, उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए एक केंद्र नेशनल प्रिंटिंग प्रेस और शिक्षा खंड में महत्वपूर्ण निवेश शामिल है।

श्री अब्बास ने भारत और फिलिस्तीन के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए श्री मोदी को 'ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन' से सम्मानित किया। जिसके बाद श्री मोदी ने कहा कि 'भारत फिलिस्तीन के लिए जल्द ही एक शांतिपूर्ण माहौल में एक सर्वश्रेष्ठ और स्वतंत्र देश के रूप में उभरने की उम्मीद करता है।'

अरब की खाड़ी राज्यों के साथ भारत की कड़ी मेहनत इस गतिशीलता का हिस्सा है, जिसमें श्री मोदी द्वारा पिछले तीन वर्षों में दूसरी बार संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया गया। भारत-संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों में व्यापार और आर्थिक संबंध केंद्रीय होते जा रहे हैं।

भारतीय तेल कंपनियों के एक संघ को ऑफशोर तेल की रियायत में एक 10% हिस्सेदारी देने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता संयुक्त अरब अमीरात के अपस्ट्रीम तेल क्षेत्र में पहला भारतीय निवेश होगा, जो एक पारंपरिक खरीदार-विक्रेता संबंध को एक दूसरे के साथ दीर्घकालिक निवेशक संबंध में परिवर्तित करेगा। भारतीय कामगारों के संविदात्मक रोजगार के सहयोगी प्रशासन को संस्थागत बनाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।

चीन को सम्मिलित करते हुए

ओमान पश्चिम एशिया में भारत के लंबे समय से भागीदार रहा हैं, जहां भारतीय सबसे बड़े प्रवासी समुदाय का गठन करते हैं। हिंद महासागर नई दिल्ली के लिए एक मुख्य क्षेत्र बनने के साथ, ओमान के महत्व को बढ़ने की संभावना है।

हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के विस्तार के पदचिह्न ने भारत को दक्षिणी राज्यों के साथ सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने की संभावना पर सतर्क कर दिया है। भारत ओमान में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा सकता है। मस्कद के साथ नौसेना सहयोग पहले से ही इसे गति प्रदान कर रहा है, जो एडीन की खाड़ी में चोरी से लड़ने के लिए भारतीय नौसेना के जहाजों को अधिकार देता है। नियमित नौसैनिक अभ्यास अब आदर्श बन गए हैं।

भारत और ओमान ने न केवल मोदी यात्रा के दौरान सैन्य सहयोग को और अधिक विस्तारित किया है, बल्कि अन्य डोमेन से संबंध बनाने की भी कोशिश की है जैसे स्वास्थ्य, पर्यटन और बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए।

पश्चिम एशियाई राज्यों की प्रकृति पर ध्यान दे तो हम पाएंगे कि सुल्तान और सम्राट अभी भी सत्ता में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत कूटनीति का वास्तव में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। लेकिन नई दिल्ली में नौकरशाही की जड़ता से भारत के पहुंच को कम करना जारी है।

भारत को पश्चिम एशिया के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए अब अपनी प्रतिबद्धताओं पर जोर देने और एक आर्थिक और सुरक्षा सहयोगी के रूप में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। यह महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पारंपरिक शक्तियां जैसे यू.एस. और रूस सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं, भले ही इस क्षेत्र में अमेरिका की हिस्सेदारी दिन में कमी आ गयी हो।

चीन और भारत, दो उभरती हुई शक्तियों के रूप में, अभी तक इस क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट सड़क का मार्ग स्पष्ट नहीं कर पाई है। भारत अभी भी इजरायल-अरब प्रतिद्वंद्विता की पुरानी बहस में फंसा हुआ है। सुन्नी अरब और शिया ईरान के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा पुराने रिश्तों को नया रूप दे रही है और भारत को इस क्षेत्र के प्रति अपने दृष्टिकोण में और अधिक व्यावहारिक होना होगा। प्रधानमंत्री की इस यात्रा ने भारत के लिए इस नई वास्तविकता को रेखांकित किया है।

* * *

GS World टीम...

महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य

- फिलिस्तीन के लिए एक प्रमुख विकास सहायता साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों ने यहां शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के बीच एक द्विपक्षीय बैठक के बाद, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में छह समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
- बेथलेहम के बेत सहौर में 30 लाख डॉलर की लागत से एक भारत-फिलिस्तीन सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- दूसरा समझौता ज्ञापन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 'तुराथी' नामक भारत-फिलिस्तीन केंद्र के निर्माण के लिए किया गया, जिसकी लागत पांच करोड़ डॉलर है। एक अन्य समझौता ज्ञापन पांच लाख डॉलर की लागत से रामल्लाह में एक नेशनल प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना के लिए किया गया।
- तुबास प्रांत के तमनून गांव और मुथालथ अल शौहादा गांव में दो स्कूलों के निर्माण के लिए दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनकी लागत क्रमश: 11 लाख डॉलर और 10 लाख डॉलर है। अबू दीस में जवाहर लाल नेहरू स्कूल फॉर बॉयज पर एक अतिरिक्त मंजिल के निर्माण के लिए एक छठे एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

चीन की नजर हिंद महासागर पर

- भारत के समुद्री क्षेत्र के बेहद समीप चीन की सेना के बेड़े की बढ़ती मौजूदगी को लेकर बढ़ रही चिंताओं के बीच चीन की नौसेना की नजर अब हिंद महासागर पर है। चीन की नौसेना हिंद महासागर में सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत से हाथ मिलाना चाहती है।
- पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (पीएलएएन) के अधिकारियों ने तटीय शहर झानजियांग में अपने कूटनीतिक दक्षिण सागर बेड़े (एसएसएफ) अड्डे पर पहली बार भारतीय पत्रकारों के एक समूह से बात करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए हिंद महासागर एक साझा स्थान है।
- चीन के एसएसएफ के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल ऑफिस कैप्टन लियांग तियानजुन ने कहा, 'मेरी राय में चीन और भारत हिंद महासागर की सुरक्षा में संयुक्त योगदान दे सकते हैं।' उनकी यह टिप्पणी तब आई है जब चीनी नौसेना ने अपनी वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर विस्तार की योजना शुरू की है।
- लियांग ने हिंद महासागर में चीन के युद्धपोतों और पनडुब्बियों की बढ़ती गतिविधियों पर भी स्पष्टीकरण दिया। चीन ने हिंद महासागर में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जिबूती में पहली बार नौसैन्य अड्डा स्थापित किया है।

द्विपक्षीय व्यापार

- भारत और फिलिस्तीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 400 लाख डॉलर का है। फिलिस्तीन में ऑटो सेक्टर, पर्यटन, कृषि, कपड़े और दवाइयों के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां भारतीय व्यापारी और निर्यातकों की रूचि है। भारत में फिलिस्तीन मुद्दे पर द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत राजनीतिक समर्थन दिया है।
- इसके साथ ही भारत फिलिस्तीन को विभिन्न रूप से आर्थिक सहायता भी देता है। भारत ने अब तक फिलिस्तीन को 600 लाख डॉलर की परियोजना मदद दी है। इसके अलावा भारतीय कला, संस्कृति और बॉलीवुड की फिल्में यहां काफी पंसद की जाती हैं।
- इजरायल और फिलस्तीन के संबंधों में तनाव के बीच भारत और इजरायल के संबंध गहरे हो रहे हैं। यहां अधिकारियों ने कहा कि हमने दोनों देशों के साथ रिश्तों को अलग-अलग खांचों में रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल और फिलिस्तीन के मतभेद सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पहल चल रही है। हम चाहते हैं कि इनका नतीजा निकले।

संभावित प्रश्न

भारत को खाड़ी क्षेत्र में एक रणनीतिक साझीदार की जरूरत है। भारत की 'लुक वेस्ट' नीति को स्पष्ट करते हुए बतायें कि भारत को पश्चिम एशिया के साथ बहु-आयामी संबंधों को आगे बढ़ाने के सन्दर्भ में क्या कदम उठाये जाने चाहिए? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

India needs a strategic partner in the Gulf region. Explaining India's 'Look West' policy, what steps should India be taken to promote multi-dimensional relations with West Asia? Discuss. (250 Words)

भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2017

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है। *(14 फरवरी, 2018)*

''हाल ही में केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन ने 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017' (India State of Forest Report-ISFR) जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में है।'' इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''पायनियर'' एवं ''द हिन्दू'' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे "GS World" टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''पायनियर''
(ग्रीन इंडिया)

''वन आवरण में सीमांत वृद्धि का स्वागत है, फोकस अब हरित आवरण के विस्तार पर होना चाहिए।''

जब पर्यावरण सूचकांक पर रैंकिंग की बात आती है, तो शायद ही कभी भारत में उत्साह योग्य आंकड़े मिले हो, लेकिन भारतीय वन रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो सालों में वैश्विक रुझानों के मुकाबले हमारे वनों में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वास्तविक शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि हमने 6,778 वर्ग किमी वन भूमि का फिर से निर्माण किया है।

हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि सारणीकरण में नए जिलों को शामिल करने के साथ बहुत कुछ कर सकता है। सबसे प्रशंसनीय पहलू यह है कि खुले वनों के मुकाबले विकास अधिक घने वन क्षेत्रों में हुई है।

अब ये हमारे कार्बन सिंक हैं जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता में वृद्धि करेगा और यह ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य देश में सबसे अधिक वनों से अच्छादित है, जबकि सतत विकास आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक और केरल जैसे दक्षिणी भागों में रहा है।

जंगल के आवरण के रख-रखाव में आदिवासियों को हितधारक बना कर, उन्हें स्थायी बनाया जा सकता है और वनों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को फिक्स करके और वनीकरण के प्रयासों को जारी रखकर अधिक से अधिक शोषण से मुक्त किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय भू-लाभ प्रदान कर सकता हैं।

पिछले एक दशक के दौरान जंगलों के अंदर जल निकायों में 2,647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और कुछ हिस्सों में मैंग्रोव का क्षरण दर्ज किया गया है। यह सब जैव विविधता की एक केंद्रित पुनर्स्थापना और सूक्ष्म जलवायु में परिवर्तन को प्रभावित करने से संबंधित है।

हालांकि पर्यावरणविदों को देशभर में खुले और मध्यम घनत्व के जंगलों का वनोन्मूलन की चिंता है, खासकर उत्तर-पूर्व में जहां प्रत्येक राज्य में कुल वन क्षेत्र 70 प्रतिशत से अधिक है।

छह पूर्वोत्तर राज्यों ने 630 वर्ग किमी की गिरावट दर्ज की है। वन गुणवत्ता में कुल गिरावट निस्संदेह चिंताजनक है, क्योंकि यह स्थानीय समुदायों के संरक्षण और उनको संबोधित करने की जरूरतों के बीच अंतर को उजागर करती है। यद्यपि ज्यादातर राज्यों में 30 प्रतिशत से अधिक वनों के लिए भूमि उपलब्ध है।

भारत, जो एक उभरती अर्थव्यवस्था है, को अपनी आर्थिक अनिवार्यताओं का विस्तार करना चाहिए, साथ ही अपने कार्बन फूट प्रिंट को सिमित करते हुए और पेरिस समझौते में किए गए अपने वादे का पालन करते हुए अपने जैव संसाधनों को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के उन 10 देशों में 8वाँ स्थान दिया गया है, जहाँ वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है।

''द हिन्दू''
(वुड्स एण्ड ट्री)

हमें वनों को पुनर्जीवित करने की रणनीति की समीक्षा करनी चाहिए और मोनोकल्चर (किसी क्षेत्र में एक ही फसल की खेती) वृक्षारोपण से दूर होना चाहिए।

सैटेलाइट चित्रण के आधार पर पर्यावरण मंत्रालय की 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017', भारत के भूमि क्षेत्र के 24.4% के रूप में वन या पेड़ के आवरण के कुछ हिस्से के तहत शुद्ध सकारात्मक संतुलन पेश करता है। रिपोर्ट के अनुसार, वन और वृक्ष कवर ने दो साल पहले पिछले अनुमान के मुकाबले 1% वृद्धि दर्ज की है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से इस रिपोर्ट में सबसे उत्साहजनक संकेत घने वनों का बढ़ना है।

रिपोर्ट में वनों को घनत्व के आधार पर तीन वर्गों-बहुत घने जंगल, मध्यम घने जंगल और खुले जंगल में बाँटा गया है। हालांकि, यह हरित क्षेत्रों की अखंडता में गहरे अंतर्दृष्टि प्रदान नहीं करता है। पर्यावरण नीति में वनों को भौगोलिक क्षेत्र के 33% तक बढ़ाने के लिए जोर देने से कुछ लाभांश मिलेगा।

शताब्दी के अंत में 20% के आधारभूत आवरण पर एक वृद्धि हुई है। फिर भी, वृक्षों का आवरण जैव विविधता, पुराने-वृद्ध जंगलों के समान नहीं है। वृक्षारोपण द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की सेवा जिन्हें व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए विकसित किया जाता हैं, पौधों, पेड़ों और जानवरों के एक अखंड संयोजित समूह के साथ समान नहीं माना जा सकता है।

भारत को 16 प्रमुख वन प्रकार और 221 प्रकार और उप-प्रकारों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है लेकिन पूर्व-औपनिवेशिक और औपनिवेशिक शोषण के सदियों बाद प्राचीन जंगल बहुत कम रह गए है।

विभिन्न क्षेत्रों के अपने लेखापरीक्षा में, मंत्रालय की रिपोर्ट ने मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में करीब 1,200 वर्ग किलोमीटर के जंगलों का संचयी नुकसान का अनुमान लगाया है।

इस तरह के नुकसान का असर पूर्वोत्तर की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक वैश्विक जैवविविधता का प्रतिनिधित्व करता है। ओडिशा, असम, तेलंगाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और मणिपुर में सुधार कार्यक्रमों के जरिए हासिल कोई लाभ पर्याप्त रूप से इसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है।

स्वाभाविक रूप से, पर्यावरणीय अर्थशास्त्री धन और विकास के राष्ट्रीय खातों की गणना को कमजोर मानते हैं, क्योंकि सरकार वनों के मूल्य पर बाढ़ नियंत्रण और जलवायु संयम जैसे कार्यों के लाभों को नहीं जोड़ती हैं। ऐसी विफलता कई समुदायों द्वारा किए गए लाभ को कम करती है, क्योंकि खोई हुई प्राकृतिक पूंजी भौतिक नुकसानों में योगदान करती है।

भारत को उन कार्यक्रमों की समीक्षा करनी चाहिए जिनसे वे जंगलों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं और कई राज्यों में खासकर वन विकास निगमों द्वारा मॉनोकल्चर बागानों के पक्ष को दूर करना चाहिए। यहाँ वास्तविक प्रकृति को वापस लाने के लिए वैज्ञानिक सुधारों की जरूरत है।

रिपोर्ट के अनुसार देश में वाह्य वन एवं वृक्षावरण का कुल स्टॉक 582.377 करोड़ घन मीटर अनुमानित है, जिसमें से 421.838 करोड़ घन मीटर क्षेत्र वनों के अंदर है, जबकि 160.3997 करोड़ घन मीटर क्षेत्र वनों के बाहर है।

ये भूमि विविध, स्वदेशी वृक्षों को वापस लाने का अवसर प्रदान करती हैं। खुले खदान खनन की अनुमति के खिलाफ एक नीति के साथ संयुक्त प्रयास बेहतर साबित हो सकता हैं। पूर्वोत्तर के अनमोल वनों की रक्षा के लिए समर्पित प्रयासों की आवश्यकता होगी।

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन ने 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017' (India State of Forest Report-ISFR) जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में है।
- वनों पर मानवीय आबादी और मवेशियों की संख्याड के बढ़ते दवाब के बावजूद भारत अपनी वन संपदा को संरक्षित रखने और उसे बढ़ाने में सफल रहा है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह इस श्रेणी की 15वीं रिपोर्ट है।
- इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिये भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट-2 से प्राप्त आँकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में सटीकता लाने के लिये आँकड़ों की जाँच हेतु वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है।
- रिपोर्ट में दी गई जानकारी देश की वन संपदा की निगरानी और उसके संरक्षण के लिये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित प्रबंधन व्यवस्था और नीतियां तय करने में काफी सहायक है।
- संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के उन 10 देशों में 8वाँ स्थान दिया गया है, जहाँ वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट में सबसे उत्साहजनक संकेत घने वनों का बढ़ना है। रिपोर्ट में वनों को घनत्व के आधार पर तीन वर्गों-बहुत घने जंगल, मध्यम घने जंगल और खुले जंगल में बाँटा गया है।
- घने वन क्षेत्र वायुमंडल से सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाईऑक्साखइड सोखने का काम करते हैं। घने वनों का क्षेत्र बढ़ने से खुले वनों का क्षेत्र भी बढ़ा है।
- रिपोर्ट के ताजा आकलन के अनुसार देश के 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का 33% भू-भाग वनों से घिरा है।
- जबकि त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, केरल, उत्तराखण्ड, दादरा नगर हवेली, छत्तीसगढ़ और असम का 33 से 75% के बीच का भू-भाग वनों से घिरा है। देश का 40% वनाच्छादित क्षेत्र 10 हजार वर्ग किमी. या इससे अधिक के 9 बड़े क्षेत्रों के रूप में मौजूद है।
- इनमें से 7 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों जैसे- मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नगालैंड, मेघालय और मणिपुर का 75% से अधिक भूभाग वनाच्छादित है।
- देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र 4921 वर्ग किमी. है, जिसमें वर्ष 2015 के आकलन की तुलना में कुल 181 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है।
- मैंग्रोव वनस्पति वाले सभी 12 राज्यों में पिछले आकलन की तुलना में सकारात्मक बदलाव देखा गया है। मैंग्रोव वनस्पति जैव विविधता में समृद्ध होती है जो कई तरह की पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं को पूरा करती है।
- रिपोर्ट के अनुसार देश में वाह्य वन एवं वृक्षावरण का कुल स्टॉक 582.377 करोड़ घन मीटर अनुमानित है, जिसमें से 421.838 करोड़ घन मीटर क्षेत्र वनों के अंदर है, जबकि 160.3997 करोड़ घन मीटर क्षेत्र वनों के बाहर है।
- पहली बार इस रिपोर्ट में वनों में स्थित जल स्रोतों का 2005 से 2015 की अवधि के आधार पर आकलन किया गया है। इसके अनुसार इन जल निकायों के क्षेत्रफल में 2647 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश शीर्ष राज्य हैं।
- पिछले आकलन की तुलना में बाह्य एवं वृक्षावरण स्टॉक में 5.399 करोड़ घन मीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें 2.333 करोड़ घन मीटर की वृद्धि वन क्षेत्र के अंदर तथा 3.0657 करोड़ घन मीटर की वृद्धि वन क्षेत्र के बाहर हुई है। इस हिसाब से यह वृद्धि पिछले आकलन की तुलना में 3 करोड़ 80 लाख घन मीटर रही।
- सरकार ने वन क्षेत्र के बाहर उगाई जाने वाली बाँस को वृक्षों की श्रेणी से हटाने के लिये हाल ही में संसद में एक विधेयक पारित किया है। इससे लोग निजी भूमि पर बाँस उगा सकेंगे जिससे किसानों की आजीविका बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे देश में हरित आवरण भी बढ़ेगा और कार्बन सिंक बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।
- देश में बाँस के अंतर्गत कुल 1.569 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र आकलित किया गया है। वर्ष 2011 के आकलन की तुलना में देश में बाँस वाले कुल क्षेत्र में 17.3 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। बाँस के उत्पादन में वर्ष 2011 के आकलन की तुलना में 1.9 करोड़ टन की वृद्धि दर्ज हुई है।

क्या होता है आवरण?

- वन आवरण से तात्पर्य एक हेक्टेयर से अधिक भूमि जहां पेड़ कैनोपी 10% से अधिक हो। इसमें बगीचा, बांस, ताड़ इत्यादि शामिल होते हैं।

दर्ज वन क्षेत्र क्या है?

- सरकारी रिकॉर्ड में शामिल वन के रूप में शामिल भौगोलिक क्षेत्र को दर्ज वन क्षेत्र कहा जाता है। इसमें मुख्यत: आरक्षित वन क्षेत्र का संरक्षित वन क्षेत्र शामिल होते हैं।

* * *

संभावित प्रश्न

हाल ही में केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन ने 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017' जारी की, जिसमें भारत वन क्षेत्र के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। इसके बावजूद हमें अपनी स्थिति में और सुधार हेतु मोनोकल्चर कृषि से दूर होना होगा। इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

Recently, Ministry of Environment, Forest and Climate Change released 'India Forest Station Report 2017', in which India is one of the top 10 countries in the field of forest area. In spite of this, we need to get away from monoculture agriculture for further improvement in our situation. Analyze this statement. (250 Words)

कल्याणकारी योजनाओं के संसाधनों का त्रुटिपूर्ण आवंटन

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

(15 फरवरी, 2018)

''लाइव मिंट''

लेखक - अभिषेक आनंद (आर्थिक मामलों के विभाग में शोध अधिकारी, वित्त मंत्रालय)

''मौजूद कई योजनाओं के स्थान पर सार्वभौमिक बुनियादी आय एक प्रभावशाली विचार है, जिस पर विचार करना चाहिए।''

आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 ने सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई) पर जोर दिया है। सर्वेक्षण ने विभिन्न तर्कों पर चर्चा की है जो कि यूबीआई को लागू करने में सहायक साबित हो सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाला तथ्य यह है कि यूबीआई पर जोर मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, रिसाव और गरीबों की अनदेखी के कारण दिया जा रहा है। इस लेख का उद्देश्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के संसाधनों के आवंटन का विश्लेषण करना है और यह जांच करना है कि क्या वास्तव में सरकार के संसाधनों का त्रुटिपूर्ण आबंटन हो रहा है या नहीं?

त्रुटिपूर्ण आवंटन का अध्ययन करने के लिए, छह शीर्ष सीएसएस (वित्तीय वर्ष 2016 के लिए) के जिलावार खर्च का अध्ययन किया गया है, जो कुल सीएसएस खर्च का 50% से अधिक का हिस्सा है। इनमें निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), मिड डे मील स्कीम (एमडीएम), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएई) और स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)।

Figure 1

Welfare spending on poor across districts

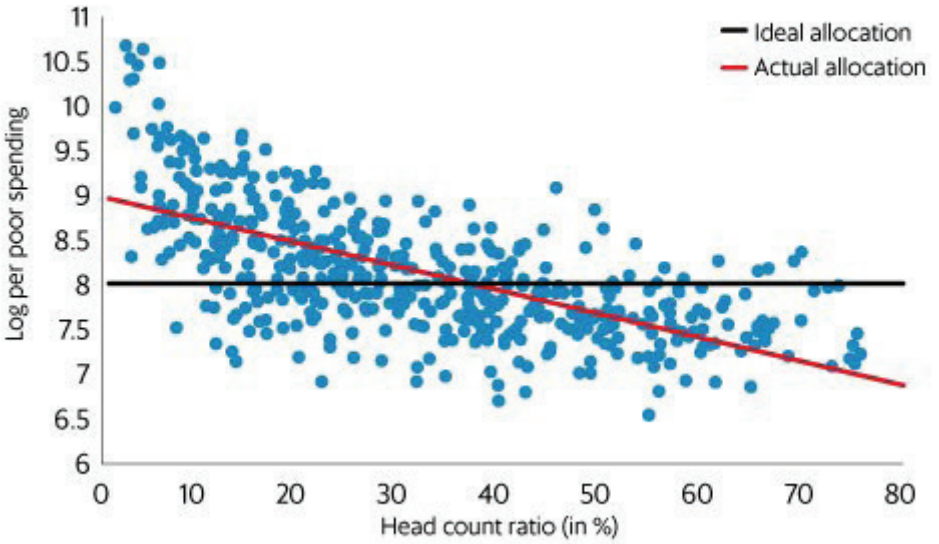

Source: Administrative data and National Sample Survey 2011-12

चित्र 1 मुख्य गणना अनुपात (एचसीआर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2011-12 का उपयोग करके गणना) के विरूद्ध इन छह योजनाओं के तहत जिलावार प्रति कम खर्च को दर्शाता है। आदर्श रूप से, 'प्रति गरीब' खर्च पूरे जिले में ही होना चाहिए (काली रेखा)।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि गरीब व्यक्ति जिला ए या जिला बी का निवासी है या नहीं, प्रति व्यक्ति कल्याण व्यय समान होना चाहिए। हालांकि, वास्तविक प्रति कम खर्च नीचे की ओर ढलान वाली लाल रेखा है। एक गरीब जिले के गरीब लोग अमीर जिलों से गरीबों की तुलना में कम कल्याणकारी व्यय प्राप्त करते हैं। याद रखें कि राज्यों को सीएसएस के लिए केंद्र से धन प्राप्त करने के लिए एक मिलान अनुदान प्रदान करना होगा।

बिहार और झारखंड जैसे राज्यों ने अक्सर इसका प्रतिनिधित्व किया है कि उनके पास सीमित संसाधन हैं और वे सीएसएस के तहत आवश्यक धन का उपयोग करने के लिए सक्षम होने के लिए राज्य का हिस्सा प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं।

एसएसए जैसी योजनाओं के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां समकक्ष राशि 35% की सीमा तक है और यह क्षेत्र हर राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में अग्रणी एक और महत्वपूर्ण कारक है जो गरीब जिलों की अक्षम प्रशासनिक क्षमता है, जो कि योजनाओं के खराब कार्यान्वयन के कारण हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में देखा गया था कि जिलों को आवंटित संसाधन प्राय: जिले के उन्हें खर्च करने की क्षमता पर निर्भर करता है और चूंकि अमीर जिलों में प्रभावी रूप से योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासनिक क्षमताएं हैं, इसलिए कल्याणकारी योजनाओं पर उनका खर्च गरीब जिलों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है।

Figure 2

Welfare spending and own revenue of states

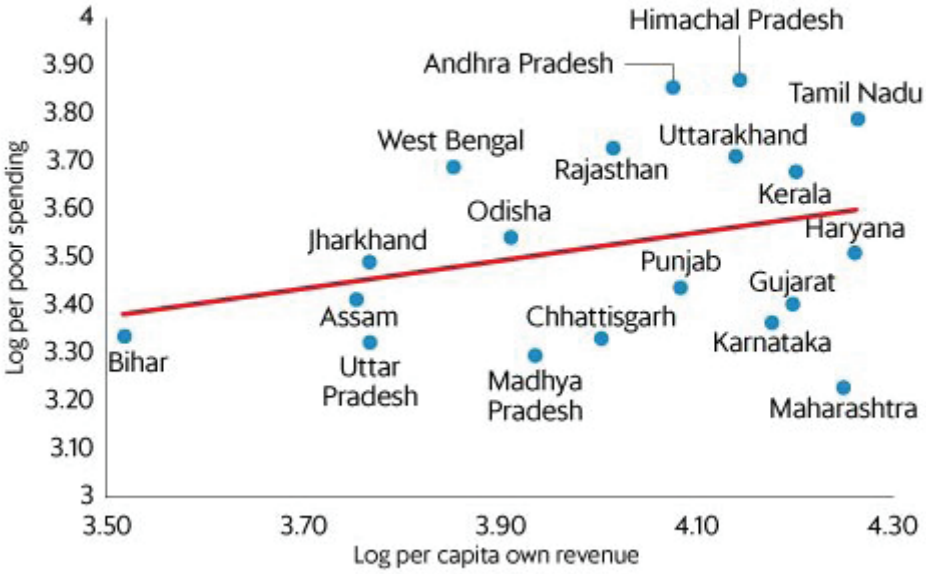

Source: Administrative data and 14th Finance Commission report

ऊपर दिए गए बिंदु को चित्र 2 में बताया गया है। चूंकि राज्यों के स्वयं कर राजस्व (ओटीआर) में बढ़ोतरी हुई है, उनका प्रति खर्च भी बढ़ गया है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जैसे ही राज्यों की ओटीआर बढ़ जाती है, सीएसएस के लिए अनुदान से मिलान करने की उनकी क्षमता में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वे केंद्र से अधिक सीएसएस फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं।

अब प्रश्न उठता है कि संसाधनों का इस तरह के त्रुटिपूर्ण आवंटन का क्या गंभीर परिणाम हो सकता है? आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 ने यह मुद्दा उठाया है कि निधियों का त्रुटिपूर्ण आवंटन अपवर्जन त्रुटि का निर्माण कर सकता है।

लेखक द्वारा इसके लिए मनरेगा के कुछ प्रमाण प्रदान करने का प्रयास किया गया है। हम समस्त गरीब और कुल मनरेगा खर्चों का एक जिला-वार हिस्से की गणना करते हैं। यदि कुल खर्च का एक जिले का हिस्सा कुल गरीबों के अपने हिस्से से अधिक है, इसे 'अधिशेष जिला (Surplus District)' के रूप में अन्यथा 'घाटा जिले (Deficit District)' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हम पाते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण, बहुत से समृद्ध जिले 'अधिशेष' में हैं, जबकि अधिकांश गरीब जिले 'घाटे' में हैं।

'घाटे' जिलों में, एचसीआर 38% है, लेकिन पंजीकृत श्रमिकों के अनुपात में सक्रिय केवल 33% है। दूसरी ओर, 'अधिशेष' जिलों में, एचसीआर सिर्फ 22% है लेकिन पंजीकृत श्रमिकों के लिए सक्रिय का अनुपात 50% (2015-16 के लिए संख्या) है। गरीब जिलों में कम सक्रिय-पंजीकृत कार्यकर्ता अनुपात का अर्थ है कि अपवर्जन त्रुटि की संभावना अधिक है। इसी प्रवृत्ति को अन्य योजनाओं में भी देखा जाता है।

सरकार को इस सन्दर्भ में क्या कदम उठाये जाने चाहिए? सबसे पहले, मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान में केंद्र सरकार सैकड़ों कल्याणकारी योजनाएं चला रही है (बजट 2017-18 के अनुसार 675 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं)।

जहाँ कुल छह से सात योजनाएं ही ऐसे हैं, जिन्हें कुल कल्याणकारी खर्च का लगभग 50% हिस्सा प्राप्त होता है, बाकि अन्य योजनाओं की स्थिति दयनीय है। इसके अलावा, हजारों अन्य ऐसी योजनाएं हैं जो अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जाती हैं। ऐसी बड़ी संख्या में योजनाओं को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित करना, खासकर कमजोर प्रशासनिक क्षमता वाले राज्यों द्वारा, राज्यों पर भारी बोझ का निर्माण करता है।

बी.के.चतुर्वेदी समिति की रिपोर्ट (2011) के अनुसार कल्याण और अन्य ऐसी योजनाओं को या तो बड़े क्षेत्रीय योजनाओं के साथ मिलकर या राज्यों में स्थानांतरित करते हुए विलय कर दिया जाना चाहिए, जिससे इन योजनाओं को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर कायम रखा जा सके।

दूसरा, मौजूद कई योजनाओं के स्थान पर सार्वभौमिक बुनियादी आय एक प्रभावशाली विचार है, जिस पर विचार करना चाहिए। जम्मू और कश्मीर सरकार ने पहले ही अपने 2017-18 बजट में घोषणा की है कि यह सीधे लाभ हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों को यूबीआई प्रदान करेगा। जम्मू और कश्मीर में योजना के सफल कार्यान्वयन से अन्य राज्यों को इसके कार्यान्वयन के लिए यूबीआई के वित्तीय बोझ को साझा करने की प्रेरणा मिल सकती है।

* * *

यूनिवर्सल बेसिक इनकम

- 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' से तात्पर्य एक ऐसी 'न्यूनतम आधारभूत आय' से है जो किसी देश की सरकार या उस देश की कोई सार्वजनिक संस्था, देश के नागरिकों या निवासियों को बिना किसी शर्तों के नियमित तौर पर आजीविका हेतु प्रदान करती है।

सार्वभौमिक बुनियादी आय क्यों?

- वस्तुत: सार्वभौमिक बुनियादी आय एक प्रकार का बेरोजगारी बीमा होती है जो हर किसी को प्रदान नहीं किया जा सकता है। अत: इसे लागू करने के लिये कुछ विशेष पैमाने तय करने की आवश्यकता हैं
- इसका मुख्य कारण यह है कि देश के प्रत्येक नागरिक को बुनियादी आय प्रदान करने हेतु आवश्यक धन सरकार के पास नहीं होता है, अत: यही कारण है कि सरकार इसे सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।
- यहाँ यह स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक है कि दीर्घकाल से विकसित देशों के द्वारा हमेशा यह इच्छा प्रकट की गई है कि भारत खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित प्रावधानों (राज्यों द्वारा खाद्यानों की खरीद एवं उनका सब्सिडीयुक्त वितरण) का विस्तार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से करें। ताकि इससे एक सार्वभौमिक बुनियादी आय के निराकरण के लिये मार्ग खुल सकें।

चुनौतियाँ

- बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि सबके लिये बेसिक इनकम का बोझ कोई बहुत विकसित अर्थव्यवस्था ही उठा सकती है, जहाँ सरकार का खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 40 फीसदी से भी ज्यादा हो और टैक्स से होने वाली कमाई का आँकड़ा भी इसके आसपास ही हो। यदि हम भारत की बात करें तो टैक्स और जीडीपी का यह अनुपात 17 फीसदी से भी कम बैठता है, यानी हम तो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और आधारभूत ढाँचे के अलावा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, मुद्रा और बाहरी संबंधों से जुड़ी संप्रभु प्रक्रियाओं का बोझ ही बहुत मुश्किल से उठा पा रहे हैं।
- बेसिक इनकम की राह में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 'बेसिक आय' का स्तर क्या हो, यानि वह कौन सी राशि होगी जो व्यक्ति की अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके? मान लें कि हम गरीबी रेखा का पैमाना लेते हैं, जो कि औसतन चालीस रुपए रोजाना है (ग्रामीण क्षेत्रों में बत्तीस रुपए और शहरी क्षेत्रों में सैंतालीस रुपए), तो प्रत्येक व्यक्ति को लगभग चौदह हजार रुपए सालाना या बारह सौ रुपए प्रतिमाह की गारंटी देनी होगी।
- प्रथम दृष्टया यह राशि व्यवहारिक प्रतीत होती है, लेकिन यदि हम इस प्रकार देखें कि अपनी कुल जनसंख्या की पच्चीस फीसद को सालाना चौदह हजार रुपए और अन्य पच्चीस फीसद आबादी को सालाना सात हजार रुपए देने की जरूरत पड़ेगी और बाकी आबादी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं होगी तो ऐसे में योजना की लागत आएगी प्रतिवर्ष 693,000 करोड़ रुपए।
- विदित हो कि यह राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार के भुगतान बजट के पैंतीस फीसद के बराबर है। जाहिर है, वर्तमान परिस्थितियों में यह आवंटन सरकार के लिये सम्भव नहीं है।

* * *

Committed To Excellence

संभावित प्रश्न

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के संसाधनों में त्रुटिपूर्ण आवंटन एक गंभीर समस्या है। संसाधनों का इस तरह के त्रुटिपूर्ण आवंटन के गंभीर परिणामों पर प्रकश डालते हुए बताये कि सरकार को इस समस्या के निदान हेतु क्या कदम उठाये जाने चाहिए? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Incorrect allocation in the resources of Centrally Sponsored Schemes (CSS) is a serious problem. Putting forth on the serious consequences of such flawed allocation of resources, what steps should the government take to address this problem? Discuss. (250 Words)

पी. एन. बी. घोटाला

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

(16 फरवरी, 2018)

''हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के 11,333 करोड़ रुपए के घोटाले ने बैंकिंग सिस्टिम को हिलाकर रख दिया है। इसे भारतीय बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में एक कहा जा रहा है।'' इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द हिन्दू' एवं ''इकनोमिक टाइम्स'' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे **"GS World"** *टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

''द हिन्दू'' (पीएनबी घोटाला)

बैंकिंग प्रणाली में पुनः विश्वास का निर्माण करने के लिए पीएनबी में हुए धोखाधड़ी की तेजी से जांच की जानी चाहिए।

पंजाब नेशनल बैंक में लगभग 11,500 करोड़ रुपये के घोटाले के बाद शेयर बाजारों में भी अफरा-तफरी हो गयी है। शायद यह भारत में इस तरह का सबसे बड़ा घोटाला है, यह दक्षिण मुंबई स्थित एक शाखा में हीरा व्यापारी द्वारा बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत के बाद का परिणाम है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक में इस तरह से हुई धोखाधड़ी सच में अचंभित करने वाली घटना है, खासकर तब, जब पिछले कुछ सालों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जांच बढ़ गई है।

बैंक की लेखापरीक्षा समितियां और बोर्ड, साथ ही साथ केंद्रीय बैंक, जो बैंकों के रिकॉर्ड की नियमित वित्तीय निरीक्षण करता है, जाहिर तौर पर उन ऋणों पर भी कड़ी नजर रखे हुए होंगे जो गंभीर स्थिति या डिफॉल्ट के कगार पर हैं।

वर्तमान सरकार, जिसने अक्सर यूपीए सरकार के दौरान क्रूर पूंजीवाद पर खराब ऋणों के ढेर को दोषी ठहराया है, ने पिछले महीने ही इस वित्त वर्ष में 21 पूंजी से ग्रस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को करीब 1 लाख करोड़ रुपये का एक योजना का अनावरण किया।

इसमें से, 5,473 करोड़ रुपये पीएनबी को दिया जाना है। इसलिए भले ही इस धोखाधड़ी के कारण बैंक को वास्तविक नुकसान उठाना पड़ा हो, लेकिन पुनर्पूंजीकरण की घोषणा के बाद इसकी पूंजी पर्याप्तता अनुपात फिर से उसी स्तर पर वापस आ जाएगा। पिछले दो दिनों में इसकी बाजार पूंजीकरण में 8,077 करोड़ रुपये की कमी आई है और इन खबरों के बाद शेयर की कीमत 20 फीसदी से कम हो गई है।

बैंक के शीर्ष अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने इसके सन्दर्भ में तुरंत कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक सेवानिवृत्त और एक सेवारत पीएनबी कर्मचारी को भी हिरासत में लिया है।

यह भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि केवल मुट्ठी भर छोटे कर्मचारियों द्वारा ऐसे बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को अंजाम दे दिया गया। बैंक के प्रबंध निदेशक ने दावा किया है कि पर्यवेक्षणीय चूक की जांच हो रही है और प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्य आरोपी, अरबपति-ज्वेलर निरव मोदी उनकी पत्नी अमी मोदी और करीबी सहयोगियों और रिश्तेदारों के खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग केस की शुरुआत की है।

''इकनोमिक टाइम्स'' (पीएनबी घोटाले से मिली सीख)

''पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुई लगभग 11,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला काफी हैरान करने वाला है। इस मामले को सतर्क करने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पीएनबी ने दावा किया कि दो कर्मचारियों ने इस घोटाले को उपक्रमों के फर्जी पत्र जारी करते हुए सात साल में अंजाम दिया, जिसमें नीरव मोदी के स्वामित्व वाली हीरा कंपनी और मेहुल चोक्सी के स्वामित्व वाली गीतांजलि जेम्स से जुड़ी कंपनियों को ज्यादातर अन्य भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से विदेशी मुद्रा उधार लेने के लिए अनुमति दी गई थी।''

ये विदेशी ऋण पीएनबी से उपक्रम पत्रों के आधार पर बनाए गए थे और कुछ अन्य बैंकों के साथ पीएनबी के विदेशी खातों के माध्यम से कराए गए थे, जिन्हें नॉस्ट्रो अकाउंट्स कहा जाता था। इससे पीएनबी को नहीं चुकाए गये ऋण की जिम्मेदारी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।

हालांकि, जब पीएनबी में हुआ घोटाला प्रकाश में आया, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अन्य बैंकों में सतह के नीचे कोई घोटाला नहीं हो रहा होगा।

जिस तरह से कुछ कर्मचारियों द्वारा पीएनबी में इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया वो भी बैंक के खातों में बिना परिलक्षित हुए, तो यह सिर्फ बैंक के खातों को व्यवस्थित करने और उसके सॉफ्टवेयर को कॉन्फिगर करने का एक उदास प्रतिबिंब नहीं है; बल्कि यह एक चेतावनी है जो यह दर्शाता है कि अन्य बैंक भी समान रूप से कमजोर हो सकते हैं।

जारी किए गए फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अर्थात पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों-कर्मियों ने इन मामलों में जाली लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किए थे। इनके आधार पर एक्सिस बैंक और इलाहाबाद बैंक सहित कुछ भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं ने बैंक को डॉलर में लोन दिए थे।

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी ये भी जानना चाहते हैं कि क्या पिछले सात सालों में एक बार भी पीएनबी की तरफ से जारी एलओयू (Letter of Understanding) को उस ब्रांच में सत्यापन के लिए भेजा गया, जहां से ये जारी हो रहे थे। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो क्या कभी भी बैंक के विदेशी लेन-देन के ऑडिट में इन पर सवाल नहीं उठाए गए?

ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक के कर्मचारी जो धोखाधड़ी में शामिल थे, उन्होंने कोर बैंकिंग समाधान को खारिज कर उधारकर्ताओं को बड़ा लेनदेन कराया।

यह घटना सरकार के डिजिटल भुगतान अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चेतावनी है। पीएनबी ने इस तरह के लेनदेन को स्वीकार करने से पहले पर्याप्त परिश्रम नहीं करने के लिए अन्य बैंकों की विदेशी शाखाओं पर दोष लगाने की मांग की है, लेकिन यह स्पष्टीकरण बहुत सरल हो सकता है।

आरबीआई की एक जांच इस मामले में प्रणालीगत चूक के जड़ तक होनी चाहिए। बैंकर-उधारकर्ता साझेदारी को कई वर्षों तक बैंकिंग प्रणाली में समस्याओं के लिए दोषी ठहराया गया है। बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बहाल करने के लिए आरबीआई और जांच एजेंसियों को शीघ्रता से कार्य करना होगा।

निश्चित रूप से एक ऐसा घोटाला जो सात साल तक जारी रहा, बैंक के आंतरिक और बाहरी लेखा-परीक्षा के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। यह बैंकिंग नियामक, आरबीआई की क्षमता पर भी असर डालता है।

निरव मोदी ने खुद को एक सिद्ध व्यापारी साबित कर दिया है, जो परिमाण, गुणवत्ता और ब्रांडिंग में पूरी तरह से सक्षम है। गीतांजलि जेम्स भी एक स्थापित व्यवसाय है। उनके पास इतनी संपत्ति है जिसे जब्त किया जा सकता है।

धोखाधड़ी की आपराधिक जांच के साथ, ऐसा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ, इस घटना से सीख लेते हुए बैंक के खाते और सिस्टम को भी उन्नत किया जाना चाहिए।

GS World टीम...

क्या है पूरा मामला?

- भारत के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक में 11,300 करोड़ रुपये का नया घोटाला सामने आया है। पंजाब नेशनल बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि मुंबई की एक ब्रांच में 1.8 अरब डॉलर यानी करीब 11,300 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी सामने आई है।

2017 की कमाई का 8 गुना बड़ा घोटाला

- पंजाब नेशनल बैंक की 2017 में 1320 करोड़ नेट इनकम थी, यानी घोटाला साल भर की नेट इनकम का आठ गुना है। पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले का एक और मामला कुछ दिनों पहले सामने आया था जिसमें एक ज्वैलर ने कथित तौर पर पंजाब नेशनल बैंक की फर्जी गारंटी के पत्रों के जरिए 2800 करोड़ रुपए का लोन ले डाला था। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इन दोनों घोटालों का आपस में संबंध है या नहीं। लेकिन उस वक्त भी बैंक ने कहा था कि वो मामले की जांच कर रहा है।

कैसे हुआ फ्रॉड?

- डायमंड इंपोर्ट करने को लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए पीएनबी से संपर्क किया गया। नीरव मोदी के लिए पीएनबी सप्लायर्स को भुगतान करता था। इसके बाद में नीरव मोदी से पैसे वसूले जाते थे। पीएनबी अधिकारियों ने जाली लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किए। भारतीय बैंक की विदेशी शखाओं ने डॉलर में लोन दिए और लोन का इस्तेमाल बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट की फंडिंग के लिए हुआ। एकाउंट्स से फंड को विदेश में कुछ फर्मों को भेजा गया। नोस्ट्रो अकाउंट एक भारतीय बैंक का विदेशी बैंक में खाता है।

क्या है LoU ?

- LoU लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, यह एक तरह की बैंक गारंटी है और बैंक किसी ग्राहक की गारंटी देता है। LoU के आधार पर दूसरे बैंक पैसा देते हैं और खाताधारक के डिफॉल्टर होने पर बैंक की जिम्मेदारी होती है। LoU देनेवाला बैंक दूसरे बैंक का बकाया चुकाएगा।

इन बैंकों पर पड़ेगे असर

- इससे दो पब्लिक सेक्टर बैंक और एक प्राइवेट बैंक पर असर पड़ेगा। इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक पर असर पड़ेगा। इन तीनों बैंकों ने आरोपी को क्रेडिट की पेशकश की थी। पीएनबी के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के आधार पर पेशकश की।
- वित्त मंत्रालय के अनुसार पीएनबी फ्रॉड मामले में छह कंपनियों को 9539.38 करोड़ रुपये के एलओयू और 1799.36 करोड़ रुपये के एफएलसी जारी हुए। इसके आधार पर सोलर एक्सपोर्ट, स्टेलर डायमंड, डायमंड आर यूएस, गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया, नक्षत्र और चंद्री पेपर्स को जारी हुए।

* * *

संभावित प्रश्न

हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में हुई घोटाले ने सरकार की डिजिटल भुगतान अर्थव्यवस्था के साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली में व्याप्त कमियों को उजागार किया है। इस दिशा में आरबीआई के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा क्या अपेक्षित सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Recently, the scandal in India's second largest bank, Punjab National Bank, has exposed the deficiencies in the banking system along with the government's digital payment economy. What is the need to take corrective steps in the direction of the Central Government along with RBI in this direction? Discuss. (250 Words)

कावेरी जल विवाद

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

(17 फरवरी, 2018)

''कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि नदी पर किसी एक राज्य का अधिकार संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि पानी राष्ट्रीय संपत्ति है।'' इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द हिन्दू' एवं ''इंडियन एक्सप्रेस'' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे **"GS World"** *टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

''द हिन्दू''
(कावेरी फैसले पर)

''राज्यों और केंद्र दोनों को कावेरी पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अंतिमरूप से स्वीकार करना चाहिए।''

कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के दृष्टिकोण से ऊपर उठते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने तटवर्ती राज्यों के बीच एक व्यवहार्य जल-साझाकरण व्यवस्था की संभावनाओं को बढ़ाया है। जहाँ इसने तमिलनाडु के लिए ट्रिब्यूनल के आवंटन को कम कर दिया है और कर्नाटक के हिस्से को बढ़ा दिया है।

इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी राज्य का जल संसाधनों पर एकाधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि नदियां राष्ट्रीय संपत्ति हैं। अंतर-राज्य नदियों के न्यायसंगत वितरण के सिद्धांत की यह एक महत्वपूर्ण मान्यता है।

तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच 120 सालों से चले आ रहे कावेरी जल विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताभ राय और जस्टिस खानविलकर की बेंच ने मामले पर फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु के हिस्से का पानी घटा दिया है। तमिलनाडु को अब 192 से 177.25 टीएमसी फीट पानी मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट का संदेश यह है कि न्यायाधिकरण के इस संशोधित फैसले को लागू करने के लिए केंद्र को एक कानूनी और तकनीकी ढांचा बनाने के लिए आगे आना चाहिए। तमिलनाडु, एक राज्य के रूप में, जिसने अपने डेल्टा जिलों में कृषि संकट को देखा है, उसे किसी भी निर्धारित आवंटन से संतुष्ट हो जाना चाहिए जो इसके कार्यक्रम के अनुसार हो।

एक अंतरराज्यीय जल विवाद का समाधान मुख्य रूप से प्रत्येक राज्य की प्रतिस्पर्धी वास्तविक मांगों और हितों के संतुलन के बारे में है और व्यावहारिक साझाकरण व्यवस्था के साथ है। आवंटन की मात्रा के संकीर्ण दृष्टिकोण से अदालत के फैसले को देखने के बजाय, पार्टियों को यह निष्पक्ष और न्यायिक प्रक्रिया के परिणति के रूप में देखना चाहिए।

आदेश के सुचारू कार्यान्वयन के लिए उन्हें आगे कोई बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहिए और अगले 15 सालों तक इसके लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि प्रकृति के कारण उपहार और आपदाओं दोनों को साझा किया जा सके।

''इंडियन एक्सप्रेस''
(नो लाइन्स इन वाटर)

''कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नदी जल के साझाकरण के लिए एक बेसिन-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है।''

शुक्रवार को कावेरी जल विवाद पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि 'किसी अंतरराज्यीय नदी के पानी पर किसी एक राज्य का अधिकार संभव नहीं हो सकता।'

कोर्ट ने 2007 के कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल (सीडब्ल्यूडीटी) के फैसले को संशोधित किया, जिसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच 120 साल पुराने विवाद पर फैसला करने के लिए गठन किया गया था। यहाँ इस फैसले में अपस्ट्रीम कर्नाटक का हिस्सा प्रति वर्ष 14.75 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसीएफ) बढ़ा दिया गया है।

यह वृद्धि तमिलनाडु के खर्च पर होगा, जिसके बाद राजनीतिक दलों ने इस फैसले को निरस्त करने की मांग की है। जबकि चुनाव के कारण कर्नाटक सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है।

हालांकि, दोनों राज्यों में सरकारों और राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय संदेश पर अधिक ध्यान देना चाहिए, अर्थात 'कोई भी राज्य इस तरह के पानी के अनन्य स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे अन्य राज्य अपने हिस्से से वंचित हो जाते है।' अधिक प्रमुख न्यायालय का निर्देश है कि एक नदी बेसिन का गठन करने वाले राज्य 'इसके पानी को एक स्थायी तरीके से' उपयोग कर सकते हैं।

कावेरी विवाद की जड़ें तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक ऐतिहासिक असंतुलन से जुड़ी हुई है। 1892 में नदी के पानी से लगभग 16 लाख एकड़ जमीन सिंचाई के तहत थी, जब ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपने हितसाधन हेतु 1924 में मैसूर राजा को बाध्य कर मद्रास प्रेसीडेंसी को कावेरी जल के अधिकतम उपयोग हेतु एक संधि की थी।

संधि की अवधि (50 वर्ष) समाप्त होने के बाद आजाद भारत में कर्नाटक (पूर्व का मैसूर राज्य) ने तमिलनानाडु (मद्रास प्रेसिडेंसी) के साथ अंग्रेजों के समय हुआ कावेरी जल समझौता 1973 में रद्द कर दिया और कावेरी जल विवाद की शुरुआत हो गई।

इसके विपरीत, जब 1992 के दशक में बाँध निर्माण प्रयासों की शुरुआत हुई थी, तब कर्नाटक में कावेरी द्वारा 5 लाख से कम एकड़ सिंचित किया जाता था।

केंद्र लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खुद से दूर रखने की कोशिश करता आया है। इस फैसले को आने में छह साल लग गए और अंतिम सुनवाई में भी यह तर्क दिया गया था कि कार्यान्वयन के लिए एक योजना तैयार करने के लिए यह बाध्य नहीं था।

इस तर्क को यथार्थ रूप से खारिज कर दिया गया था। इस योजना के तहत इसे अदालत के निर्देशों का पालन करना चाहिए और कावेरी प्रबंधन बोर्ड और जल विनियमन समिति की स्थापना करनी चाहिए।

यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि राज्यों और केंद्र इस फैसले को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक हैं और अपनी अंतिम मान्यता स्वीकार करने से इनकार करते हैं।

जटिल और भावनात्मक अंतर-राज्य के विवादों का निर्णय करने के लिए देश में पर्याप्त न्यायिक ज्ञान है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस निर्णय को अपनाने के लिए पर्याप्त सद्भावनापूर्ण और सहकारी पक्ष यहाँ मौजूद हैं।

आजादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह असंतुलन एक भावनात्मक मुद्दा बन गया। 1960 के दशक के दौरान, तमिलनाडु ने कावेरी पर कर्नाटक द्वारा बनाये जा रहे बांधों पर आपत्ति जताई थी।

1974 में, कर्नाटक ने इस बात पर जोर दिया कि नदी-बंटवारे पर औपनिवेशिक युग के समझौते इसके खिलाफ थे। तमिलनाडु ने प्रस्तावित पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं करने का तर्क दिया क्योंकि इससे किसानों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इसके बाद वर्ष 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने सीडब्लूडीटी का गठन किया, जिसे फैसले लेने में पूरे 17 साल लग गए। तमिलनाडु में 419 टीएमसीएफ और कर्नाटक से 270 टीएमसीएफ को आवंटित करने वाले फैसले को दोनों राज्यों ने चुनौती दी थी।

शुक्रवार के फैसला जल आवंटन को संचालित करने के लिए कावेरी जल बोर्ड की व्यवस्था करता है। लेकिन सीडब्लूडीटी द्वारा गठित एक समान बोर्ड कम वर्षा वाले वर्षों में अप्रभावी ही रहा है। सामान्य मानसून वर्ष में, कावेरी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम राज्यों की दोनों जरूरतों का ख्याल रखता है।

लेकिन वर्ष 2016 में एक सूखा वर्ष के दौरान दोनों राज्यों के बीच अविश्वास बढ़ गया। बेसिन केंद्रित दृष्टिकोण के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे समय में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए, शुक्रवार के फैसले को सामूहिक समाधान के लिए एक निर्देश के रूप में देखा जाना चाहिए जैसे जलाशय भंडारण पर डेटा साझा करना। यह दोनों राज्यों को उनके संकीर्ण दृष्टिकोण से ऊपर उठ कर सोचने के लिए प्रेरित करता है।

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि नदी पर किसी एक राज्य का अधिकार संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पानी राष्ट्रीय संपत्ति है। फैसले के मुताबिक कावेरी नदी से तमिलनाडु को मिलने वाले पानी में कटौती की है। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह अपने अंतरराज्यीय बिलीगुंडलु बांध से कावेरी नदी का 177.25 टीएमसीएफटी जल तमिलनाडु के लिए छोड़े।
- फैसले में यह स्पष्ट किया गया कि कर्नाटक को अब प्रति वर्ष 14.75 टीएमसीएफटी जल अधिक मिलेगा, जबकि तमिलनाडु को 404.25 टीएमसीएफटी जल मिलेगा जो न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2007 में निर्धारित जल से 14.75 टीएमसीएफटी कम होगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शामिल कुछ तथ्य?

- कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2007 में किए गए आवंटन के अनुसार कर्नाटक को 270 टीएमसीएफटी जल आवंटित किया गया था। वह अब बढ़कर 284.75 टीएमसीएफटी हो जाएगा।
- प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने यह बहुप्रतीक्षित आदेश सुनाया। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ने न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2007 में किए गए आवंटन के खिलाफ याचिका दायर की थी।
- पीठ ने इस याचिका पर अपना फैसला पिछले साल 20 सितंबर को सुरक्षित रखा था।
- प्रधान न्यायाधीश ने फैसले का मुख्य भाग सुनाते हुए कहा कि वर्ष 2007 में न्यायाधिकरण द्वारा केरल के लिए निर्धारित किए गए 30 टीएमसीएफटी और पुडुचेरी के लिए निर्धारित सात टीएमसीएफटी जल में कोई बदलाव नहीं होगा।
- शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु को कावेरी बेसिन के नीचे कुल 20 टीएमसीएफटी जल में से अतिरिक्त 10 टीएमसीएफटी भूजल निकालने की अनुमति भी दी।
- न्यायालय ने कहा कि बेंगलुरु के निवासियों की 4.75 टीएमसीएफटी पेयजल एवं 10 टीएमसीएफटी भूजल आवश्यकताओं के आधार पर कर्नाटक के लिए कावेरी जल का 14.75 टीएमसीएफटी आवंटन बढ़ाया गया।
- कोर्ट ने कहा कि पेयजल को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। कावेरी जल आवंटन पर उसका फैसला आगामी 15 वर्षों तक लागू रहेगा।

क्या है कावेरी नदी जल विवाद?

- कावेरी एक अंतर्राज्यीय नदी है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी इस नदी के बेसिन में आते हैं। इन्हीं चारों राज्यों के बीच एवं विशेष रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इस नदी के जल के बँटवारे को लेकर विवाद चला आ रहा है।
- इस ऐतिहासिक विवाद के समाधान के लिये 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज्य के बीच एक समझौता हुआ था।
- उसके बाद भारत सरकार द्वारा 1972 में बनाई गई एक कमेटी की रिपोर्ट और विशेषज्ञों की सिफारिशों के बाद अगस्त 1976 में कावेरी जल विवाद के सभी चारों दावेदारों के बीच एक समझौता हुआ था।

- इस बीच जुलाई 1986 में तमिलनाडु ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत इस मामले को सुलझाने के लिये आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार से एक न्यायाधिकरण के गठन किये जाने का निवेदन किया।
- केंद्र सरकार ने 2 जून, 1990 को कावेरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। वर्ष 1991 में इसने एक अंतरिम फैसला दिया था। वर्ष 2007 में इसने अंतिम फैसला दिया। परन्तु कोई भी पक्ष इसके फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ। तब से अब तक इस विवाद को सुलझाने की कोशिश चल रही है।
- भारत में नदी जल विवाद एक गंभीर विषय है। लगभग इसी तरह की समस्या कुछ अन्य नदियों के जल के बँटवारे को लेकर भी है। प्रत्येक राज्य इसी देश का हिस्सा है और राज्यों के बीच इस तरह का विवाद किसी के हित में नहीं है।

देश के महत्त्वपूर्ण नदी जल विवाद

1. नर्मदा नदी जल विवाद - गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान
2. माही नदी जल विवाद- गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश
3. गोदावरी नदी जल विवाद- आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश
4. यमुना नदी जल विवाद- उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली
5. सतलज यमुना लिंक नहर विवाद - पंजाब, हरियाणा और राजस्थान
6. रावी और ब्यास नदी जल विवाद- पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली
7. कावेरी नदी जल विवाद- तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुद्दुचेरी
8. कृष्णा नदी जल विवाद- महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश
9. कर्मनाशा नदी जल विवाद- उत्तर प्रदेश और बिहार
10. बराक नदी जल विवाद- असम और मणिपुर
11. अलियार और भिवानी नदी जल विवाद- तमिलनाडु और केरल
12. तुंगभद्रा नदी जल विवाद- आंध्र प्रदेश और कर्नाटक

नदी जल विवाद से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

- अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान है।
- अनुच्छेद 262(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में न्यायिक पुनार्विलोकन और सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है।
- अनुच्छेद 262 संविधान के भाग-11 का हिस्सा है जो केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रकाश डालता है।
- अनुच्छेद 262 के आलोक में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का आगमन हुआ।
- इस अधिनियम के तहत संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे हेतु अधिकरण बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बराबर महत्त्व रखता है।
- इस कानून में खामी यह थी कि अधिकरण के गठन और इसके फैसले देने में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
- सरकारिया आयोग(1983-88) की सिफरिशों के आधार पर 2002 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन कर अधिकरण के गठन में विलम्ब वाली समस्या को दूर कर दिया गया।

नदी जल विवाद से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत-

- हर्मन डॉक्ट्रिन या प्रादेशिक अखंडता का सिद्धांत (1896): इसमें ऊपरी तटीय देशों/राज्यों की नदी जल पर प्रादेशिक संप्रभुता होने की बात कही गई थी।
- संपूर्ण प्रादेशिक अखंडता का सिद्धांत (1941): यह सिद्धांत, नदी जल के प्राकृतिक बहाव को अवरुद्ध करने का विरोध करता है।
- न्यायसंगत विभाजन का सिद्धांत: इसमें जरूरत के मुताबिक नदी जल की प्राथमिकता तय करने की बात की गई है, उदहारण के लिये- भारत के सन्दर्भ में सिंधु, कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के जल का बँटवारा इसी आधार पर किया गया है।
- परमित क्षेत्रीय संप्रभुता का सिद्धांत(1997): इसमें माना गया है कि नदी जल बहाव वाले समस्त तटीय देशों/राज्यों का नदियों पर समान अधिकार है।

Committed To Excellence

संभावित प्रश्न

कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि "जल एक राष्ट्रीय संपत्ति है और नदी पर किसी एक राज्य का अधिकार संभव नहीं है।" उच्चतम न्यायालय के इस फैसले पर चर्चा करते हुए संबंधित राज्यों पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)

On the Cauvery Water dispute, the Supreme Court in its historic decision declared that, "Water is a national property and the authority of any one state on the river is not possible". Discuss the decision of the Supreme Court and clarify the effects on the respective states. (250 Words)

इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) से संबंधित है।

(19 फरवरी, 2018)

*''हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कोई भी अलग नीति नहीं लाएगी और ना ही उस कैटेगरी के लिए अलग से कोई नियम बनाएगी।'' इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''लाइव मिंट' एवं ''पायनियर'' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे "**GS World**" टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

''लाइव मिंट''
(भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य)

''एक विनिर्माण-केंद्रित ईवी नीति से ज्यादा, हमें पारिस्थितिकी तंत्र-स्तर की ईवी नीतियों के एक सेट की आवश्यकता है।''

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कोई भी अलग नीति नहीं लाएगी और ना ही उस कैटेगरी के लिए अलग से कोई नियम बनाएगी। नवीनतम रिपोर्टों का सुझाव है कि जनादेश या लक्ष्य के बजाय सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक सक्षम ढांचे पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी तरह से, आने वाले वर्षों में लाखों लोगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता घरेलू कंपनियों को सरकार की तरफ से उद्योग को दिए जा रहे समर्थन का फायदा उठाने की सलाह दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों को किफायती दाम में गुणवत्तापूर्ण वाहन निर्माण पर ध्यान देना चाहिए और सरकार की तरफ से मिल रहे समर्थन का भरपूर लाभ उठाना चाहिए।

हांलाकि, इस मामले में सबसे अधिक चिंताएं बैटरी की कीमतों और निर्माताओं की तत्परता से संबंधित हैं। इस पर ध्यान ना सिर्फ भारत के द्वारा दिया जाना चाहिए बल्कि वैश्विक ईवी प्रवृत्तियों को भी देना चाहिए।

क्या यह मांग पूरी हो सकेगी? यह पर्यावरण को कैसे मदद दे सकता है यदि सबसे अधिक उर्जा कोयले से प्राप्त होता है तब? यहाँ एक सरल जवाब यह है कि हम इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को चार्ज करने के लिए सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) का प्रयोग करेंगे। ईवी और पीवी का यह रिश्ता लोगों की सोच की तुलना में बहुत कठिन है, लेकिन ठोस कार्रवाई और नीतियां, जो बिजली के पारिस्थितिकी तंत्र और मूल्य निर्धारण करेंगे, ईवी को सस्ता बना सकती हैं।

क्या सौर ऊर्जा व्यावहारिक विकल्प है?

नवीकरणीय ऊर्जा (आरई), मुख्य रूप से पवन और सौर, आज तैनात के रूप में अनिरंतर और अवसरवादी है। सोलर पावर के सन्दर्भ में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह एक समय (दोपहर के आसपास) सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है तो दूसरी तरफ

''पायनियर''
(क्या भारत को कम-उत्सर्जन नीति की आवश्यकता है?)

''नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कोई भी अलग नीति नहीं लाएगी और ना ही उस कैटेगरी के लिए अलग से कोई नियम बनाएगी। हांलाकि, यहाँ ऑटोमोबाइल उद्योग उत्साहित दिख रहा है, लेकिन क्या यह एक कदम आगे बढ़ने वाला कदम है या दो कदम पीछे जाने वाला कदम है?''

भारत को अगले दो दशकों में शून्य-उत्सर्जन वाले वाहनों के लिए आगे बढ़ना होगा। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया के बाकी हिस्सों में ऐसा हो रहा है या सर्दियों में उत्तर भारतीय शहरें गंभीर प्रदूषण से जूझ रहे हैं या भारत के तटवर्ती और नदी के किनारे बसे समुदाय लगभग निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते समुद्र के स्तर और खराब मौसम का शिकार हो रहे हैं, बल्कि यह इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के पास कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है।

कोई भी भय के साथ नहीं रहना चाहता है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि एक राष्ट्र के साथ हमारा भविष्य इस पर निर्भर करता है। यही कारण है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा दिया गया यह तर्क कि भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन की नीति की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा अजीब लगता है।

देखा जाये तो ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कुछ महीने पहले, भारत के ऑटोमोटिव लॉबी निकाय के एक सम्मेलन में, वाहनों के विद्युतीकरण के लिए स्थानांतरण शुरू नहीं करने वाले 'बुलडोजर' निर्माताओं को कड़े शब्दों में निंदा की थी और अपना उद्देश्य बताया था कि वर्ष 2030 तक सभी नई कारों की बिक्री इलेक्ट्रिक कार होगी।

इसने नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट द्वारा की गई एक रिपोर्ट का पालन किया जिसने तर्क दिया कि भारत कम तेल और गैस के आयात से बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा को नहीं बचाएगा, बल्कि इससे देश को प्रौद्योगिकियों को नया आयाम मिलेगा।

यद्यपि गडकरी की टिप्पणियों के बाद, भारतीय मोटर वाहन उद्योग जाग उठा था, हालांकि इसे पूरी तरह से वाल्ट-चेहरे के रूप में परिभाषित करना अनुचित होगा। हाल ही में संपन्न ऑटो एक्सपो में, हर प्रमुख कार निर्माताओं ने अपनी विद्युत अवधारणाओं

रात के वक्त जीरो ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए, किसी EV में प्लगिंग करने या किसी लाइट बल्ब को स्विच करने का मतलब यह है कि नवीकरणीय ऊर्जा अलग-अलग समय पर ऊर्जा के कुछ अंश का योगदान दे सकता है।

कोई ग्रिड-आधारित उपभोक्ता आसानी से यह नहीं बता सकता कि उनके द्वारा की जा रही खपत किस विशेष स्रोत से है, यह सभी मिश्रित होते हैं। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा से औसतन 6.6% प्राप्त होता है। जैसे जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में वृद्धि होती जाएगी, वर्ष 2022 तक सरकार के 175 गीगावाट (जीडब्ल्यू) के बराबर महत्वाकांक्षी लक्ष्य के माध्यम से इसका हिस्सा लगभग 20% हो जायेगा। एक विनिर्माण-केंद्रित ईवी नीति से ज्यादा, हमें पारिस्थितिकी तंत्र-स्तर EV नीतियों का एक सेट की आवश्यकता है।

सरकार की वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने की यह नीति निश्चित ही सराहनीय है, हालाँकि इसके क्रियान्वयन को लेकर कई तमाम समस्याएँ मौजूद हैं। दरअसल, सवाल यह है कि भारतीय सड़कों पर अधिक स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहिये?

यदि ई-वाहन प्राकृतिक गैस एवं कोयले से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड को विस्थापित करेंगे न कि उसे खत्म कर सकेंगे। यानी ई-वाहनों का इस्तेमाल बढ़ने पर भी प्रदूषण बरकरार रहेगा। दरअसल होगा यह कि अब धुआँ कारों के साइलेंसर से न निकलकर ऊर्जा संयंत्रों की चिमनियों से निकलेगा।

* * *

लेकिन भारत में, हमारी अधिकांश बिजली कोयला-थर्मल ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न होती है। और भारतीय पावर सयंत्र ज्यादातर लिग्नाइट सल्फर और अन्य प्रदूषकों को उत्सर्जित करते हैं, जिससे सीधे तौर पर कार्बन भारी मात्रा में वातावरण में जाते हैं।

देखा जाये तो कुछ छोटे यूरोपीय राष्ट्र पवन ऊर्जा से बहुत अधिक बिजली पैदा कर रहे हैं और सौर प्रौद्योगिकी में भी सुधार कर रहे हैं। लेकिन भारत में इस तथ्य के बावजूद कि वह दोनों मोर्चों पर आगे हैं, बड़ी मात्रा में भूमि और नई सुविधाओं के लिए आवश्यक पूंजीगत व्यय उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन भारत ने सौर और हवा पर प्रति किलोवाट घंटे के उत्पादन लागत को काफी कम करने में कामयाबी हासिल की है। फिर भी, यदि प्रधानमंत्री की 'उदय योजना' आर्थिक रूप से वंचित घरों को बिजली प्रदान करने के लिए सफल रही है, तो अधिक तापीय जनरेटर को हटा कर नए तापीय संयंत्रों को उपयोग में लाना पड़ेगा।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) के एक अध्ययन में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वर्ष 2005 और 2016 के बीच भारत में सल्फर उत्सर्जन में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत में इलेक्ट्रिक कारों का मतलब है कि प्रदूषण शहर के केंद्रों से बिजली संयंत्रों के स्थानों पर स्थानांतरित हो जाएगा।

नई दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए, यह अपने आप में एक व्यवहार्य दीर्घकालिक समाधान नहीं है। भारत को बिजली उत्पादन के नए, नवीकरणीय स्रोतों को विकसित करने की आवश्यकता है। इससे पहले कि भारत में इलेक्ट्रिक कार की नीति है, उससे बिजली उत्पादन के आसपास आने वाली कई समस्याओं का जवाब देना होगा।

हालांकि भारत प्रौद्योगिकियों में बदलाव कर सकता है, लेकिन वह उस प्रमुख एकल मुद्दे का त्याग नहीं कर सकता है। निश्चित तौर पर भारत को कम-उत्सर्जन वाहन नीति की आवश्यकता है, जो कि जैव-गैस और बायो-डीजल जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से संबंधित मालूम पड़ता है। इस तरह के किसी भी परियोजना को बहुत पैमाने के साथ शुरू किया जाना चाहिए, यहां तक कि भारत में एक पायलट प्रोजेक्ट को भी पैमाने की आवश्यकता है, लेकिन इसी चीज की कमी भारत में है।

निश्चित तौर पर भारत को हाइब्रिड वाहनों पर पुनर्विचार करने की भी आवश्यकता है। वर्तमान में, हाइब्रिड कारों के कराधान के अविश्वसनीय स्तर का सामना करना पड़ता है। कारों में हाइब्रिड तकनीक, विशेष रूप से उन्नत हाइब्रिड तकनीक, जो भारत में होंडा एकॉर्ड पर उपलब्ध है, बड़े स्तर पर ईंधन अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकती है और भारत के ईंधन आयात बिल को भी कम कर सकती है, क्योंकि हाइब्रिड तकनीक मौजूदा और भविष्य की तकनीकों का एक जाल है।

मोटर वाहन के रूप में स्थापित किसी उत्पाद के लिए एकल पीढ़ी पर होने वाली पेट्रोल/डीजल/प्राकृतिक गैस बिजली से इस तरह के एक नाटकीय बदलाव की उम्मीद अनावश्यक है। देखा जाये तो मानवता बहुत तेजी से टचस्क्रीन मोबाइल फोन की तरफ बढ़ चुकी है, जबकि खुद मोबाइल फोन पूरी तरह से एक नई अवधारणाएं थीं और इससे पहले कई पीढ़ियों द्वारा इसका उपयोग नहीं किया गया था। इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर जाने के लिए आवश्यक मानसिक परिवर्तन की आवश्यकता है और ऐसा होना भी चाहिए।

को दिखाया और कुछ, जैसे जर्मन ब्रांड बीएमडब्ल्यू और साथ ही भारतीय मोटर वाहन प्रमुख महिंद्रा ने अपने उत्पादन के विद्युत वाहनों का प्रदर्शन किया था। महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक फॉर्मूला ई रेसर को दिखाया, जो वर्तमान में चैंपियनशिप का नेतृत्व कर रहा है। कार निर्माताओं ने महसूस किया है कि बिजली एक तरह से इस मामले में सबसे आगे है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को देखते हुए भारत इससे दूर नहीं जा सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका में, एलोन मस्क की टेस्ला कारों की अभूतपूर्व मांग ने और परिणामी उत्पादन समस्याओं से निपटने के लिए निर्माता को प्रेरित किया है।

लेकिन उत्पादन, संसाधनों और बुनियादी ढांचे के मामले में बिजली के वाहनों को स्थानांतरित करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसलिए, यह यथार्थवाद के इंजेक्शन के रूप में और अधिक देखा जा सकता है। मोटर वाहन उद्योग ने सरकार को आश्वस्त किया है कि इतनी नाटकीय बदलाव भारतीय उद्योग के लिए विनाशकारी होगा और 'बुलडोजिंग' विनिर्माण नौकरियों को समाप्त कर देगा। बेशक, भारत के लिए सबसे बड़ी एक चुनौती देश भर में ऑन-डिमांड बिजली की उपलब्धता है।

आजादी के 70 साल बाद, वहां अभी भी समुदायों के पास इसकी पहुँच सुनिश्चित नहीं हो पाई है, जबकि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में अर्ध-विश्वसनीय बिजली आपूर्ति है, जब तक कि देश भर में किसी विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति की गारंटी नहीं दी जाती है, तब तक कोई नीति सफल नहीं हो सकती। नॉर्वे में, इलेक्ट्रिक कार प्रदूषण को कम करती है, क्योंकि वह देश कई जलविद्युत नदियों के लिए पनबिजली संयंत्रों से अपनी ऊर्जा का अधिकांश उत्पादन करता है।

* * *

विद्युत चालित वाहन (EVs)

- विद्युत चालित वाहन (EVs) पर्यावरण अनुकूल होते हैं, ये पारंपरिक वाहनों की तुलना में सस्ते होते हैं एवं इनके रख-रखाव का खर्च भी अपेक्षाकृत कम होता है। इनके प्रयोग से तेल आयात बिल को कम किया जा सकता है एवं देश में ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए सरकार ने विद्युत चालित वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने का निश्चय किया है।

सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक उठाए गए कदम

- सरकार ने 'नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, 2020 (NEMMP)' नामक एक महत्त्वपूर्ण एवं महत्त्वाकांक्षी पहल प्रारंभ की जिसके तहत वर्ष 2020 से प्रतिवर्ष 6-7 मिलियन हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत इन वाहनों की मांग एवं आपूर्ति दोनों बढ़ाने की योजना है। सरकार का उद्देश्य इस नवजात तंत्र को आरंभ करने के लिये वित्तीय और मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- सरकार ने FAME [Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicles, योजना शुरू की जो हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और उनके बाजार निर्माण में सहायता प्रदान करेगी। इस योजना में 4 क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है- प्रौद्योगिकी विकास, मांग सृजन, पायलट प्रोजेक्ट एवं चार्जिंग अवसंरचना का विकास। इस योजना का उद्देश्य दो पहिया, तिपहिया, यात्री वाहनों एवं हल्के वाणिज्यिक वाहनों एवं बसों सभी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों को प्रोत्साहन देना है।
- इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (R & D) को बढ़वा देने के लिये फरवरी, 2016 में भारी उद्योग विभाग एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने संयुक्त रूप से एक तकनीकी प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये विशेष छूट जैसे कर छूट, शीघ्र पर्यावरणीय मंजूरी, सब्सिडी प्रदान करना आदि के माध्यम से प्रोत्साहन देकर इन वाहनों की आपूर्ति को बढ़ाया जा सकता है।
- उपभोक्ता सब्सिडी प्रदान कर, सड़क कर एवं पंजीकरण शुल्क छूट में छूट देकर, निःशुल्क पार्किंग व्यवस्था आदि के माध्यम से इन वाहनों की मांग को बढ़ाया जा सकता है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये आधारभूत ढाँचा बढ़ाना चाहिये जिनमें सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों, इन स्टेशनों के लिये समर्पित विद्युत आपूर्ति लाइनों एवं बेटरी बदलने के लिये स्टेशनों की व्यवस्था हो।
- इसके अलावा, इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रयोगशालाएँ स्थापित करने वाली निजी संस्थाओं को टैक्स क्रेडिट प्रदान करना चाहिये।

आर्थिक असर

- यातायात की लागत में कमी आने से जीडीपी पर इसका व्यापक असर पड़ेगा।
- आर्थिक लागत ज्यादा होने के कारण दुनियाभर में आगामी एक दशकों में 10 करोड़ से ज्यादा मौजूदा वाहनों की उपयोगिता खत्म हो जायेगी।
- तेल की मांग वर्ष 2020 में 100 मिलियन बैरल प्रति दिन होगी, जो अपने उच्चतम स्तर पर होगी, लेकिन वर्ष 2030 में यह 70 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर आ जायेगी। तेल उद्योग पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा, जिससे अनेक देशों की समूची अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने का जोखिम है।
- वर्ष 2021 से ही इस बदलाव को तेल उद्योग में महसूस किया जा सकेगा।

सामाजिक असर

- यातायात की लागत कम होने से जाहिर तौर पर गंतव्य तक लोगों के पहुंचने, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर व्यापक असर पड़ेगा। सुरक्षित यात्रा होने का व्यापक सामाजिक असर देखने में आयेगा। पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में एक तरीके का विलय देखने का मिलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्राधिकरणों की भूमिका में बदलाव आयेगा और लोगों को बहुत ही कम खर्च में कार्यालय तक पहुंचाने में ये सक्षम हो पायेंगे।

कार्बन-मुक्त सड़कें

- ट्रांसपोर्ट सेक्टर से बड़े पैमाने पर पैदा हो रहे प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों को कम करने में मदद मिलेगी। इससे परिवहन के साधनों से पैदा होने वाले उत्सर्जन में 90 फीसदी तक की कमी आयेगी। उम्मीद की जा सकती है कि वर्ष 2030 तक कार्बन-मुक्त सड़क परिवहन प्रणाली मुहैया करायी जा सकती है।

* * *

संभावित प्रश्न

विद्युत चालित वाहन (EVs) के फायदों को देखते हुए वर्तमान भारत सरकार इन वाहनों को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिये एवं बताएँ कि इन वाहनों को बढ़ावा देने के लिये और क्या-क्या प्रयास किये जाने चाहिये? (250 शब्द)

In view of the benefits of electric vehicles (EVs), the present Government of India is planning to promote these vehicles. Describe the steps taken by the government in this direction so far and tell them what other efforts should be made to promote these vehicles. (250 words)

भारतीय वनों को बचाने का सही तरीका

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

(20 फरवरी, 2018)

''लाइव मिंट''

(लेखक - तुषार दास (राष्ट्रव्यापी समुदाय वन अधिकारों के सदस्य)

''एक नए समुदाय वाले दृष्टिकोण के नेतृत्व की आवश्यकता है क्योंकि मौजूदा प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम नौकरशाही को लोकतांत्रिक भूमि और वन शासन को नष्ट करने में सक्षम बनाता है।''

प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम (CAF Act), 2016 ने प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) की मानव और पर्यावरणीय लागत के बारे में गंभीर चिंताओं को उठाया है। कई ऐसे सबूत है जो यह दर्शाते हैं कि प्रतिपूरक वनीकरण द्वारा किये गये वृक्षारोपण प्राकृतिक जंगलों को नष्ट करते हैं, जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं, स्थानीय समुदायों के अधिकारों एवं पोषण को कमजोर करते हैं और सार्वजनिक धन के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करते हैं।

प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के पारित होने के डेढ़ साल बाद, केंद्र ने अपने मसौदे नियमों को अधिसूचित कर दिया है कि कैसे कोई राज्य इसके तहत 50,000 करोड़ रूपये का उपयोग वनों के विकास और पुनर्निर्माण के लिए कर सकता हैं।

50,000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित करते हुए यह अधिनियम वन नौकरशाही को वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 और पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) द्वारा स्थापित वनों पर इनके नियंत्रण को कम करने और लोकतांत्रिक वन शासन को नष्ट करने में सक्षम बनाते हैं। ऐसे में मानव और पर्यावरणीय लागतों का बढ़ना तय हैं, जब तक कि सीए का यह मॉडल भंग नहीं हो जाता है।

वन अधिकार समूह समुदाय फारेस्ट राइट्स-लर्निंग एंड एडवोकेसी (सीएफआर-एलए) द्वारा ओड़िशा, झारखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 63 प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण स्थलों और 2,548 वृक्षारोपण के एक मैक्रो-विश्लेषण के केस अध्ययनों से पता चलता है कि इनमें से 60% मोनोकेल्चरल वाणिज्यिक बागान हैं, जिसे कभी-कभी 'जंगलों' के नाम पर स्थापित किया जाता हैं।

ये वृक्षारोपण वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के अंतर्गत आने वाले वन भूमि पर किया गया है और यहां तक कि ये प्राकृतिक जंगलों से भी अधिक घने है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि यहाँ समुदायों की सहमति नहीं मांगी गई, जो उनके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करता है और आजीविका संकट के लिए अग्रणी मालूम पड़ता है।

इसके अधिनियमन के दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने संसद को आश्वासन दिया था कि सीएएफ नियम एफआरए और ग्राम सभाओं की भूमिका के बारे में व्याप्त चिंताओं को दूर करेगा। हाल ही में मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ड्राफ्ट रूल्स आश्वासन से कोसों दूर मालूम पड़ता हैं और मौजूदा भूमि और वन अधिकारों के उल्लंघन के लिए समर्थन प्रदान करता हैं।

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, दोनों सदनों के संसद सदस्यों (सांसदों) ने एक स्वर में अधिकारों के उल्लंघन, सीए फंड का दुरुपयोग और नियमों की स्थिति पर सवाल उठाया था। सरकार अब एफआरए से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए अपने पहले आश्वासन पर गैर-प्रतिबद्ध है।

एक सवाल के जवाब में कि क्या वन भूमि पर लगाए गए बागान संबंधित ग्राम सभाओं की सहमति से किए गए थे? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के राज्य मंत्री ने कहा है कि सरकारी

वनों पर प्रतिपूरक वनीकरण, मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्य योजना कोड के अनुसार तैयार किए गए सरकारी वन के कार्य योजनाओं के नुस्खे के अनुसार किया जाता है। वन अधिकार अधिनियम के अनुसार जनजातीय लोगों और वनवासियों की चिंताओं को कार्य योजना के नुस्खे में शामिल किया गया है।

कम से कम आधे भूमि, जिसे 'सरकारी वनों' के रूप में दावा किया गया हैं, वे एफआरए के तहत समुदायों से संबंधित वन हैं। कार्य योजनाओं में ग्राम सभाओं की सहमति पाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि वन प्रबंधन के लिए वन विभाग के प्रस्तावों को निर्धारित किया गया।

इसके अलावा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) एक खोखले दावे करता है कि एफए द्वारा कवर किए गए जंगलों पर सीए ने अधिकार नहीं किया जा सकता।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट 2013 के बावजूद, वन विभाग (एफडी) द्वारा बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करने के बावजूद इस अधिनियम में निधियों के खर्च पर नजर रखने के लिए कोई तंत्र का निर्माण नहीं किया गया है।

संभवत:, इसने वित्त मंत्रालय को सार्वजनिक निधि के माध्यम से निधियों के प्रत्यक्ष वितरण के लिए प्रेरित किया है। वर्तमान गोदावरमन मामले में सीएएफ अधिनियम के अधिनियमन के बावजूद तदर्थ यंत्रणा के माध्यम से जारी वितरण पर सवाल उठाया है।

यहाँ प्रश्न यह है कि हितधारकों की विस्तृत श्रृंखला के बीच हम इस जटिल गतिरोध से कैसे आगे बढ़ते हैं? संसद को वन अधिकार समूहों द्वारा भेजे गए और सांसदों द्वारा अनुमोदित एक याचिका नए मार्ग प्रशस्त करता है।

यह सीए के शासन के लिए प्रमुख दृष्टिकोण के रूप में एफएआर के अनुसार लोकतांत्रिक वन शासन के ढांचे को अपनाने, सीएएफ अधिनियम को रद्द करने या संशोधन करने का प्रस्ताव है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि समुदाय ही शासन और जंगलों के संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यवाहक हैं।

वन सर्वेक्षण का कहना है कि जनजातीय जिलों में वन कवर, जो देश के कुल वन आच्छादन का 60% हिस्सा है, राष्ट्रीय प्रवृत्ति को बदलते हुए वर्ष 2001-03 में 3, 211 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की थी। ओडिशा में अकेले, 12,000 से अधिक स्वयं आरंभ किए गए वन सुरक्षा समूह (जिन्हें सीएफएम समूह के रूप में जाना जाता है) 2 मिलियन हेक्टेयर जंगल से अधिक कवर करते हैं।

ऐसे सामुदायिक-नेतृत्व वाली पहलों ने वनों और प्रजातियों के पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से टिकाऊ-उपयोग प्रथाओं, पुनर्जनन, शिकारियों और दंडियों को दंडित करके सफलतापूर्वक जंगलों को पुन: उत्पन्न किया है।

वर्तमान सीए दृष्टिकोण को दोबारा पहल करने और पारिस्थितिक पुनर्स्थापना के अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार को एफ़आरए को अनदेखा नहीं करना चाहिए।

चूंकि संसद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) ने कहा था कि खंड 3 (1)(घ) और धारा 5 पहले से ही ग्राम सभा में वनों के प्रशासन के प्राधिकरण और अधिकार को शामिल करता हैं। इसमें कम से कम 35 लाख हेक्टेयर शामिल हैं, जो भारत में दर्ज वनों में से 50% से अधिक है।

फिर भी, एफआरए की मूल क्षमता राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण दयनीय स्थिति में है, जिसके कारण केवल 3% दावों को औपचारिक मान्यता प्राप्त है और साथ ही यह ग्राम सभाओं के निर्णय लेने के अधिकार को सीमित करता है।

इसलिए ग्राम सभाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए और भूमि और वन अधिकारों को गारंटी प्रदान करते हुए सीएएफ अधिनियम को एफआरए और पेसा के साथ एकीकृत किये जाने की आवश्यकता है।

निश्चित रूप से राजनैतिक वर्ग को इस सन्दर्भ में अपनी रुचि दिखानी चाहिए और इस अन्यायपूर्ण और अप्रभावी कानून की समीक्षा करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए समुदाय-नेतृत्व वाली संरक्षण पहल को बढ़ावा देना चाहिए।

* * *

प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम (CAF Act), 2016

- इसमें केन्द्र के साथ-साथ प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश में भी उपयुक्त संस्थागत प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।
- इससे वन भूमि को गैर-वन प्रयोजन के रूप में उपयोग करने के बदले में प्राप्त होने वाली राशि का शीघ्र तथा पारदर्शी ढंग से उपयोग सुनिश्चित होगा।
- इससे इस तरह की वन भूमि में होने वाले बदलाव के प्रभाव को कम किया जा सकेगा।
- यहाँ इस तरह की धनराशि के उपयोग में सुरक्षा तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था की गई है।
- फिलहाल इस तरह की धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखा जा रहा है और इनका प्रबंधन एक तदर्थ निकाय द्वारा किया जा रहा है।
- इन राशियों को संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के ध्यानार्थ लाया जाएगा तथा इसे व्यापक लोकदृष्टि में भी लाया जायेगा।
- इसके लिए इन राशियों को ऐसे ब्याज युक्त कोषों में हस्तांतरित कर दिया जायेगा, जो कभी समाप्त नहीं होंगे।
- इनका सृजन भारत सरकार तथा प्रत्येक राज्य के लोक खातों के तहत किया जायेगा।
- प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक के तहत वनीकरण के लिए राज्यों को बड़ी निधि आवंटित करने का प्रावधान है।
- इस बारे में सभी नियम और कानून संविधान के दायरे में रहते हुए बनाए जाएंगे और इसके लिए पंचायती राज अधिनियम तथा वन अधिकार अधिनियम को भी पूरी तरह ध्यान में रखा जाएगा।
- इस अधिनियम के कारण वन भूमि के लिए रखे गए 42 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि को तीव्र एवं पारदर्शी ढंग से उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
- इस राशि से राज्यों में वनीकरण में तेजी आएगी। इस कानून से क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) के पास उपलब्ध राशि का इस्तेमाल सुनिश्चित हो सकेगा, जिसे खर्च नहीं किया जा सका है।

पृष्ठभूमि

- पर्यावरण के कानून पर बनी एक उच्च स्तरीय समिति ने पाया कि वर्ष 1951 से 2014 के बीच वन कवर की गुणवत्ता कम हुई है और इसकी वजहों में से एक है प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण की खराब गुणवत्ता।
- वर्ष 2013 में कैग की रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य के वन विभागों में प्रतिपूरक वनीकरण और वन संरक्षण के लिए नियोजन और कार्यान्वयन की क्षमता का अभाव है। राज्यों को दिए जाने वाले कोष को 10 फीसदी से बढ़ाकर 90 फीसदी करने के साथ इन कोषों का कुशल प्रयोग राज्य वन विभागों की क्षमता पर निर्भर करेगा।

पेसा अधिनियम

- संसद ने 5वीं अनुसूची में शामिल जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों पर पंचायतों से संबंधित उपबंधों का विस्तार करने के लिये 1996 में पंचायत के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के अंतर्गत निचले स्तर पर ग्राम सभा को सबसे मूल इकाई माना गया है और इसे लोगों की परंपराओं, रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान तथा समुदाय के संसाधनों की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें लघु वनोपज का स्वामित्व, गाँव-बाजारों का प्रबंधन, स्थानीय योजनाओं व संसाधनों पर नियंत्रण करने और स्थानीय विवादों को निपटाने की शक्ति ग्राम सभा को दी गई है।

अधिक प्रभावी बनाने के उपाय

- ग्राम सभा को केवल प्रशासनिक शक्तियाँ ही नहीं, बल्कि वित्तीय शक्तियाँ भी हस्तांतरित कर उन्हें सच में सशक्त बनाए जाने की जरूरत है।
- लोगों को इस अधिनियम और इसमें अंतर्विष्ट उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान की जानी चाहिये। इस संबंध में उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये।
- वन अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम आदि पेसा अधिनियम के संगत नहीं हैं। इनमें संशोधन की आवश्यकता है, ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को लघु वनोपजों, जल निकायों और भूमि संसाधनों का सही मायने में स्वामित्व प्रदान किया जा सके।
- एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि नागरिकों की आवश्यकता के अनुरूप इस अधिनियम को लागू किया जा सके।
- ग्राम सभा और पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
- अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के लिये पेसा के अंतर्गत विकास संबंधी योजनाएँ बनाते समय पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

* * *

संभावित प्रश्न

बढ़ता हुआ औद्योगीकरण एवं विकासात्मक गतिविधियों ने वनों की कटाई और वन्य भूमि के उपयोग को अन्य गैर वन्य कार्यों के प्रति प्रेरित किया है। प्रतिपूरक वनीकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम में व्याप्त कमियों के निदान पर विस्तार से चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Increasing industrialization and developmental activities have led to the use of deforestation and the use of forest land against other non-forest works. Explaining the meaning of compensatory afforestation, discuss the diagnosis of deficiencies in the compensatory afforestation fund Act in detail. (250 Words)

एक स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

21 फरवरी, 2018

''द हिन्दू''

(लेखक - आराध्या सेठिया (एलएलएम अभ्यर्थी, येल लॉ स्कूल)

''पार्टी निधिकरण और चुनाव अभियान में व्याप्त वित्त अस्पष्टता को दूर करने का कार्य अभी भी लंबित पड़ा हुआ है।''

राजनेताओं के हाथों में चुनावी सुधार का कार्य सौपना ठीक उसी समान है, जैसे कि एक लोमड़ी को मुर्गियों की रखवाली का काम सौपना। ऐसी कई नीतियां हैं जिस पर दोनों बड़े दल एक दूसरे से असहमत हैं, लेकिन वहीं जब बात चुनावी सुधारों की आती है तो उस समय वे उल्लेखनीय रूप से एक टीम बनकर साथ खड़े हो जाते हैं।

देखा जाये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले कुछ दशकों में चुनावी सुधारों को लागू करने के लिए तत्परता दिखाई है। हालांकि, इन हस्तक्षेपों में से ज्यादातर उम्मीदवारों पर ही निर्देशित होते हैं, पार्टियों पर शायद ही कभी इसे निर्देशित किया जाता है।

सूचना के प्रकटीकरण (लोक प्रहरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय भारतीय राजनीतिक दलों के वित्त पोषण व्यवस्था में भावी संवैधानिक हस्तक्षेप के लिए एक विकल्प प्रदान करता है जिसमें चुनावी बांड की योजना शामिल है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी आय के साथ ही साथ अपने परिजनों की आय का ब्योरा भी देना होगा। अभी तक उन्हें हलफनामे में सिर्फ अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा देना होता था।

जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस एसए अब्दुल नजीर की बेंच ने उत्तर प्रदेश के एनजीओ लोक प्रहरी की पिटीशन पर यह फैसला सुनाया। इससे यह भी पता लगेगा कि प्रत्याशियों की पत्नी और बच्चों की आय व संपत्ति कितनी है।

इससे पहले चुनाव आयोग ने भी अदालत से कहा था कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बदलाव करना जरूरी है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन कर यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि सरकार से आर्थिक अनुबंध पर जुड़े व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाये। इतना ही नहीं यदि चुनाव लड़ने वाले किसी प्रत्याशी के परिवार का कोई सदस्य इस प्रकार के अनुबंध में हो, तब भी उसके चुनाव लड़ने की दावेदारी को खारिज किया जाना चाहिए।

एक विस्तार

वर्ष 2002 में, सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (एडीआर) मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी, शैक्षिक योग्यता और व्यक्तिगत संपत्ति से संबंधित जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य है।

सोलह साल बाद, अदालत ने प्रत्याशियों को अपनी आय के साथ-साथ अपने परिजनों की आय का ब्योरा, और सरकारी अनुबंध, जहां उम्मीदवारों या उनके सहयोगियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, उसकी भी जानकारी प्रदान करना होगा।

अदालत के फैसले का सैद्धांतिक आधार यह है कि मतदाताओं को अपने उम्मीदवार के बारे में जानने का पूरा अधिकार है और यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार है; मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में उचित जानकारी के बिना वे मतदान के दौरान खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उनके पास 'विधानमंडल में अपने प्रतिनिधि का उचित विकल्प चुनने के लिए' प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का अवसर होना चाहिए।

लोक प्रहरी ने इस मामले में उम्मीदवारों के 'सहयोगियों' के बारे में जानकारी शामिल करते हुए एडीआर निर्णय को और विस्तृत कर दिया है; मतदाताओं के लिए प्रासंगिक जानकारी अब उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी तक सीमित नहीं है। अब यहाँ प्रश्न यह है कि यह निर्णय हमें पार्टी के वित्तपोषण के बारे में क्या बताता है?

अगर कोई जानकारी जिससे भारत के मतदाता सबसे ज्यादा वंचित है, तो वह है पार्टी के वित्त पोषण के बारे में। यद्यपि चुनावी बांड की योजना पर अधिक ध्यान दिया गया है, लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 सी(1)(ए) भी अस्पष्टता प्रदान करता है।

इस प्रावधान में राजनैतिक दलों को 20,000 रूपए के नीचे किसी भी योगदान के स्रोत का खुलासा नहीं करने की छूट है। इससे राजनैतिक दलों को छोटे धनराशि में योगदान को तोड़कर अपने धन स्रोतों को छिपाने के लिए एक सुविधाजनक बचाव का रास्ता मिल जाता है, यहां तक कि 19,999 रूपए की राशि को भी बताने की जरूरत नहीं होती है।

नतीजतन, राजनीतिक दलों को मिलने वाले दान का एक विशाल भंडार मतदाताओं के अज्ञात स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसकी जानकारी नहीं हैं। चुनावी बांड की नई योजना भी अस्पष्ट है और इस समस्या के निदान में कोई भूमिका नहीं निभाती है।

अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या किसी उम्मीदवार का चुनाव करने के लिए मतदाता को पार्टी के वित्त पोषण की जानकारी मिलना प्रासंगिक है?

बकले बनाम वालेओ मामले में वित्त पोषण स्रोतों के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं की संवैधानिकता को दर्शाते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 'एक उम्मीदवार के वित्तीय समर्थन के स्रोत की जानकारी मतदाताओं के हितों को सचेत करता है, जिसके लिए एक उम्मीदवार उत्तरदायी हो सकता है।' इसलिए, मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों के वित्तपोषण के स्रोतों को जानने का पूरा हक है।

भारत में राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चुनाव में कम से कम दो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अर्थात् उम्मीदवारों के लिए वित्तीय सहायता और अधिक महत्वपूर्ण बात, एजेंडे की स्थापना। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, जिसमें पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का आर्थिक रूप से समर्थन किया है।

प्रकटीकरण के लिए एक अन्य बिंदु

हालांकि, भले ही कोई यह मान ले कि पार्टियां अपने उम्मीदवारों को निधि प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी पार्टी निधि स्रोतों के खुलासे के लिए एक और तर्क मौजूद है। जब एजेंडा सेटिंग की बात आती है, तब भारत में राजनीतिक दलों के लिए यह एक विशेष मायने रखती है।

भारत में एक मजबूत दल-बदल विरोधी कानून के आधार पर सभी निर्वाचित विधायक अपनी पार्टी के एजेंडे से बंधे होते हैं। अगर कोई निर्वाचित विधायक दल की सीमा में रहने से मना करता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलहान बनाम जचिल्लहु और अन्य, मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, दल-बदल विरोधी कानून के संशोधन की पुष्टि करते हुए कहा था कि 'एक व्यक्ति जो एक राजनीतिक दल द्वारा स्थापित उम्मीदवार के रूप में चुने जाते हैं, वह उस राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम के आधार पर चुने जाते हैं।' पार्टियां एक उम्मीदवार के प्रतिनिधित्व के लिए दावा नहीं कर सकती हैं और साथ ही यह तर्क देती है कि पार्टी के वित्तपोषण के बारे में जानकारी मतदाताओं के लिए प्रासंगिक नहीं है।

नीति के मामले में, यह कोई तर्क दे सकता है कि सख्त पारदर्शिता मानदंड हमेशा वांछनीय नहीं हो सकते हैं। हालांकि, कानूनी सिद्धांत के मामले में, अदालत का लोक प्रहरी मामले में आया हालिया फैसला, हमारे संवैधानिक ढांचे के साथ मेल खाता है और पार्टी निधि में पारदर्शिता को हतोत्साहित करने वाले प्रावधानों के खिलाफ यह एक बड़ा झटका है। अगर अदालत के विधिशास्त्र को लगातार लागू किया जाता है, तो चुनावी बांड की योजना को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।

* * *

GS World टीम...

क्या है संविधान की दसवीं अनुसूची?

- भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे लोकप्रिय रूप से 'दल बदल विरोधी कानून' (Anti & Defection Law) कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है।
- यह 'दल-बदल क्या है' और दल-बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है।
- इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जन-प्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना है, ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे।

दसवीं अनुसूची की जरूरत क्यों?

- लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल सबसे अहम् हैं और वे सामूहिक आधार पर फैसले लेते हैं।
- लेकिन आजादी के कुछ वर्षों के बाद ही दलों को मिलने वाले सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी।
- विधायकों और सांसदों के जोड़-तोड़ से सरकारें बनने और गिरने लगीं। 1960-70 के दशक में 'आया राम गया राम' अवधारणा प्रचलित हो चली थी।
- जल्द ही दलों को मिले जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने तथा अयोग्य घोषित करने की जरूरत महसूस होने लगी।
- अत: वर्ष 1985 में संविधान संशोधन के जरिये दल-बदल विरोधी कानून लाया गया।

अयोग्य घोषित किये जाने के आधार

- दल-बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है:
  - यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है।
  - यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
  - यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है।
  - यदि कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है।
  - छह महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

दल-बदल अधिनियम के अपवाद

- यदि कोई व्यक्ति स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो वह अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है और जब वह पद छोड़ता है तो फिर से पार्टी में शामिल हो सकता है। इस तरह के मामले में उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
- यदि किसी पार्टी के एक-तिहाई विधायकों ने विलय के पक्ष में मतदान किया है तो उस पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय किया जा सकता है।

अपवादों का प्रभाव

- दल-बदल विरोधी कानून एक उचित सुधार था, लेकिन इसके अपवादों ने इस कानून की मारक क्षमता को कम कर दिया। जो दल-बदल पहले एकल होता था, अब सामूहिक तौर पर होने लगा।
- अत: वर्ष 2003 को संसद को 91वां संविधान संशोधन करना पड़ा, जिसमें व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि सामूहिक दल-बदल को भी असंवैधानिक करार दिया गया।

संविधान का 91वां संशोधन

- इस संशोधन के जरिये मंत्रिमंडल का आकार भी 15 फीसदी सीमित कर दिया गया। हालाँकि, किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।
- इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची की धारा 3 को खत्म कर दिया गया, जिसमें प्रावधान था कि एक-तिहाई सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते थे।

चुनावी बॉण्ड

- चुनावी बॉण्ड केवल अधिसूचित बैंकों द्वारा ही जारी किये जा सकेंगे।
- ये बॉण्ड कुछ विशिष्ट मूल्य वर्ग (Specified Denomination) में ही होंगे।
- बॉण्ड को किसी भी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल को ही दिया जा सकेगा जिसे वे अपने अकाउंट के माध्यम से मुद्रा में रूपांतरित कर पाएंगे।
- यह बॉण्ड मूलत: एक बीयरर बॉण्ड (Bearer Bond) के रूप में होगा।
- यह एक ऋण सुरक्षा है। चुनावी बॉन्ड का जिक्र सर्वप्रथम वर्ष 2017 के आम बजट में किया गया था।
- दरअसल, यह कहा गया था कि आरबीआई एक प्रकार का बॉन्ड जारी करेगा और जो भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टियों को दान देना चाहता है, वह पहले बैंक से बॉन्ड खरीदेगा फिर वह जिस भी राजनैतिक दल को दान देना चाहता है, दान के रूप में बॉन्ड दे सकता है।
- राजनैतिक दल इन चुनावी बॉन्ड की बिक्री अधिकृत बैंक को करेंगे और वैधता अवधि के दौरान राजनैतिक दलों के बैंक खातों में बॉन्ड के खरीद के अनुपात में राशि जमा करा दी जाएगी।
- गौरतलब है कि चुनाव बॉन्ड एक प्रामिसरी नोट की तरह होगा, जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि चुनाव बॉन्ड को चेक या ई-भुगतान के जरिये ही खरीदा जा सकता है।

संबंधित चिंताएँ

- कालेधन और भ्रष्टाचार की जड़ समझे जाने वाले राजनीतिक दलों के चंदे में नकदी की सीमा 20 हजार से घटाकर दो हजार करना व चुनाव बांड जारी करना निश्चित रूप से एक महत्त्वपूर्ण सुधार है, लेकिन इससे कुछ चिंताएँ भी जुड़ी हुई हैं। सरकार की योजना ये है कि जो भी व्यक्ति किसी पार्टी को वैध तरीके से अर्जित पैसा देना चाहे वो बैंक जाकर उतनी रकम का चुनावी बांड खरीद लेगा। दरअसल, होगा यह कि-

1) इस चुनावी बांड पर न खरीदने वाले का नाम होगा, न ही उस दल का जिसे बांड दिया जाएगा।
2) राजनैतिक दलों को यह नहीं बताना पड़ेगा कि उन्हें किस व्यक्ति और कंपनी से दान मिला है।
3) राजनैतिक दलों को ये भी नहीं बताना पड़ेगा कि उसे कुल कितनी रकम के बांड मिले हैं।

- सरकार इन संशोधनों के माध्यम से चुनाव में पारदर्शिता लाने की बात कर रही है, लेकिन बॉण्ड से चंदा दिये जाने के कारण काले धन के प्रयोग को और अधिक बल मिल सकता है, जिससे स्पष्ट तौर पर पारदर्शिता बाधित होगी।

चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए अन्य उपाय?

- राजनीतिक दलों के लिये नकद योगदान पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिये। गौरतलब है कि नकद रूप में 2000 रुपए से कम चंदा स्वीकार करना अभी भी कानूनी है। अत: नकदी की व्यवस्था खत्म कर देने से न केवल 2,000 रुपए की नकदी सीमा के दुरुपयोग को रोकने में सहायता मिलेगी, बल्कि इससे डिजिटल इंडिया के प्रचलन को भी धक्का नहीं लगेगा।
- पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति ने सुझाव दिया है कि चुनाव आयोग को बॉण्ड जारी करने की बजाय अवैध धन के उपयोग की रोकथाम के लिये एक राष्ट्रीय चुनाव निधि स्थापित करने पर विचार करना चाहिये। इस निधि को दान करने वाले सभी कॉर्पोरेट को 100% कर छूट मिल सकती है। 1998 में इंद्रजीत गुप्त समिति के द्वारा भी कुछ इसी प्रकार का सुझाव दिया गया था जिसमें सबके लिये राज्य के द्वारा ही वित्त पोषण करने का प्रस्ताव दिया गया था।
- सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक अधिकारियों के रूप में सभी राजनीतिक दलों को लाना, जिससे चुनाव वित्तपोषण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

* * *

Committed To Ex

संभावित प्रश्न

चुनावी वित्तीयन का विषय सिर्फ चुनावों के संदर्भ में ही नहीं बल्कि समूची प्रजातांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारण करने वाला विषय है। इस कथन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करते हुए निर्वाचन प्रणाली में पारदर्शिता लाने के संदर्भ में इलेक्टोरल बांड की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

The subject of electoral financing is not only relevant in the context of elections but also is a subject determining the nature of the whole democratic system. Considering the Supreme Court's decision in relation to this statement, critically analyze the relevance of the electoral bond in relation to bringing transparency in the electoral system. (250 words)

द गेम ऑफ चिकेन इन द अरेबीयन सी

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

22 फरवरी, 2018

''लाइव मिंट''

{लेखक- अभिजीत सिंह और अभिजन नेज (वरिष्ठ सदस्य, ऑब्जर्वर रिसर्च फांउडेशन, नई दिल्ली)}

''ऑपरेशन कैक्टस रेडक्स को रोकने के लिए, बीजिंग को भारत को संकेत देना होगा कि वह भारतीय सेना को मालदीव से बाहर कर सकने में सक्षम है।''

मालदीव में चल रहे संकट ने पिछले हफ्ते एक गंभीर आयाम हासिल कर लिया है। इस समय, कई रिपोर्टें उभरकर सामने आई हैं, जो यह सुझाव देती हैं कि चीन सीधे तौर पर अब्दुल्ला यमीन द्वारा छोटे द्वीप वाले देश में आपातकाल के निर्णय के विस्तार करने का समर्थन कर रहा है। इन रिपोर्टों से पता चलता है कि चीन ने यमन को समर्थन देने का वादा किया है, जहाँ भारत जबरन वर्त्तमान राजनीतिक स्थिति को बदलना चाहता है।

कई आउटलेट ने इस महीने के शुरू में पूर्वी हिंद महासागर में चीनी नौसैनिक गतिविधि की सूचना दी थी, जाहिर तौर पर यह भारत के लिए एक संकेत था कि मालदीव में जारी असंतुलन में पीपुल्स रिपब्लिक एक उदासीन दर्शक के तौर पर नहीं रहेगा। निश्चितरूप से यह एक ऐसी घटनाक्रम हैं जो भारत-चीन संबंधों के लिए चिंताजनक और गंभीर है।

इसे कई तथ्य के साथ समझा जा सकता है। इस महीने की शुरुआत में, तीन जहाजों की एक चीनी नौसैनिक सतह कार्रवाई समूह (एसएजी) ने पूर्वी हिंद महासागर में सुन्डा स्ट्रेट्स (दक्षिण एशियाई तटों से हजारों समुद्री मील दूर) के माध्यम से प्रवेश किया और अपनी उपस्थिति से अवगत कराया।

इनमें से एक जहाज एक प्रकार का 071 परिवहन जहाज था, जिसका उपयोग दोहरे गतिवाले हमले के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता था, उदाहरण के लिए मालदीव में एक भारतीय सैन्य हस्तक्षेप की स्थिति में चीनी मरीन की आवश्यकता होगी।

पिछली बार 2014 की शुरुआत में इस युजो-क्लास जहाज ने हिंद महासागर के जल में अपनी मौजूदगी से अवगत कराया था और अब फिर से यह सुन्डा स्ट्रेट्स के माध्यम से समुद्र में प्रवेश कर रहा है। वर्ष 2014 के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) के अभ्यास ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दिया था, जिसमें एक अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट के साथ कहा गया था कि एसएजी केवल भारत को चीन की ताकत से अवगत कराना चाहता था।

यहाँ प्रश्न इस समय एसएजी के उपस्थिति के इरादे के सन्दर्भ में है। अर्थात क्या यह केवल पूर्व-नियोजित अभ्यास था, जैसा कि कुछ ने सुझाव दिया है? या यह मालदीव में चल रहे संकट से संबंधित है? हालांकि इस प्रश्न का उत्तर देने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, कई तथ्यों को देखने के बाद यह लगता है कि यह वाकई उत्तरार्द्ध है।

देखा जाये तो, मालदीव में जारी राजनीतिक संकट पर चीन ने एक बार फिर चेतावनी दी है। उसने कहा है कि वहां किसी बाहरी देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसके मुताबिक यह मालदीव का आंतरिक मसला है, इसलिए वहां के संबंधित पक्षों को ही आपस में बातचीत करके उसे सुलझाने देना चाहिए।

चीन के नई दिल्ली स्थित दूतावास ने इस बारे में एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है, 'हमें मालदीव की सरकार और वहां के लोगों की काबिलियत और बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है कि वे इस समस्या का समाधान कर लेंगे और देश में एक बार फिर कानून का शासन लागू होगा।'

चीन की तरफ से दिए इस बयान को मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के बयान की प्रतिक्रिया के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीते हफ्ते नशीद ने आरोप लगाया था कि निवेश की आड़ में चीन ने मालदीव के 17 द्वीपों पर अपना कब्जा जमा लिया है। उन्होंने भारत से मालदीव संकट में दखल देने और मदद करने का आग्रह भी किया था।

मालदीव में आपातकाल को लागू करने के यमीन का फैसला उनकी इस धारणा से संबंधित हो सकती है कि वर्तमान में परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं थे और मोहम्मद नशीद के नेतृत्व वाला विपक्ष (जिसे भारत का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि यामिन ने कुछ महीने पहले संसद के माध्यम से चीन-मालदीव के मुक्त व्यापार समझौते के साथ समझौता कर भारत संग संबंध खराब कर लिए थे) उन्हें संभावित रूप से निष्कासित करता।

इसलिए इसकी भी संभावना बढ़ गयी है कि मालदीव भविष्य में इस मामले में बीजिंग से कार्रवाई या मदद की भी मांग कर सकता है। ऑपरेशन कैक्टस रेडक्स को रोकने के लिए, बीजिंग को भारत को संकेत देना होगा कि वह भारतीय सेना को मालदीव से बाहर कर सकने में सक्षम है।

हांलाकि, यह भी हो सकता है कि इस महीने की शुरुआत में एसएजी परिनियोजन एक सौम्य अभ्यास होगा, समुद्री क्षेत्र में कब्जा नहीं, क्योंकि जब तक भारत इस क्षेत्र में किसी भी संभावित गतिविधि को अंजाम नही देता है, तब तक बीजिंग डोकलाम मामले के विरोध के बाद कोई पहल नहीं करेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का चीन के प्रति तेजी से बदलता रुख, नई अमेरिकी सैन्य रणनीति जो चीन को एक सैन्य खतरे के रूप में स्पष्ट रूप से वर्णित करता है और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को बेचने के लिए महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच, इस बात का संकेत है कि बीजिंग अपनी सैन्य ताकत की आजमाइश तभी करेगा, जब इसके तत्काल हितों को सीधे रूप से धमकी दी जाएगी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यमीन के मालदीव के मामले में, चीन द्वारा ऐसा करना उचित था।

नई दिल्ली को अरब सागर में एक मजबूत उपस्थिति को जारी रखना होगा, बीजिंग को यह बताने के लिए कि उसके द्वारा किया गया अभ्यास भारत को अपने समुद्री पड़ोस में अपनी प्राथमिकता को कम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। भारतीय नौसेना को दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की अनुमति भी दी जानी चाहिए, जिसे लंबे समय से एक चीनी संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। भारत को चीन के निकट-समुद्र में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठाना चाहिए।

हिंद महासागर में चीनी अभ्यास प्लान (PLAN) का मुकाबला करने के लिए, भारतीय नौसेना को दक्षिण-दक्षिण-पूर्व एशिया में परिचालन की गति बढ़ाने की आवश्यकता होगी, जहां बीजिंग क्षेत्रीय उल्लंघन को साबित नहीं कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत के पास मालदीव के लिए तैयार एक वैकल्पिक योजना होनी चाहिए। इसके अलावा, भारतीय नौसेना को द्वीप देश के चारों ओर निरंतर उपस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए।

भारत-मालदीव संबंधों के मध्य चीन

- मालदीव चीन की हिन्द महासागर को घेरने की 'मोतियों की लड़ी' (String of Pearls) की नीति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। भारत और चीन दोनों ने ही मालदीव में नौसैना अड्डे (Naval Base) स्थापित करने में रुचि दिखायी है।
- दोनों ही राष्ट्रों ने हाल ही मालदीव में हुए जल संकट के समय जल आपूर्ति कर मजबूत संबंध बनाने की दिशा में कार्य करने का संकेत दिया है। ऐसा माना जाता है कि चीन ने भी इस अड्डे के विकास में सहायता देने का प्रस्ताव मालदीव से किया है।
- फरवरी, 2012 में सत्ता से हटने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने स्पष्ट किया था कि देश के सैन्य बलों का उन पर अत्यधिक दवाब था कि वे चीन से एक प्रतिरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करें, और अवसंरचनात्मक तथा नौसैनिक अड्डे के विकास में चीन का सहयोग लें। उल्लेखनीय है कि चीन मालदीव में एक पूर्णकालिक 'स्थायी दूतावास' (Embassy) की स्थापना की दिशा में प्रयास कर चुका है।
- भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित मालदीव में इस दूतावास की स्थापना के चीनी प्रयास ने भारतीय प्रतिरक्षा तंत्र के विशेषज्ञों में एक गंभीर बहस छेड़ दी थी। चीन की मालदीव में रुचि का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि चीन मालदीव में मारन्धू और इहावन्धू द्वीपों में ट्रांससिपमेन्ट बंदरगाहों के विकास में रुचि रखता है। चीन हाल के समय में पूर्वी अफ्रीका, सेशेल्स, मारीशस, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और कंबोडिया के साथ समुद्री व अन्य संपर्क साधने की कोशिश में लगा रहा है।

चीन की ओर मालदीव का झुकाव

- दक्षिण एशियाई राजनीति में आए इस बदलाव से मालदीव और भारत के बीच दूरी आने के कयास लगाए जा रहे हैं।
- भारत बीते एक दशक से मालदीव के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बच रहा है और इसका सीधा लाभ चीन को मिल रहा है।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब भारत आए थे, तब वे मालदीव और श्रीलंका होते हुए आए थे। इस दौरान इन दोनों देशों में मैरीटाइम सिल्क रूट से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- मालदीव यह जानता है कि चीन के मैरीटाइम सिल्क रूट के मामले में भारत का रवैया सकारात्मक नहीं है। लेकिन मालदीव ने जब सितंबर 2014 में इस तरह की संधियों पर हस्ताक्षर किये थे तो मालदीव का चीन की ओर झुकाव स्पष्ट था।
- मालदीव के कुल विदेशी ऋण में लगभग 70% हिस्सा चीन का है, जबकि भारत उसे ऋण देने के बजाय सहायता अधिक देती हैं।
- चीन के लिये यह समझौता इसलिये लाभकारी है कि यह चीन की तेल आपूर्ति का मुख्य रास्ता है और इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना उसकी रणनीति में शामिल है और साथ ही इससे मल्लका की खाड़ी पर उसकी निर्भरता भी कम होगी।

भारत की तुलना में चीन अधिक प्रभावी

- चीन की तुलना में भारत का प्रभाव इस क्षेत्र में कम हुआ है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत की स्थिति की बात करें तो बढ़ते चीनी प्रभाव को रोकने में भारत के प्रयास प्रभावी नहीं रहे हैं। इन देशों में मदद करने के वादे के बाद वास्तव में मदद पहुँचाने में चीन को भारत से कहीं अधिक विश्वस्त माना जाता है। इसके अलावा वर्तमान में भारत जहाँ अमेरिका के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिये निवेश कर रहा है, वहीं चीन भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर बनाने में लगा है।

मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस

- एक समय था जब दक्षिण एशिया को लेकर भारतीय विदेश नीति बेहद आक्रामक थी और यह हिंद महासागर में अपना प्रभाव बनाए रखने का ही मुद्दा था कि 1988 में जब मालदीव में तख्तापलट का प्रयास हुआ था, तब तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने कई देशों से सैन्य मदद मांगी थी।
- भारत ने तुरंत फैसला लिया था और ऑपरेशन कैक्टस के तहत अपनी नौसेना भेजकर वहां शांति स्थापित की थी। इसके स्थानीय कारण भी हैं, क्योंकि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम भारत के अच्छे दोस्त थे और यह दोस्ती दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों की बड़ी वजह थी।

भारतीय संदर्भ

- भारत सहित अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों ने अब्दुल्ला यामीन से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की है। लेकिन वर्तमान में भारत मालदीव में एक प्रभावी भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है।
- तीन साल पहले भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मालदीव की यात्रा रद्द करने से यह संकेत गया कि मालदीव पूरे दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में एकमात्र ऐसा देश है, जहाँ की भारतीय नेतृत्व द्वारा यात्रा नहीं की गई।
- इसके अतिरिक्त मालदीव ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्याग दी है और सार्क संगठन भी अपनी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। अत: मालदीव में भारत का प्रभाव और सीमित हो गया है।
- इसके समाधान के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ठोस कार्रवाई किये जाने की अपेक्षा है, ताकि मालदीव को इस संवैधानिक संकट से बचाया जा सके। इसके अलावा इस वर्ष होने वाले चुनाव ही इस संकट का स्थायी समाधान हो सकते है।

* * *

संभावित प्रश्न

चीन ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत को मालदीव में हस्तक्षेप को लेकर सावधान करते हुए कहा कि किसी देश के राजनीतिक संकट में बाहरी 'हस्तक्षेप' से स्थिति और भी जटिल होगी। इस कथन के सन्दर्भ में भारत-मालदीव संबंधों के मध्य चीन की चिंताजनक उपस्थिति का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

China, indirectly cautioning India against interference in the Maldives, said that external 'interference' in the political crisis of a country would make the situation even more complicated. In the context of this statement, analyze the worrisome presence of China between India-Maldives relations. (250 words)

क्या कावेरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्यायोचित है?

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

23 फरवरी, 2018

''द हिन्दू''

पक्ष

लेखक- एस. राजा राव (पूर्व सिंचाई सचिव, कर्नाटक और कावेरी जल विवाद के लिए कर्नाटक की तकनीकी समिति के पूर्व सदस्य)

''2007 के ट्रिब्यूनल ऑर्डर में कुछ स्पष्ट चिंताओं को संबोधित किया गया है।''

कर्नाटक को 14.75 हजार घन फीट (टीएमसी फीट) पानी के अतिरिक्त आवंटन के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को खुश होने का कारण प्रदान किया है। यह आदेश उचित है और तमिलनाडु से महत्वपूर्ण रूप से कुछ छीन भी नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के 2007 के आदेश में मौजूद कुछ चिंताओं, जैसे कि बेंगलुरु में पीने के पानी और दक्षिण कर्नाटक में सिंचाई की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाया है।

हालिया क्रम में कर्नाटक को जो आवंटित किया गया है, वह पूरी तरह से न्यायोचित है। कई बिंदुओं पर, कोर्ट कर्नाटक द्वारा 2007 के न्यायाधिकरण आदेश पर उठाए गए आपत्तियों को सही मानता है।

बेंगलुरु के लिए आवंटन

उदाहरण के लिए, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि विवादास्पद 1924 समझौता समाप्त हो गया था। यह देखा गया कि राज्य ने समझौते में प्रवेश करने के समय सौदेबाजी की शक्ति नहीं थी। फिर भी, स्वतंत्रता के बाद, कर्नाटक ने इस समझौते की निंदा नहीं की। हालांकि इस समझौते को 'अनुचित' नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कर्नाटक ने आजादी के बाद इस पर आपत्तियों को नहीं उठाया था, अदालत ने कहा कि 1924 के समझौते में कई खंड स्थायीता का संकेत नहीं मिलता है और 1974 तक 50 वर्षों के बाद समाप्त हो गए थे। अदालत ने यह भी ठीक से समझा है कि नदी बेसिन राज्यों की कुल आबादी को एक आधार पर रखा जाना चाहिए और न्यायसंगत वितरण के लिए एक मौलिक सिद्धांत के रूप में महत्व देना चाहिए।

इसे ध्यान में रखते हुए अदालत ने बेंगलुरु के लिए कावेरी जल के एक उच्च हिस्से की आवश्यकता को स्वीकार किया है, जो अब 10 लाख से ज्यादा निवासियों की सेवा करेगा। 2007 के ट्रिब्यूनल ऑर्डर ने केवल इस कारण से कर्नाटक के शेयरों को कम कर दिया था कि बेंगलुरु का केवल एक तिहाई हिस्सा नदी बेसिन में शामिल है और इसलिए 50% पेयजल आपूर्ति को भूजल के माध्यम से पूरा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सही रूप से इसे समझा है कि न्यायाधिकरण का विचार पीने के पानी से संबंधित मूल सिद्धांत की उपेक्षा करता है। मौजूदा स्तर पर जल आपूर्ति योजनाओं को लागू करने के लिए बेंगलुरु की वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त 4.75 टीएमसी फीट एक पुरस्कार के समान है। शेष 10 टीएमसी फुट का उपयोग कृषि गतिविधियों का विस्तार करने के लिए किया जा सकता है।

अब यह सवाल उठता है कि क्या यह अतिरिक्त आवंटन तमिलनाडु को उसके हक से वंचित करता है? इसका जवाब है.... नहीं। सतह जल के आवंटन को कम करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तमिलनाडु द्वारा सुरक्षित उपयोग के लिए कावेरी डेल्टा में न्यूनतम 10 टीएमसी फीट भूजल उपलब्ध है, जिसे ट्रिब्यूनल ऑर्डर में नजरअंदाज कर दिया गया था।

लंबित मुद्दे

हालांकि, इस क्रम में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। अंतरराज्यीय जल विवाद (आईएसडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 में कहा गया है कि भारत के चीफ जस्टिस द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और दो पूर्व उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के अलावा, कम से कम दो निर्धारक (तकनीकी विशेषज्ञ) ट्रिब्यूनल की सहायता के लिए होने चाहिए। जबकि देखा जाये तो सर्वोच्च न्यायालय ने कोयला घोटाले और लौह अयस्क खनन मामले में तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता मांगी थी, लेकिन कावेरी विवाद में अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। इन अनसुलझे मुद्दों के बीच नदी जल की साझा करने के लिए एक अभावयुक्त फार्मूले के गठन और नदी की आम सीमा पर पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण करना है। उदाहरण के लिए, कर्नाटक में मेकेदातु जलविद्युत परियोजना का संचालन करने की योजना है। फैसले के ढांचे के भीतर इस परियोजना की स्थिति अभी तय नहीं की गई है।

इसी तरह, जलवायु परिवर्तन और पुनर्निर्माण और अधिशेष जल का आवंटन के मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है। नतीजतन, कर्नाटक जैसे बेसिन राज्यों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के चौखट पर दस्तक जारी रहेगा।

विपक्ष

लेखक- एस. जनकाराजन (अध्यक्ष, साउथ एशिया कंसोर्टियम फॉर इंटरडिसीप्लिनरी)

''तमिलनाडु में किसी भी सार्थक तरीके से आपूर्ति की स्थिति को बदलने की संभावना नहीं है।''

इस तरह के परंपरागत विवाद में, हमेशा ही पहली पार्टी अपने हिस्से के बजाय दूसरी पार्टी के हिस्से पर ज्यादा ध्यान देती है। कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि, इस फैसले ने तमिलनाडु को निराश किया है, जबकि कर्नाटक में क्षणिक खुशी देखी जा सकती है।

वर्ष 1991 में, कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल ने अपने अंतरिम फैसले में घोषित किया कि 205 टीएमसी फीट को तमिलनाडु को आवंटित किया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल के 2007 के आदेश में इसे 192 टीएमसी फीट तक घटा दिया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 177.25 टीएमसी फीट में कटौती कर दिया गया है। इन संख्याओं में भारी राजनीतिक प्रभाव भी शामिल है, हांलाकि इसकी बहुत कम संभावना है कि वे तमिलनाडु में जल आपूर्ति की स्थिति को किसी भी तरह से बदल देंगे।

ऐतिहासिक उदाहरण?

वर्ष 2007 के आदेश के बाद से, यह भी निर्धारित किया गया है कि हर महीने कितना पानी छोड़ा जाना चाहिए, इसके बावजूद तमिलनाडु में आपूर्ति की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। कर्नाटक की स्थिति दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की शुरुआत में हमेशा पानी नहीं छोड़ने से जुड़ी होती है, बल्कि यह सितंबर तक इंतजार करते हुए दोनों भंडारण और मानसून की स्थिति का लाभ उठाता है। देखा जाये तो यह तमिलनाडु के लिए एक तरह से रिवाज सा बन गया है कि उसे हर साल सर्वोच्च न्यायालय में कर्नाटक को पानी छोड़ने के लिए निर्देश देने की याचिका दायर करनी पड़ती है।

कई अवसरों पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन का रूप ले लिया, जिसके कारण जन जीवन अस्तव्यस्त और कर्नाटक में संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। जिसका हालिया उदाहरण सितंबर 2016 में हुए विरोध के रूप में देखा जा सकता है।

अब जब अंतिम फैसले आ चुका है, तो यहाँ एक व्यावहारिक प्रश्न यह है कि क्या कर्नाटक से पानी पाने मैं निश्चित रूप से कोई निश्चितता (177.25 टीएमसी फीट) है या नहीं? और अगर अतीत को देखें तो इसका उत्तर नकारात्मक ही है। इसलिए ये सभी संख्याएं अप्रासंगिक हो जाएँगी, क्योंकि तमिलनाडु में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत जून से सितंबर और जनवरी से फरवरी के बीच सबसे अधिक होती है।

संघवाद का सिद्धांत

अगला सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे लागू किया जाए। अपने अंतिम फैसले में न्यायाधिकरण ने इस फैसले को लागू करने के लिए कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) के गठन की आवश्यकता का संकेत दिया था। लेकिन, सीएमबी का गठन कभी भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को 2016 में चार सप्ताह के भीतर शरीर का गठन करने के निर्देश दिए थे, उसके बाद भी इसका गठन नहीं हो पाया है। अब सवाल यह है कि सीएमबी का गठन क्यों नहीं किया गया? क्या केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की लापरवाही अदालत की अवमानना नहीं है? इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में छह हफ्तों के भीतर एक सीएमबी का गठन करने के लिए भारत सरकार को फिर से निर्देशित किया है। जाहिर तौर पर इस बार भी हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आगे क्या होता है।

इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पहले ही एक सीएमबी के विचार का विरोध किया है। अगर कोई कानून के साथ चलता है, जैसा कि होना भी चाहिए, एक सीएमबी का गठन इस दुखद और कड़वे विवाद को समाप्त कर सकता है।

सबसे ज्यादा चिंताओं वाला मुद्दा यह है कि एक अल्पविकसित राजनीतिक दृष्टिकोण और अविवेक ने एक बारहमासी नदी के स्तर को एक मौसमी नदी के स्तर तक कम कर दिया है, जो कई अनिश्चितताओं के साथ है। इसके पर्यावरणीय प्रभाव अत्यधिक प्रतिकूल हैं, विशेषकर डेल्टा बनाने वाली और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए।

जब तक कि भारत जैसे एक विशाल और विविध लोकतांत्रिक देश में संघवाद के सिद्धांतों का सख्ती से पालन नहीं किया जायेगा, एक नदी के जल को साझा करने का मुद्दा, जो एक से अधिक राज्यों में बहती है, एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में हमेशा कायम रहेगा।

तटस्थ

लेखक- हिमांशु ठक्कर (कोऑर्डिनेटर, साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम, रिवर एंड पीपल)

''फैसले की प्रभावकारिता कार्यान्वयन तंत्र में निहित होगी।''

16 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय के 465 पेज के फैसले का स्वागत है, जिसमें भूजल के कुछ पहलू, राष्ट्रीय जल नीति से जल आवंटन प्राथमिकता के संदर्भ, छह सप्ताह में कार्यान्वयन तंत्र स्थापित करने और 15 सालों के लिए जल-साझा कोटा तय करने के निर्देश शामिल है।

चिंताजनक क्षेत्र

देखा जाये तो इस क्रम में कुछ चिंताजनक क्षेत्र भी मौजूद हैं। यह विवाद नदी-साझा विवाद के बजाय जल-साझाकरण विवाद के रूप में है। जिसमें बारिश के पैटर्न, वर्षा जल संचयन, मिट्टी के पानी की कैप्चरिंग की क्षमता और स्थानीय जल प्रणालियों जैसे कारकों में अनावश्यक शामिल है। यह आदेश कावेरी बेसिन के बाहरी क्षेत्रों में जल की आपूर्ति को सही ठहराता है, जब अन्य विकल्प मौजूद होते हैं। प्रस्तावित कार्यान्वयन तंत्र के पारदर्शी कामकाज के लिए कुछ निर्देशों ने मदद की होगी। कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के फैसले के 11 साल बाद, यह कहा जा सकता है कि यह पहले भी मदद कर सकती थी, अगर यह फैसला थोड़ी और जल्दी आ गयी होती तो।

जल आवंटन के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि एकमात्र बदलाव कर्नाटक के आवंटन में 1.475 टीएमसी फीट की बढ़ोतरी है, जो कि तमिलनाडु के लिए समान मात्रा में आवंटन को कम करता है। इसका मतलब यह है कि कर्नाटक की वार्षिक जल रिहाई दायित्व 192 टीएमसी फीट की तुलना में, 177.25 टीएमसी फीट कम कर देता है। एक संकट वर्ष में, कर्नाटक का दायित्व उसी अनुपात में कम हो जाएगा, लेकिन मासिक रूप से जल छोड़े जाने की मात्रा का निर्धारण कार्यान्वयन प्राधिकरण द्वारा ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार स्थापित किया जाना चाहिए।

बेंगलुरु के लिए पेयजल आवंटन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कारण दिया गया कि पीने के पानी की प्राथमिकता सर्वोच्च है। यह सच भी है, लेकिन कर्नाटक को अपने हिस्से से बेंगलुरु के लिए और अधिक पानी आवंटित करने से कोई नहीं रोक रहा है और वैसे भी कर्नाटक पहले से ऐसा कर भी रहा है। इसके लिए अन्य राज्यों के हिस्से को कटौती करने पर विचार नहीं करना चाहिए। दूसरा, यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि बेंगलुरु अपने जल संसाधन विकल्पों का उप-अनुकूलन कर रहा है। यहाँ सवाल परिमाप या मात्र का नहीं है, जो मामूली हो सकता है और इसमें से कुछ पिनाकिनी नदी के माध्यम से तमिलनाडु को लौटाया जा सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में, अन्य बेसिनों में उच्च प्राथमिकता के नाम पर इस तरह के उप-इष्टतम आवंटन की संभावनाओं का निर्माण किया हैं। इस तरह के आवंटन के लिए कावेरी बेसिन (बेंगलुरु का दो तिहाई) के बाहर के क्षेत्रों को ध्यान में रखना, एक और ऐसा पहलू है जो एक जटिल उदाहरण को दर्शाता है।

यह एक स्वागत योग्य पहल है कि अदालत ने भूजल को पानी की गणना के समीकरण में शामिल किया है, तमिलनाडु का कावेरी बेसिन में अतिरिक्त भूजल तक पहुंच को देखते हुए अदालत ने कर्नाटक के लिए 10 टीएमसी फीट आवंटन में वृद्धि की है। हालांकि, 10 टीएमसी फीट का आंकड़ा तदर्थ है और विज्ञान के आधार पर नहीं है। यदि भूजल को ही ध्यान में रखना था, तो भूजल का पूरा मूल्यांकन (जैसा कि 3 टीएमसी फीट से छोटे भंडारों में जमा हुआ पानी) को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

वृद्धि हुई पानी का उपयोग

दरअसल, इस निर्णय से दोनों राज्यों में पानी के उपयोग में बढ़ोतरी की संभावना है: क्योंकि, तमिलनाडु में अदालत ने 10 टीएमसी फीट भूजल का उपयोग करने की अनुमति दी है, और कर्नाटक में अदालत ने 14.75 टीएमसी फीट अधिक पानी आवंटित किया है। यह एक बेसिन में, जहां पानी की मांग उपलब्ध जल से पहले ही ज्यादा है(जैसा कि न्यायालय नोट-पैरा 188 में कहा गया है)।

देखा जाये तो, यह हमें एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ले जाता है: जहाँ स्थानीय वर्षा जल संचयन उपायों के अलावा मांग पक्ष प्रबंधन की भी आवश्यकता है, जो दोनों ही निर्णयों में गायब हैं।

कावेरी विवाद को हल करने के फैसले की प्रभावकारिता का परीक्षण कार्यान्वयन तंत्र की प्रभावशीलता में होगा और आपदा के वर्षों में समान जल वितरण को प्राप्त करना होगा। हालांकि, ऐसा लगता है कि यह फैसला कावेरी बेसिन सहित अन्य जल विवादों को बढ़ाने से ज्यादा संबंधित है।

* * *

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि नदी पर किसी एक राज्य का अधिकार संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पानी राष्ट्रीय संपत्ति है। फैसले के मुताबिक कावेरी नदी से तमिलनाडु को मिलने वाले पानी में कटौती की है। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह अपने अंतरराज्यीय बिलीगुंडलु बांध से कावेरी नदी का 177.25 टीएमसीएफटी जल तमिलनाडु के लिए छोड़े।
- फैसले में यह स्पष्ट किया गया कि कर्नाटक को अब प्रति वर्ष 14.75 टीएमसीएफटी जल अधिक मिलेगा, जबकि तमिलनाडु को 404.25 टीएमसीएफटी जल मिलेगा जो न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2007 में निर्धारित जल से 14.75 टीएमसीएफटी कम होगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शामिल कुछ तथ्य?

- कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2007 में किए गए आवंटन के अनुसार कर्नाटक को 270 टीएमसीएफटी जल आवंटित किया गया था। वह अब बढ़कर 284.75 टीएमसीएफटी हो जाएगा।
- प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने यह बहुप्रतीक्षित आदेश सुनाया। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ने न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2007 में किए गए आवंटन के खिलाफ याचिका दायर की थी।
- पीठ ने इस याचिका पर अपना फैसला पिछले साल 20 सितंबर को सुरक्षित रखा था।
- प्रधान न्यायाधीश ने फैसले का मुख्य भाग सुनाते हुए कहा कि वर्ष 2007 में न्यायाधिकरण द्वारा केरल के लिए निर्धारित किए गए 30 टीएमसीएफटी और पुडुचेरी के लिए निर्धारित सात टीएमसीएफटी जल में कोई बदलाव नहीं होगा।

- शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु को कावेरी बेसिन के नीचे कुल 20 टीएमसीएफटी जल में से अतिरिक्त 10 टीएमसीएफटी भूजल निकालने की अनुमति भी दी।
- न्यायालय ने कहा कि बेंगलुरु के निवासियों की 4.75 टीएमसीएफटी पेयजल एवं 10 टीएमसीएफटी भूजल आवश्यकताओं के आधार पर कर्नाटक के लिए कावेरी जल का 14.75 टीएमसीएफटी आवंटन बढ़ाया गया।
- कोर्ट ने कहा कि पेयजल को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। कावेरी जल आवंटन पर उसका फैसला आगामी 15 वर्षों तक लागू रहेगा।

क्या है कावेरी नदी जल विवाद?

- कावेरी एक अंतर्राज्यीय नदी है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी इस नदी के बेसिन में आते हैं। इन्हीं चारों राज्यों के बीच एवं विशेष रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इस नदी के जल के बँटवारे को लेकर विवाद चला आ रहा है।
- इस ऐतिहासिक विवाद के समाधान के लिये 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज्य के बीच एक समझौता हुआ था।
- उसके बाद भारत सरकार द्वारा 1972 में बनाई गई एक कमेटी की रिपोर्ट और विशेषज्ञों की सिफारिशों के बाद अगस्त 1976 में कावेरी जल विवाद के सभी चारों दावेदारों के बीच एक समझौता हुआ था।
- इस बीच जुलाई 1986 में तमिलनाडु ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत इस मामले को सुलझाने के लिये आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार से एक न्यायाधिकरण के गठन किये जाने का निवेदन किया।
- केंद्र सरकार ने 2 जून, 1990 को कावेरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। वर्ष 1991 में इसने एक अंतरिम फैसला दिया था। वर्ष 2007 में इसने अंतिम फैसला दिया। परन्तु कोई भी पक्ष इसके फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ। तब से अब तक इस विवाद को सुलझाने की कोशिश चल रही है।
- भारत में नदी जल विवाद एक गंभीर विषय है। लगभग इसी तरह की समस्या कुछ अन्य नदियों के जल के बँटवारे को लेकर भी है। प्रत्येक राज्य इसी देश का हिस्सा है और राज्यों के बीच इस तरह का विवाद किसी के हित में नहीं है।

देश के महत्त्वपूर्ण नदी जल विवाद

1. नर्मदा नदी जल विवाद - गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान
2. माही नदी जल विवाद- गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश
3. गोदावरी नदी जल विवाद- आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश
4. यमुना नदी जल विवाद- उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली
5. सतलज यमुना लिंक नहर विवाद - पंजाब, हरियाणा और राजस्थान
6. रावी और ब्यास नदी जल विवाद- पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली
7. कावेरी नदी जल विवाद- तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुद्दुचेरी
8. कृष्णा नदी जल विवाद- महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश
9. कर्मनाशा नदी जल विवाद- उत्तर प्रदेश और बिहार
10. बराक नदी जल विवाद- असम और मणिपुर
11. अलियार और भिवानी नदी जल विवाद- तमिलनाडु और केरल
12. तुंगभद्रा नदी जल विवाद- आंध्र प्रदेश और कर्नाटक

नदी जल विवाद से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

- अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान है।
- अनुच्छेद 262(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में न्यायिक पुनार्विलोकन और सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है।
- अनुच्छेद 262 संविधान के भाग-11 का हिस्सा है जो केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रकाश डालता है।
- अनुच्छेद 262 के आलोक में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का आगमन हुआ।
- इस अधिनियम के तहत संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे हेतु अधिकरण बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बराबर महत्त्व रखता है।
- इस कानून में खामी यह थी कि अधिकरण के गठन और इसके फैसले देने में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
- सरकारिया आयोग(1983-88) की सिफारिशों के आधार पर 2002 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन कर अधिकरण के गठन में विलम्ब वाली समस्या को दूर कर दिया गया।

नदी जल विवाद से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत-

- हर्मन डॉक्ट्रिन या प्रादेशिक अखंडता का सिद्धांत (1896): इसमें ऊपरी तटीय देशों/राज्यों की नदी जल पर प्रादेशिक संप्रभुता होने की बात कही गई थी।
- संपूर्ण प्रादेशिक अखंडता का सिद्धांत (1941): यह सिद्धांत, नदी जल के प्राकृतिक बहाव को अवरुद्ध करने का विरोध करता है।
- न्यायसंगत विभाजन का सिद्धांत: इसमें जरूरत के मुताबिक नदी जल की प्राथमिकता तय करने की बात की गई है, उदहारण के लिये- भारत के सन्दर्भ में सिंधु, कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के जल का बँटवारा इसी आधार पर किया गया है।
- परमित क्षेत्रीय संप्रभुता का सिद्धांत(1997): इसमें माना गया है कि नदी जल बहाव वाले समस्त तटीय देशों/राज्यों का नदियों पर समान अधिकार है।

* * *

संभावित प्रश्न

कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर मुख्य तौर पर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच व्याप्त विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत कीजिये। (250 शब्द)

Critically examine and give a logical answer on the Supreme Court's judgment over the dispute between Tamil Nadu and Karnataka, mainly on the sharing of water of Cauvery River. (250 Words)

एक सुधारात्मक पहल

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

24 फरवरी, 2018

''हाल ही में केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की रफ्तार बढ़ाते हुए तकरीबन साढ़े चार दशक बाद निजी क्षेत्र को एक बार फिर कोयला खदानों में वाणिज्यिक खनन की मंजूरी दे दी है।'' इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द हिन्दू' एवं ''इंडियन एक्सप्रेस'' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे "GS World" टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''द हिन्दू''
(निजी हुए कोयला खनन)

''निजी कंपनियों के लिए कोयला खनन के दरवाजे खोलना सही समय पर एक महत्वपूर्ण सुधार है।''

45 वर्ष के बाद केंद्र सरकार ने अपने कोयला-खनन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करते हुए वाणिज्यिक खनन फर्मों को इस क्षेत्र में फिर से प्रवेश की अनुमति दे दी है। जब तक कि इंदिरा गांधी सरकार ने कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के माध्यम से सभी कोयला खदानों को कोल इंडिया को सौपने का फैसला नहीं किया था, तब तक भारत के कोयला उद्योग मुख्यत: निजी क्षेत्र से प्रेरित था।

निजी क्षेत्र के हाथों से कोयला वापस लेने का मुख्य कारण यह था कि ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करना था। अब, भारत के कोयला बाजार पर विशालकाय सार्वजनिक क्षेत्र का आभासी एकाधिकार हो गया है। कोल इंडिया देश के 80% से ज्यादा कोयले की आपूर्ति का हिस्सा है।

एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी और कुछ कैप्टिव कोयला खानें जो कि स्टील एंड पावर इंडस्ट्रीज जैसे विशिष्ट एंड-उपयोगों के लिए निजी कंपनियों को आवंटित की जाती हैं, अन्य बचे भाग की आपूर्ति करती है।

वाणिज्यिक खनन को मजूरी देना और निजी कंपनियों के लिए कोयले की बिक्री एक अतिदेय सुधार है। भारत में बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर उच्च निर्भरता है। अक्षय और परमाणु स्रोतों के लिए बेहतर प्रयास के बावजूद, 70% बिजली उत्पादन कोयला आधारित थर्मल संयंत्रों के माध्यम से होता है।

हाल के वर्षों में कोल इंडिया के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी इसके समृद्ध कोयला-बेयरिंग बेल्ट और बढ़े हुए उत्पादन के बावजूद, यह नई विद्युत संयंत्रों की मांग के साथ तालमेल बनाए रखने में असमर्थ रहा हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए, एनडीए सरकार यूपीए से विरासत में मिली गड़बड़ी को ठीक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ी है, खासकर आवंटन में अनियमितता की समस्याएं के सन्दर्भ में। सितंबर 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक और निजी कंपनियों को 204 कोयला खदानों के आवंटन को रद्द कर दिया था, क्योंकि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने आवंटन तंत्र में कई गलतियाँ पायीं थी। जिसके बाद एक अध्यादेश जल्दी में लाया गया और प्रभावित खानों के लिए एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई।

हांलाकि, यहाँ इनका इरादा यह सुनिश्चित करना था कि खनन कार्यों में अचानक अवरोधों के कारण बिजली उत्पादकों के लिए आपूर्ति कम ना हो। वाणिज्यिक खनन और कोयले की बिक्री के लिए सक्षम प्रावधान पहले से ही कोयला खान (विशेष प्रावधान) 2015 के अधिनियम में शामिल किए जा चुके थे; आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने अब नीलामी के अधिकारों के लिए कार्यप्रणाली को स्वच्छ करने के द्वारा संचालन करने की अनुमति दी है।

''इंडियन एक्सप्रेस''
(प्राइवेट फर्मों को वाणिज्यिक कोयला खनन की मंजूरी)

''कोयला और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निजी क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन की मंजूरी इस क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के बाद से महत्वपूर्ण रूप से कोयला क्षेत्र में सबसे व्यापक सुधार है।''

वर्ष 1973 में राष्ट्रीयकरण के बाद से कोयला क्षेत्र में एक बड़े सुधार में, सरकार ने मंगलवार को निजी कंपनियों को वाणिज्यिक उपयोग के लिए जीवाश्म ईंधन के खनन की इजाजत दे दी, जिससे सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के एकाधिकार समाप्त हो गया।

कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया, 'यह कोयला क्षेत्र में अभी तक का सबसे बड़ा सुधार है। यह कोयला क्षेत्र में मौजूदा कंपनियों के प्रदर्शन को बेहतर करेगा। ज्यादा कोयला उत्पादन होगा और सभी को पर्याप्त मात्रा में कोयला मिलेगा।

इससे कोयला सस्ता होने पर बिजली की दरें घटाने में भी मदद मिलेगी। सीसीईए के फैसले के बाद सरकार इन ब्लॉकों का चयन करेगी, जिनकी नीलामी की जाएगी। सरकार की योजना हर तरह के छोटे-बड़े ब्लाकों की नीलाम करने की है।'

'यह प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करेगा और क्षेत्र में सर्वोत्तम संभव तकनीक के उपयोग की अनुमति देगा। उच्च निवेश कोयला आधारित क्षेत्रों में विशेष रूप से खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा और इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर एक प्रभाव पड़ेगा।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने फैसला लिया।

कोयले की बिक्री के लिए कोयले की खानों / ब्लॉकों की नीलामी के लिए सीसीईए ने कार्यप्रणाली को कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 और खान और खनिज (विकास और नियमन) अधिनियम, 1957 के तहत मंजूरी दे दी है, कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा

राष्ट्रीयकरण के बाद, केवल सरकारी स्वामित्व वाली सीआईएल को कोयला बेचने की अनुमति दी गई थी।

मंत्री ने कहा कि खनन के लिए निजी कंपनियों को बड़ी, मध्यम और साथ ही छोटी खानों की पेशकश की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को खोलने से कोयले की आपूर्ति, जवाबदेह आवंटन और सामर्थ्य के जरिए ऊर्जा की सुरक्षा भी होगी।

कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, इज ऑफ डूइंग बिजनेस को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और यह सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रीय संसाधनों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा सके।

इस कदम से ऊर्जा सुरक्षा हो जाएगी क्योंकि देश के बिजली का 70 प्रतिशत ताप बिजली संयंत्रों से उत्पन्न होता है, यह बयान में कहा गया है कि यह सुधार, कोयले के आश्वासन को सुनिश्चित करेगा, कोयले के जवाबदेह आवंटन और सस्ती कोयले को उपभोक्ताओं के लिए सस्ती बिजली की कीमतों में लाया जाएगा।

गोयल ने कहा कि यह कदम घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा, जो बदले में देश को अनमोल विदेशी मुद्रा बचाएगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से बिजली की दरों में कमी लाने में मदद मिलेगी।

सरकार का कहना है कि यह कदम ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा, कोयले को सस्ता बनायेगा और नौकरियों का सृजन करेगा। परिणामों की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन सा ब्लॉक वास्तव में निजी कंपनियों को प्रदान किए जाते हैं।

कोयला ब्लॉकों की नीलामी मौजूदा तरीके से ही होगी जिसे काफी पारदर्शी माना जा रहा है। नीलामी से प्राप्त होने वाला सारा राजस्व राज्यों के खजाने में जाएगा। इससे यह फैसला झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इन राज्यों में तेजी से आर्थिक विकास हो सकता है। इसका दूसरा फायदा यह होगा कि देश में कोयला उत्पादन बढ़ने से आयातित कोयला पर निर्भरता खत्म होगी।

खनिजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों का उन्नयन किया जाना चाहिए। अंत में, प्रक्रिया की अखंडता महत्वपूर्ण है, इसलिए यह नीलामी विजेताओं के लिए अभिशाप के रूप में अनुवादित नहीं होनी चाहिए, जैसा कि दूरसंचार क्षेत्र में हुआ था। आयात-निर्भर ऊर्जा क्षेत्र इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता।

* * *

पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश प्रमुख कोयले की खपत वाले राज्य हैं। माना जाता है कि भारत को 300 अरब टन का भंडार है।

जब यह पूछा गया कि यह कदम कोल इंडिया को कैसे प्रभावित करेगा, तो गोयल ने कहा कि यह प्रतिस्पर्धा राज्य के स्वामित्व वाली खान में मदद करेगी।

सितंबर 2014 में कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत 1993 से अलग सरकारी और निजी कंपनियों को आवंटित 204 कोयला खानों को रद्द कर दिया था।

वर्ष 2009-10 के बाद से भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक जैसे देशों से बड़े पैमाने पर कोयला आयात किया है। भारत में 300 अरब टन कोयला होने के आसार है। जानकार मानते हैं कि अगर अभी कोयला नहीं निकाला गया तो जिस रफ्तार से दूसरे ऊर्जा स्त्रोतों में तकनीकी विकसित हो रही है, उसे देखते हुए दो दशक बाद कोयला की जरूरत ही नहीं रहेगी। यह भी एक वजह है कि भारत अपने कोयला खदानों का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करना चाहता है।

पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए, कोयला खान (विशेष प्रावधान) बिल 2015 संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे मार्च, 2015 में एक अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया था। कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 में आवंटन के लिए सक्षम किए गए हैं। सीआईएल वर्तमान में घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान करती है।

* * *

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए निजी कंपनियों के लिए कोयला खनन के दरवाजे खोल दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक मामलों की संसदीय समिति (सीसीईए) ने इसकी हस्ताक्षरित मंजूरी दे दी है। अब निजी कोयला कंपनी कोल माइंस में खनन कर सकेंगी। इसके अलावा नीलामी में खरीदे गए सरकारी कोल ब्लॉक में भी निजी कंपनियां खनन कर पाएंगी।

पृष्ठभूमि

- सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर, 2014 के आदेश में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत 1993 से विभिन्न सरकारी और निजी कंपनियों को आवंटित 204 कोयला खानों और ब्लॉक को रद्द कर दिया था।
- इस आदेश के अनुपालन में संसद ने कोयला खान (विशेष प्रावधानों) कोयले की खानों के आवंटन के लिए पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाने के लिए अधिनियम, 2015 कोयले की बिक्री के लिए नीलामी और आवंटन के माध्यम से-

प्रमुख बिंदु

- कोयला और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि निजी कंपनियों के आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। पावर प्लांट के बिजली के रेट भी कम होंगे। देश में करीब 70% बिजली थर्मल पावर प्लांटों में बनती है।
- गोयल के अनुसार नीलामी के बाद कोयले की बिक्री, रेट या इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी।
- उन्होंने बताया कि कोल इंडिया की कर्मचारी यूनियनें निजी कंपनियों को अनुमति दिए जाने पर राजी हो गई हैं। हालांकि यूनियनों ने फैसले का विरोध किया है।
- कोयला मंत्रालय के सचिव सुशील कुमार ने बताया कि कोल ब्लॉक घोटाला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर, 2014 में 204 ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दिया था। इनमें से अब तक 84 दोबारा आवंटित किए जा चुके हैं।
- खनन कंपनी वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने उम्मीद जताई कि इस फैसले के बाद बीएचपी, रियो टिंटो, ग्लेनकोर जैसी बहुराष्ट्रीय खनन कंपनियां भारत में निवेश करेंगी।
- हालांकि कोल इंडिया के पूर्व चेयरमैन पार्थ भट्टाचार्य के अनुसार कॉमर्शियल रूप से सफल होने के लिए खाद्यान्न 4-5 करोड़ टन से बड़े होने चाहिए।

क्यों पड़ी इसकी आवश्यकता?

- कोल इंडिया पावर प्लांटों को जरूरत के मुताबिक सप्लाई नहीं कर पा रही है। अप्रैल, 2017 से जनवरी 2018 के दौरान इसका उत्पादन सिर्फ 1.6% बढ़ा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुसार 6 फरवरी को 6 प्लांट में 7 दिन से कम और 14 में 4 दिन से भी कम का स्टॉक था।

कैसे होगी नीलामी?

- नीलामी का पैसा राज्यों को मिलेगा। ज्यादातर खाद्यान्ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हैं। इन्हें लाभ होगा।

लाभ

- कोयले से बनने वाली बिजली सस्ती होगी।
- कोयले का आयात कम होगा, इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
- प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। नई टेक्नोलॉजी से कोयले की कीमत भी घटेगी।
- कोयले से बनने वाली बिजली के रेट भी कम होंगे।

60,000 करोड़ रुपए का शहरी आवास फंड बनेगा

- कैबिनेट ने 60,000 करोड़ रुपए के नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फंड से सस्ती आवास योजना के लिए पैसे मुहैया कराए जाएंगे। यह आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन होगा।
- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अभी तक 39 लाख घर बनाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। हर महीने 2 से 3 लाख घरों के निर्माण मंजूर किए जा रहे हैं।
- इस स्कीम के तहत मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में 87,000 होम लोन मंजूर किए गए। 40,000 और आवेदनों पर विचार किया जा रहा है।

- 58% बिजली उत्पादन क्षमता कोयला आधारित
- 3,34,400 मेगावाट कुल क्षमता
- थर्मल- 2,19,809 मेगावाट
- कोयला- 1,93,821 मेगावाट

* * *

संभावित प्रश्न

''केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की रफ्तार बढ़ाते हुए तकरीबन साढ़े चार दशक बाद निजी क्षेत्र को एक बार फिर कोयला खदानों में वाणिज्यिक खनन की मंजूरी दे दी है। जिससे कोयला खदानों में कोल इंडिया की मोनोपोली समाप्त हो जाएगी।'' इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

"The central government has once again given approval to the private sector for commercial mining in the coal mines after about four and a half decades by increasing the pace of economic reforms. Coal India's Monopoly will end in coal mines by this." Analyze this statement. (250 Words)

भारत-कनाडा संबंध

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अन्तर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

26 फरवरी, 2018

*''हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत की यात्रा पर आए हुए थे। हालांकि, उनका यह भारत दौरा खालिस्तानी आतंकी जसपाल अटवाल को डिनर में बुलाए जाने के बाद विवादों का शिकार हो गया है।'' इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द हिन्दू' एवं ''इंडियन एक्सप्रेस'' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे "**GS World**" टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

''द हिन्दू''
(भारत-कनाडा संबंधों पर)

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आठ दिनों की भारत यात्रा खत्म हो गई हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर भारत आए थे। वैसे देखा जाये तो कुछ समय से, नई दिल्ली ओटावा के लिए विरोध के संदेश भेज रहा था- खासकर उसके लिबरल पार्टी ने ओन्टारियो प्रांतीय विधायिका में एक प्रस्ताव का पालन करने के बाद जो 1984 के सिख विरोधी हिंसा 'नरसंहार' से संबंधित था। इसलिए श्री ट्रूडो के कार्यालय और विदेश मंत्रालय का यात्रा के विवरण पर मतभेद साफ देखा जा सकता है।

जबकि नई दिल्ली दिल्ली में आधिकारिक संबंधों के साथ शुरू होने वाली एक छोटी, अधिक व्यवसाय जैसी यात्रा को पसंद करती थी, वहीं इसके बदले में ओटावा ने पांच दिवसीय दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आखिरी दिन एक द्विपक्षीय बैठक रखी।

निश्चित रूप से नई दिल्ली चाहता था कि कनाडा में कट्टरपंथी सिख समूहों को सहानुभूति देने वाले कनाडाई मंत्रियों को प्रतिनिधिमंडल से दूर रखा जाये। इसके अलावा, भारत सरकार चाहती थी कि श्री ट्रूडो यात्रा से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से भी मुलाकात करे।

लेकिन, ट्रूडो के कार्यालय ने उनके आने तक मुख्यमंत्री के साथ बैठक की पुष्टि नहीं की। नतीजतन, यात्रा के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री के अनुसरण में आने वाले विवाद ने गति पकड़ ली।

गौरतलब है कि भारत आने पर पीएम ट्रूडो के सम्मान में कनाडा के उच्चायुक्त द्वारा दिए जाने वाले डिनर में खालिस्तनी आतंकी जसपाल अटवाल को निमंत्रण दिया गया, जिसनें दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्ते में खटास दाल दी है।

हालांकि इस मामले में भारत की ओर से आपत्ति जताने के बाद पीएम ट्रूडो ने अटवाल को दिए गए निमंत्रण को भूल माना और कहा कि अब इस भूल को सुधार लिया गया है। वैसे भी ट्रूडो और उनकी पार्टी द्वारा कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों को समर्थन के कारण उनकी भारत यात्रा को तवज्जो न मिलने की चर्चा थी।

अटवाल को पंजाब सरकार के मंत्री मलकियत सिंह सिद्धू पर कनाडा के शहर वैंकूवर में 1986 में हमला करने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसे सजा भी सुनाई गई थी।

इस सन्दर्भ में भारत सरकार का कहना है कि अटवाल को

''इंडियन एक्सप्रेस''
(ट्रूडो की भारत यात्रा)

कनाडा के प्रधानमंत्री ने खालिस्तान प्रश्न का सामना करने का वादा किया है, इसलिए दिल्ली को धैर्य के साथ उन्हें सही काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

भारत में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के विस्तारित प्रवास, जो द्विपक्षीय संबंधों के सकारात्मक रीसेट के उम्मीदों को बढ़ाकर हाल ही में संपन्न हुआ, अब राजनयिक आपदा के रूप में प्रतीत होता है। इस पूरी तरह अप्रत्याशित राजनैतिक मोर्चे का श्रेय दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निष्ठावान रहने का संकल्प और कनाडा के प्रधानमंत्री की देरी को जाता है। करीब आधे मिलियन बड़े सिख प्रवासी के साथ, लंबे समय से कनाडा की चुनावी राजनीति में इस समुदाय का काफी महत्व रहा है।

देखा जाये तो, 1980 के दशक के मध्य से, चरमपंथियों और भारत विरोधी तत्वों के एक छोटे से अल्पसंख्यक, दिल्ली के खिलाफ सिख समुदाय के राजनीतिक भार को तैनात करने के अपने प्रयासों में कठोर रहे हैं। जिसे अधिकांश कनाडाई राजनीतिक वर्ग ने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। लेकिन 2015 में प्रधानमंत्री बनने वाले ट्रूडो ने एक नए स्तर पर चरमपंथियों को दूर रखा है।

हालांकि, दिल्ली ने ओटावा के साथ रणनीतिक साझेदारी के निर्माण के महत्व को रेखांकित करने वाले कारक को अपने क्रोध के समक्ष नहीं आने दिया। देखा जाये तो, ट्रूडो पंजाब के निर्वाचित मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं थे, ताकि घर में खालिस्तानियों को खुश करने का मौका मिल जाये।

पीएम ट्रूडो के सम्मान में कनाडा के उच्चायुक्त द्वारा दिए जाने वाले डिनर में एक दोषी खालिस्तनी आतंकी जसपाल अटवाल को निमंत्रण दिया जाना उनके मुख्यमंत्री से मिलने के आखिरी फैसले को कमजोर बना देता है।

'आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के मुकाबले'' पर द्विपक्षीय 'सहयोग के लिए ढांचे' के लिए दोनों प्रधानमंत्री के बीच वार्ता के बाद अनावरण किया गया। भारत के क्षेत्रीय अखंडता की आवाज के समर्थन के अलावा, कनाडाई पक्ष ने बब्बर खालसा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिख युवा संघ सहित विभिन्न आतंकवादी संगठनों को 'बेअसर' करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

वीजा कैसे मिला फिलहाल यह जांच का विषय है, हालांकि कनाडा ने उसको दिए गये आमंत्रण को रद्द कर दिया है। कनाडा के उच्चायोग से इस संबंध में जानकारी मांगी जाएगी। सभी विवादों के बीच असली हताहत भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंध था, जो एक दशक के उत्कृष्ट प्रगति के बाद शीतल हो गया है। कनाडा में 13 लाख भारतीयों के अलावा भारतीय मूल के 1,00,000 भारतीय छात्र हैं।

इस अवधि में, दोनों पक्षों द्वारा भारत में निवेश करने के लिए ऊर्जा और व्यापार पर निकट सहयोग, एक असैनिक परमाणु सहयोग समझौता और कनाडाई पेंशन फंड से एक प्रतिबद्धता का निर्माण किया गया है।

लेकिन देखा जाए तोओट्टावा और नई दिल्ली दोनों के द्वारा श्री ट्रूडो की यात्रा का प्रबंधन, इन समझौतों के साथ न्याय नहीं करता है, इसलिए दोनों देशों को अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए इस पर कार्य करना चाहिए।

* * *

हांलाकि, प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी का यह बयान ट्रूडो सरकार के खालिस्तान के मुद्दे पर नरम रुख के बाद आया है।

खलिस्तान के सवाल का स्पष्ट रूप से सामना करते हुए, ट्रूडो ने कनाडा के साथ भारत के संबंधों को बेहतर बनने का वादा किया है और इस समस्या को जल्द से जल्द दूर करने का वादा किया है। हांलाकि, यह देखना अभी बाकि है कि ट्रूडो अपने द्वारा किये गये वादे को कैसे पूरा करते है। लेकिन ट्रूडो द्वारा किये गये वादों को भारत द्वारा धैर्य के साथ प्रोत्साहित करते रहना होगा।

* * *

GS World टीम...

भारत और कनाडा के बीच हुए 6 अहम समझौते

1. सूचना, संचार तकनीक और इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में आपसी सहयोग का समझौता
2. भारत कनाडा मंत्रिस्तरीय ऊर्जा वार्ता के लिए प्रस्तावित मसले
3. खेल के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति का ज्ञापन
4. बौद्धिक सम्पदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहयोग का समझौता
5. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति का ज्ञापन
6. विज्ञान, तकनीक और आविष्कार के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग और कनाडा के प्राकृतिक संसाधन विभागों के बीच समझौता

अन्य संबंधित तथ्य

- खालिस्तानी और इस्लामी आतंकवादियों के खिलाफ भारत और कनाडा ने एकजुटता दिखाई है और इनके खिलाफ साझा तौर पर लड़ने का संकल्प दिखाया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आठ दिनों के भारत दौरे के समापन के पहले यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आतंकवाद और हिसंक उग्रवाद के खिलाफ मिल कर लड़ने के लिए अलग से सहयोग का एक ढांचा जारी किया गया है।
- इसके अलावा दोनों देशों ने अलग से एक साझा बयान भी जारी किया जिसमें न केवल मालदीव के हालात पर चिंता जाहिर की गई है बल्कि दक्षिण चीन सागर में भी समुद्री कानून का पालन करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने सहयोग के छह समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश आपसी रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं।

पीएम मोदी ने इशारों में दी चेतावनी

- बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खालिस्तान के प्रति कनाडा की सरकार के नरम रुख की ओर इशारों में चेतावनी दी कि जो लोग भारत की एकता, सम्प्रभुता और अखंडता को चुनौती देंगे उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगाह किया कि जो लोग धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक मंसूबों को हासिल करने और अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए करते हैं उनकी समाज में कोई जगह नहीं है। मोदी ने ट्रूडो से कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि दोनों देश मिल कर आतंकवाद का मुकाबला करें।

ट्रूडो ने क्या कहा

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की शुक्रवार को हुई बातचीत के बाद अब कनाडा में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर अंकुश लगाना आसान होगा। इसमें पूरा सहयोग देने का भरोसा कनाडा ने दिया है।
- जस्टिन ट्रूडो की सरकार को खालिस्तानी आन्दोलन के प्रति नरम रुख अपनाने वाला माना जाता रहा है लेकिन ट्रूडो ने भारत के साथ आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के खिलाफ साझा संकल्प जारी कर अपना रुख बदलने का संकेत दिया है।
- भारत के लिए यह बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मानी जा रही है। आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के मुकाबले के लिए सहयोग के दस्तावेज में दोनों देशों ने खालिस्तान समर्थक संगठनों बब्बर खालसा इंटरनैशनल और इंटरनैशनल सिख यूथ फेडरेशन को आतंकवादी संगठन बताया है और इनकी गतिविधियों पर रोक लगाने का संकल्प दिखाया गया है।
- इसके अलावा इस्लामी गुटों अलकायदा, आईसिस, हकानी नेटवर्क, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मुहम्मद का भी आतंकवादी संगठनों के तौर पर नाम लेकर इनसे साझा मुकाबला करने की बात की गई है।

अटवाल पर ट्रूडो ने दी सफाई

- खालिस्तानी आतंकवादी जसपाल अटवाल को यहां प्रधानमंत्री ट्रूडो के डिनर निमंत्रण से पैदा विवाद के बाद भारत की चिंता दूर करते हुए खालिस्तानियों के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो ने जरूरी कदम उठाने का संकल्प दिखाया। इस संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की देखरेख में सुरक्षा एजेंसियां काम करेंगी और इसके लिए दोनों सलाहकारों की नियमित बैठकें होंगी।
- साझा बयान में चीन का नाम लिए बिना हिंद प्रशांत में कानूनी व्यापार, समुद्र में खुली आवाजाही और समुद्र के ऊपर स्वच्छंद उड़ान के अधिकार को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
- साझा बयान में भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आपसी सहयोग की बात करते हुए अफगानिस्तान की मौजूदा जनतांत्रिक सरकार को हर तरह की मदद देने का वचन दिया गया है। आपसी रिश्तों को गहरा करने के लिए दोनों देशों ने समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता(सीईपीए) और दिवपक्षीय निवेश संवर्द्धन और संरक्षण समझौता करने के लिए भी दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

संभावित प्रश्न

भारत एवं कनाडा संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। दोनों देशों के मध्य साझा मूल्यों जैसे- लोकतंत्र, बहुलवाद, सभी के लिये समानता तथा कानून आदि के विषय में साझा मूल्यों का चलन रहा है। इसके बावजूद, ट्रूडो सरकार के खालिस्तान के मुद्दे पर नरम रुख दोनों देशों के संबंधो पर क्या प्रभाव डालेगी? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

The history of India and Canada relations is very old. Both the countries share common values like democracy, pluralism, equality for all and law etc. In spite of this, what would be the impact of Trudo government's soft attitude towards Khalistan issue on the relationship between the two countries? Discuss. (250 Words)

कृषि संकट पर रोक लगाना

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।।। (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित

27 फरवरी, 2018

''द हिन्दू''

{सीमा बतला (प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली) और रवि किरण (रिसर्च स्कॉलर, क्षेत्रीय विकास के अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली)}

''बजटीय परिव्यय में बढ़ोतरी के बजाय, किसानों को ऐसी योजनाओं की जरूरत है जो उन्हें फसल की विफलता से बचाएँ।''

पिछले दो बजटों के समान, इस वर्ष कृषि समर्थक इरादे कृषि क्षेत्र में बढ़ते विस्तार से और विभिन्न कार्यक्रमों की शुरूआत के माध्यम से स्पष्ट हैं। वे प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन एक जांच से पता चलता है कि कृषि में व्याप्त संकट के ज्वार को रोकने के लिए इन उपायों से ज्यादा मदद नहीं मिल पायेगी। तीन प्रशंसनीय बजट घोषणाओं का सामना करने वाली कुछ वास्तविक चुनौतियां निम्नलिखित हैं।

तीन चुनौतियां

पहला है उत्पादन की लागत से कम से कम 50% तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाया जाना है। एमएसपी को सभी फसलों के लिए भी बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे खेती की लागत पर अनुमान और एक लाभकारी मूल्य का पता लगाया जा सकेगा।

यहां दो प्रासंगिक मुद्दे हैं। पहला है, एक योजना के तहत कवर नहीं किए गए वस्तुओं के उत्पादन की लागत और उनकी खरीद प्रक्रियाओं का आकलन करना है और दूसरा है, उत्पादन लागत, जैसा कि कृषि लागत आयोग द्वारा की जाती है और मूल्य, जो तीन अलग-अलग तरीकों पर आधारित है, जिसे ए2, ए2+एफएल और सी2 कहा जाता है।

ए2, सभी भुगतान के लिए किए गए खर्चों को कवर करता है जिसमें नकदी शामिल होता है अर्थात, बीज के कारण लागत, रसायनों, किराए पर श्रम, सिंचाई, उर्वरक और ईंधन शामिल होते हैं। ए2 +एफएल ने वास्तविक भुगतान लागत और अवैतनिक परिवार श्रम को शामिल किया है। सी2 में नकदी में सभी वास्तविक खर्च और पट्टेदार भूमि के लिए उत्पादन और किराए पर खर्च किए गए प्रकार, परिवार के मजदूरी और ब्याज भुगतान के मूल्य भी शामिल है।

पिछले कुछ वर्षों में, सरकार लागत ए2+एफएल पर आधारित एमएसपी को 50% से ऊपर दे रही है, जो इस बजट के अनुसार जारी रहेगी। लेकिन किसान, कई सालों से मांग कर रहे हैं कि एमएसपी में वृद्धि सी2 पर आधारित होनी चाहिए। जबकि राज्यों के साथ मिलकर एमएसपी तय करने के लिए एक व्यावहारिक फार्मूले के निर्माण में समय लगेगा, सरकार को बड़े पैमाने पर कीमतों में उतार-चढ़ाव से किसानों को तत्काल सहायता देकर मदद करना चाहिए।

राज्यों ने 'मूल्य में कमी भुगतान योजना' (एमएसपी और प्राप्त मूल्य के बीच का अंतर) को लागू कर दिया है, क्योंकि हरियाणा में कुछ सब्जियों पर इसे शुरू किया गया है और मध्य प्रदेश में भावान्तर भुगतान योजना चयनित तेल बीजों के लिए है। इन योजनाओं में छोटे धारकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिनमें किरायेदार शामिल हैं, जो कि कम से कम 86% किसानों का गठन करते हैं, विनियमित बाजारों में बेचने के लिए।

दूसरा उपाय मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों में विकसित और अपग्रेड करना है। मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उन्नयन के लिए एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम पर 2,000 करोड़ रुपये का एक आवंटन आवंटित किया गया है। आशाजनक उपस्थिति के बावजूद, असली चुनौतियां इसके संबंध में संबंधित राज्यों की प्राथमिकता का पता लगाना है और इसे जल्द से जल्द गति प्रदान करना हैं।

उत्तरार्द्ध को सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से आगे ले जाया जा सकता है, जिसने अन्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक काम किया है। बाजार सुधार के तहत, यह कृषि-मूल्य श्रृंखलाओं के जरिए विपणन के साथ उत्पादन केंद्रों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिससे कि किसानों को सकल, स्व-सहायता समूहों का निर्माण या किसान उत्पादक संगठनों की आवश्यकता होगी।

कड़वी सच्चाई यह है कि किसान, कम विकसित राज्यों में विशेष रूप से छोटे भू-हितधारकों, मुख्य रूप से गांव व्यापारियों या सरकार द्वारा चलाए जाने वाले प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (एमएसपी में गेहूं और धान के लिए) के माध्यम से अपने उत्पाद बेचते हैं और अक्सर शोषण करते हैं।

संकट को दूर करने के लिए कुछ तंत्र बनाने के लिए (हरियाणा और मध्य प्रदेश के मामले में उल्लिखित), खासकर वस्तुओं की कीमतों में एक दुर्घटना की स्थिति में, यह एक चुनौतीपूर्ण काम है। एमएसपी में वृद्धि सिंचाई के साथ पूरक होनी चाहिए और उर्वरक लागत में कमी।

500 करोड़ के परिव्यय के साथ 'ऑपरेशन ग्रीन' का शुभारंभ एक अन्य सहयोगी पहल है, जो खराब होने वाली वस्तुओं की कीमत में अस्थिरता की चुनौती का समाधान करने के लिए है। यह फिर से किसानों की सहायता के उद्देश्य से कृषि उत्पादन और पशुधन बाजार समिति 2017 के अंतर्गत एक छत के तहत विभिन्न कार्यक्रमों को लाने के लिए राज्य सरकारों के लिए आवश्यक बनाता है।

तीसरा महत्वपूर्ण कदम वर्ष 2017-18 में संस्थागत ऋण 10 लाख करोड़ से बढ़कर 2018-19 में 11 लाख करोड़ रूपये में करना है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि ऋण का हिस्सा 1999-2000 से 10% से बढ़कर 2015-16 में 41% हो गया है।

हांलाकि, वास्तविक प्रवाह ने काफी लक्ष्य को पार किया है। इसलिए, प्रत्येक राज्य के गरीब किसानों और किरायेदारों के लिए घोषित आवंटन को लक्षित करना उनकी क्रय शक्ति को सुधारने और निवेश बढ़ाने में काफी लंबा रास्ता तय करेगा, जो वर्तमान में कम है।

क्या कमी है?

इस बजट में कुछ ऐसे मुद्दों पर विचार नहीं किया गया है, जिन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ और सूखे की पुनरावृत्ति के अलावा शुद्ध बोया गया क्षेत्र का 52% (141.4 मिलियन हेक्टेयर में से 73.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र) अभी भी असिंचित और वर्षा रहित है।

2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसकी उपस्थिति के बावजूद, इस विषय पर इस बजट में ध्यान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2600 करोड़ के आवंटन के साथ सिंचाई से वंचित 96 जिलों को पूरा करने की योजना है, जहाँ केंद्र हर खेत को पानी राज्य सरकारों के साथ मिलकर पूरा करेगी, ताकि किसानों को सिंचाई के क्षेत्र में सौर जल पंप स्थापित करने में सक्षम बनाया जा सके।

इसी समय, 2017 में प्रकाशित लघु सिंचाई जनगणना 2013-14, 2013-14 में 2.6 मिलियन से अधिक की गहरी ट्यूबवेल में भारी वृद्धि की चेतावनी देते हुए, 2006-07 में 1.45 मिलियन से, और भूजल की मेज में परिणामी गिरावट को दर्शाता है।

यह विडंबना है कि सरकार भूगर्भीय जल में कमी के बारे में चिंतित होने के बजाये अधिक ट्यूबवेल स्थापित करना चाहती है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से किसानों को बचाने के लिए मध्यम-प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं और/या लघु या सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं की उपयुक्तता की पहचान के साथ सिंचाई के लिए एक स्थान-विशिष्ट नीति की आवश्यकता है।

यह लंबित नहर पड़ी सिंचाई परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को सुधारने के साथ-साथ मुआवजे में वृद्धि और मौसम के संबंध में सही समय पर सलाह के साथ पूरक होना चाहिए।

तकनीकी हस्तक्षेप जो कि बुवाई और कटाई के समय और विस्तार सेवाओं के बारे में किसानों को अपडेट करेगा, कई समस्याओं से निदान और आपदाओं से बचने में मदद कर सकता है।

बजट में लापता एक अन्य महत्वपूर्ण घटक कृषि अनुसंधान और विकास (Ag R & D) में निवेश है। पिछले चार वर्षों में कृषि में वृद्धि की कम वार्षिक दर को देखते हुए यह एक गंभीर चिंता का विषय रहा है। बेहतर सिंचाई प्रौद्योगिकी के साथ अधिक सूखा और कीट प्रतिरोधी फसलों की जरूरत है। किसानों को बीज उत्पादन क्षेत्र में हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है ताकि उत्पादन में वृद्धि हो और उच्च विकास को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक फसलों में विविधता लाने की आवश्यकता हो।

सबसे अधिक चिंताजनक पहलू यह है कि भारत (Ag R & D) पर करीब 6,500 करोड़ रुपये खर्च करता है, जो कृषि और संबद्ध गतिविधियों से जीडीपी का 0.4% भी नहीं है। (Ag R & D) से लाभांश कम विकसित पूर्वी और बारिश वाले राज्यों में काफी अधिक है और इसलिए पर्याप्त धनराशि प्राप्त होती है।

मुआवजे के साथ किसानों को लुभाने और बजटीय परिव्यय को बढ़ाए जाने के बजाय, सरकार को उचित कार्य योजनाओं को आश्वस्त करना चाहिए जिससे उन्हें कीमत या फसल की विफलता से बचाया जा सके। बजट के अनुसार, अपनी आय बढ़ाने के लिए और कृषि विकास को ट्रिगर करने वाले दीर्घकालिक उपाय, सिंचाई, बुनियादी ढांचे, बेहतर विस्तार सेवाओं और प्रतिस्पर्धी विपणन प्रणाली द्वारा पूरी तरह से समर्थित संस्थानों में निवेश में तेजी लाने के लिए बने रहते हैं।

* * *

कृषि में सुधार हेतु उपाय

- कृषि उत्पादकता के संबंध में पहली चुनौती विखंडित भूमि की है। वर्तमान में, कृषि से संबद्ध समस्त भूमि का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा 2 हेक्टेयर से कम छोटी और सीमांत खेती की श्रेणियों से संबंधित है।
- इसलिए विखंडित भूमि के परिणामस्वरूप न तो प्रौद्योगिकी (संकर किस्म की प्रजातियों और कृषिगत प्रौद्योगिकी का उपयोग) का पूर्ण रूप से इस्तेमाल हो पाता है और न ही पूंजी निवेश (सिंचाई और मशीनीकरण में) को बढ़ावा ही मिल पाता है।
- इस चुनौती पर काबू पाने का एकमात्र तरीका भूमि अधिग्रहण किये बिना लंबी अवधि के लिये भूमि को पट्टे पर देना है, जैसा कि राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब द्वारा किया गया है।
- दीर्घकालिक समय के लिये भूमि को पट्टे पर दिये जाने से कृषि के अंतर्गत निजी क्षेत्र का प्रवेश कराए जाने में बहुत सुविधा होगी। इससे न केवल फसल विविधीकरण एवं उच्च मूल्य वाली फसलों की शुरूआत होगी, बल्कि मशीनीकरण में वृद्धि करने और नई कृषि तकनीकों एवं प्रौद्योगिकियों की शुरूआत करने के संबंध में भी सहायता प्राप्त होगी।
- इसके अलावा, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी होने से फसल प्रबंधन एवं प्रसंस्करण में निरंतर निवेश संभव हो सकेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में 'छिपी बेरोजगारी' के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने के साथ-साथ अधिक-से-अधिक लोगों के लिये रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित किये जा सकेंगे।
- सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि जिन किसानों की भूमि को पट्टे पर दिया गया है, उन्हीं किसानों को उनकी भूमि पर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 8,500 रूपए की न्यूनतम मजदूरीदर से रोजगार भी दिया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार, प्रति परिवार दो सदस्यों को नियोजित किया जाएगा। इस प्रकार एक वर्ष में किसान की कुल आय 2 लाख रूपए हो जाएगी।

आपूर्ति श्रृंखला और प्रसंस्करण क्षमता में सुधार करना

- पर्याप्त संख्या में कोल्ड स्टोर एवं गोदामों जैसी बुनियादी सुविधाओं तथा प्रसंस्करण व्यवस्था न होने के कारण भारी मात्रा में कृषिगत वस्तुओं का नुकसान होता है जिससे व्यापक स्तर पर किसानों की आय प्रभावित होती है।
- इस समस्या के संदर्भ में निजी क्षेत्र को अनाज की खरीद करने, भंडारण तथा वितरण करने की अनुमति दी जानी चाहिये। इसके लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली से शुरूआत की जा सकती है।
- इससे कृषिगत वस्तुओं के भंडारण एवं रख-रखाव के संदर्भ में सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली लागत में 25 फीसदी की कमी आएगी तथा इसके परिणामस्वरूप इन वस्तुओं के उपभोग वाले राज्यों में भंडारण क्षमता में वृद्धि की जा सकेगी।
- जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के मामले में, प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करके उन वस्तुओं की मूल्य स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग द्वारा फलों और सब्जियों को ज्यादा दिनों तक ताजा बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। पिछले साल ई-कॉमर्स सहित खाद्य खुदरा बिक्री में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति प्रदान किये जाने के बाद रिटेल क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अंततः किसानों को फायदा पहुँचने की संभावना है।
- **कृषि स्टार्ट-अप :** भारतीय कृषि में आधुनिक उद्यमिता को अधिक से अधिक बढ़ावा प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। स्टार्ट-अप इंडिया योजना के तहत कृषिगत सेवाओं को बढ़ावा दिये जाने से जहाँ एक ओर किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के संदर्भ में प्रोत्साहन प्राप्त होगा, वहीं इससे उनकी आय में वृद्धि भी होगी।

किसानों की आय में तेजी से वृद्धि के संभावित उपाय

1. **कृषिगत गतिविधियों का विविधिकरण :** प्रायः यह देखा गया है और कई अध्ययनों द्वारा प्रमाणित है कि उच्च मूल्य वाले फसलों और कृषि उद्यमों की ओर ध्यान देने वाले किसानों की आय में तेजी से वृद्धि होती है। अतः कृषिगत गतिविधियों के विविधिकरण को गति देनी होगी।
2. **बेहतर सिंचाई के साधन :** देश में अभी भी निम्न उत्पादकता का एक बड़ा कारण सिंचाई के साधनों की अपर्याप्त उपलब्धता है। अतः इस संबंध में भी ध्यान देने की जरूरत है।
3. **प्रतिस्पर्द्धी बाजार मूल्य :** बेहतर उत्पादन के बावजूद यदि किसान बेहतर मूल्य प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसका एक मुख्य कारण प्रतिस्पर्द्धी कीमत का न मिल पाना है और इसके कई कारण हैं। एकीकृत मूल्य श्रृंखला, भण्डारण की समुचित व्यवस्था, आदि सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- कृषि क्षेत्र में सुधार की समूची कवायद इन्हीं मूल बातों पर केन्द्रित होनी चाहिये। राज्य स्तर के आँकड़ों से पता चलता है कि गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में 2006-07 और 2013-14 के बीच वास्तविक कृषि आय (इसमें व्यापार में सुधार के कारण बढ़ी आय भी शामिल है) दोगुनी हो गई है।
- इन राज्यों द्वारा उपरोक्त मूल बातों पर ही ध्यान दिया गया है और यदि भारत के सभी राज्यों में ऐसा किया जाता है तो निश्चित ही हम वर्ष 2022 तक किसानों को दोगुनी आय की सौगात दे सकते हैं।

***

संभावित प्रश्न

मुआवजे से किसानों को लुभाने और बजटीय परिव्यय को बढ़ाए जाने के बजाय, सरकार को उचित कार्य योजनाओं को आश्वस्त करना चाहिए जिससे उन्हें कीमत या फसल की विफलता से बचाया जा सके। इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

Instead of wooing farmers with compensation and increasing budgetary outlay, the government should assure the proper action plans to save them from the cost or the failure of the crop. Analyze this statement. (250 Words)

अ गुड रोलबैक

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

28 फरवरी, 2018

''इंडियन एक्सप्रेस''

''मवेशी बाजार के नियमों को सुधारने का केंद्र का निर्णय स्वागतयोग्य पहल है। इसलिए राज्यों को मवेशी व्यापार को कमजोर नहीं बनाना चाहिए।''

केंद्र ने 'पशुओं' के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पशुधन बाजार के विनियमन) नियम को पुन:प्रारूपण करने का निर्णय स्वागतयोग्य है। पिछले साल मई में अधिसूचित, नियमों के अनुसार पशु-विक्रेताओं को एक लिखित घोषणा प्रस्तुत करना पड़ता था कि वे ''वध करने के लिए पशुओं को बेच नहीं रहे हैं।'' उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को भी प्रतिबंधित किया था कि जिसने जानवरों का वध करने के लिए इस तरह के बाजार से मवेशियों को खरीदतें थे।

हांलाकि, इस अधिसूचना का किसानों द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि वे पशुधन बाजारों से वृद्ध पशुओं को नहीं खरीद सकते थे, जिससे वे वध घरों में इन्हें बेच नहीं पाते। कानून मंत्रालय द्वारा नए नियमों का मसौदा तैयार किया जा रहा है, उनकी चिंताओं को हल करने की कोशिश करते हैं।

उन्होंने यह प्रमाणित करने की आवश्यकता के साथ इसे दूर किया है कि पशु वध करने के लिए नहीं होते हैं। इनका कहना है कि ''पशुपालन बाजार में कोई भी अयोग्य प्राणी या युवा पशु नहीं बेचा जाएगा। किसी भी व्यक्ति को वैसे जानवरों को बेचने या बेचने के उद्देश्य से दिखाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उस पशु द्वारा जन्म देने की संभावना है।''

सरकार ने शुरू में 2017 के नियमों को सही ठहराते हुए कहा था कि पशुधन बाजारों को वध करने के लिए जानवरों का व्यापार नहीं करने देने की अनुमति देने से अपराधी और मांस विक्रेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इन्होने इसलिए कहा क्योंकि कसाईखाना अपनी आपूर्ति फार्म से सीधे तौर पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि पशुधन बाजार केवल दूध और कृषि प्रयोजनों के लिए पशुओं में ही सौदा करेगा।

सरकार द्वारा इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाने के बाद सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। किसानों ने कृषि उपयोग में आने वाले पशुओं के लिए बाजारों में व्यापार को सीमित करने के लिए इस कदम का विरोध किया था। किसान आम तौर पर पशुधन बाजारों में अपने अनावश्यक जानवरों को ले जाते हैं, जहां व्यापारी मवेशी खरीदते हैं।

विवादित नियमों को वापस करने के लिए एमओईएफ की योजना ने राज्यों से फीडबैक लेने के लिए अपना कदम उठाया। मंत्रालय ने राज्यों को दो सेट पत्र भेजे थे, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध पर रोक लगाने के बाद सबसे पहले मंत्रालय ने इस मुद्दे पर पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और व्यापारियों के साथ परामर्श भी किया।

हालांकि, पश्चिम के विपरीत, भारत में पशुधन बाजार कृषि प्रयोजनों के लिए और कत्तल घरों के लिए एक स्पष्ट अंतर नहीं दर्शाता हैं। देखा जाये तो, भारत देश में किसान पशुओं के लिए दूध के लिए केवल नौ साल तक अपने पास रखते हैं, उसके बाद उन्हें कसाईखाना में बेच देते हैं।

ऐसे में जो इसके खरीदार होते, जो बाद में इन्हें कसाईखाना में बेच देते हैं, वास्तव में वे न सिर्फ किसानों से ऐसे पशुओं को खरीदते हैं बल्कि उन्हें चारा और श्रमिक संसाधनों की कीमत को भी बचाते हैं।

केंद्र द्वारा तैयार किए गए नए नियम, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं के अनुरूप हैं। लेकिन कुछ राज्यों ने मवेशी व्यापार को भुनाने में एक-दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उनकी प्रभावकारिता किसी का अनुमान लगा सकती है। उदाहरण के लिए, पिछले साल गुजरात ने राज्य के पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम के तहत अधिकतम सजा के रूप में मौत की सजा को निर्धारित किया था।

इस महीने, राजस्थान की बोवाइन पशु (रोक और विनियमन ऑफ एक्सपोर्ट) अधिनियम ने रोक लगाई, एक धारा का अधिग्रहण किया जिसके तहत ''सक्षम अधिकारी'' अब एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के आरोपी को ''नामित अधिकारी'' के लिए आरोपित करने की शक्ति का प्रतिनिधि कर सकता है। यह कोई संयोग नहीं है, राजस्थान पशुपालन विभाग के आंकड़ों से 2012 की तुलना में पिछले साल राज्य में पशु मेले में 90 प्रतिशत गिरावट का पता चलता है।

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम (पशुधन बाजार का नियमन) 2017 के नए संस्करण में 'वध' शब्द को हटाने की तैयारी कर रही है।
- 23 मई, 2017 में सरकार ने अपने मूल संस्करण में पशु बाजार में जानवरों को काटने के लिए बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार के इस कदम के बाद मांस निर्यात व्यापार पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था।
- मई में जारी अधिसूचना के मुताबिक, किसी भी शख्स को पशु बाजार में मवेशी को लाने की इजाजत नहीं होगी, जब तक कि वहां पहुंचने पर वह पशु के मालिक द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा-पत्र न दे दे जिसमें मवेशी के मालिक का नाम और पता हो और फोटो पहचान-पत्र की एक प्रति भी लगी हो।
- पशु बाजार समिति के सदस्य सचिव को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी शख्स बाजार में अवयस्क पशु को बिक्री के लिए न लेकर आए।
- अब किसी भी मवेशी को तब-तक बाजार में नहीं बेचा जा सकता, जब तक उसके साथ लिखित में घोषणा पत्र न दिया जाये। साथ ही इसमें वर्णन करना होगा कि पशु को मांस के कारोबार और हत्या के मकसद से नहीं बेचा जा रहा है।
- 'पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पशुधन बाजार के विनियमन) नियम 2017'
- इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य उद्देश्य पशु बाजार में पशुओं का कल्याण सुनिश्चित करना तथा पशुओं के आवास, भोजन भंडारण क्षेत्र, पानी की आपूर्ति, पानी की नांद, रैंप, बीमार पशुओं के बाड़े, पशु चिकित्सा देखभाल और उचित जल निकासी आदि के लिये पर्याप्त सुविधाएँ सुनिश्चित करवाना है।

अधिसूचना में शामिल नियम

- बैल, गाय, भैंस, स्टीयर्स, हेइफर्स और ऊँट आदि मवेशियों को पशुवध के उद्देश्य से पशु बाजार में नहीं बेचा जा सकता। विक्रेता को इसकी पुष्टि के लिये एक सत्यापन देना होगा।
- नियमों में जानवरों के लिये क्रूर और नुकसानदेह प्रथाओं पर भी रोक लगाई गई है, जैसे-सीगों पर चित्रकारी, भैंसों के कानों को विशेष तरीकों से काटना, जानवरों के आराम के लिये सही सतह (Bedding Surface) न रखना शामिल है।
- पशुओं के खरीददार को यह सत्यापित करना होगा कि वह कृषिविद् है तथा इन मवेशियों को 'वध' या 'धार्मिक बलि' के लिये नहीं बचेगा। विदित हो कि मध्यस्थ व्यापारियों/दलालों द्वारा बूचड़खानों में पशुवध के लिये 90% भैंसे तो पशु बाजारों से ही खरीदी जाती है, जबकि बूचड़खाने अपने लिये केवल 10% मवेशी ही सीधे किसान से खरीदते हैं।
- इन नियमों के आलोक में दो समितियाँ- पशु बाजार के पंजीकरण के लिये 'जिला पशु बाजार निगरानी समिति' और बाजारों के प्रबंधन के लिये स्थानीय प्राधिकरण स्तर पर 'पशु बाजार समिति' गठित की गई हैं।
- पशु तस्करी रोकने के लिये यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी पशु बाजार राज्य सीमा के 25 किमी. भीतर तक तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किमी. भीतर तक काम नहीं करेगा।
- ये सभी नियम जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त सभी भारतीय राज्यों में लागू होंगे।
- नए नियम केवल पशु बाजारों पर लागू होंगे, न कि व्यक्तिगत तौर पर पशुओं की खरीद-बिक्री करने वाले लोगों पर।

***

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न

हाल ही में केन्द्र ने पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पशुधन बाजार के विनियमन) नियम को पुन:प्रारूपण करने का निर्णय लिया है, जो स्वागतयोग्य है। इन नियमों तथा उनके क्रियान्वयन की दशा में उत्पन्न हो सकने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालिये। (250 शब्द)

Recently, the Center has decided to reform the 'Prevention of Cruelty to Animals' (Regulation of Livestock Market) rule that is welcome. Put a light on the problems that can arise in the case of these rules and their implementation. (250 Words)